कार्यालय प्राचार्य, शासकीय लाहिड़ी स्नातकोत्तर महाविद्यालय
चिरमिरी, जिला–कोरिया (छ.ग.)
नैक द्वारा "C" ग्रेड प्रदत्त
Affiliated to Sant Gahira Guru University, Ambikapur Phone No. 07771-265026
Email-govtlahiricollege@gmail.com AISHE: C-9736 Website- www.govtlahiripgcollege.com

AQAR: 2021-22

7.1.8 Describe the Institutional efforts/initiatives in providing an inclusive environment i.e., tolerance and harmony towards cultural, regional, linguistic, communal socioeconomic and other diversities

Sl. No.	Contents	Page (From-to)
1	Zero Tolerance policy	https://govtlahiripgcollege.in/zero-tolerance-policy/
2	Government Policies for categories' admissions, fee concession, scholarship etc.	02-23
3	Scan copy of the budget allocation to provide books, pens etc. for background students	24-43
4	Chhattisgarh Government policies of tribal area allowance for employees and specimen copy of salary slip	44-189
5	Glimpses of organized events viz. Karate, Yoga, rangoli, mehandi and annual function etc.	190-196

IQAC Coordinator
IQAC Coordinator
Govt. Lahiri P.G. College, Chirimiri
Distt. - Korlya (C.G.)

Principal
Govt. Lahiri P.G. College
Chirimiri, Distt.- Korea (C.G.)

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
जिला–रायपुर
------00---------

क्रमांक एफ 17–95/2017/38–2 नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर, दिनांक 06/6/2022

प्रति,

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इंद्रावती भवन,
नवा रायपुर अटल नगर,
रायपुर।

विषयः– छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2022–23 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत तैयार करने बाबत्।

संदर्भः– आपका प्रस्ताव क्रमांक 2917/760/761/आउशि/सम./2022 दिनांक 31.05.2022

-----00-------

विषयांतर्गत संदर्भित प्रस्ताव का कृपया अवलोकन करें।

2/ राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित शैक्षणिक संस्थाओं के लिये शैक्षणिक सत्र 2022–23 हेतु अनुमोदित प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत की एक प्रति संलग्न प्रेषित है।

कृपया सभी संबंधित संस्थाओं को मार्गदर्शिका की प्रति उपलब्ध कराते हुए मार्गदर्शिका में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(ए.आर. खान)
अवर सचिव
छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग
नवा रायपुर अटल नगर रायपुर, दिनांक

पृ क्रमांक एफ 17–95/2017/38–2

प्रतिलिपिः–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,रायपुर।
2. निज सचिव, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

3. गार्ड फाईल।

अवर सचिव
छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन

उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिए

सत्र 2022–23

हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिध्दांत

714

छत्तीसगढ़ शासन

उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत

सत्र 2022–23

1. प्रयुक्ति :–

1.1 ये मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ के सभी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में छत्तीसगढ विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 के तहत अध्यादेश क्रमांक 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ सहपठित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे।

1.2 प्रवेश के नियमो को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना होगा। "प्रवेश से आशय स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष अथवा प्रथम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर कक्षा के प्रथम समेस्टर से है।

2. प्रवेश की तिथि :–

2.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना :–

इस वर्ष विश्वविद्यालय स्तर पर प्रवेश हेतु "ऑनलाईन" फार्म जमा कराया जावेगा। जिन महाविद्यालयों के लिए जितने फार्म जमा होंगे, उसे उस महाविद्यालय को प्रेषित किये जायेंगें। ऑनलाईन से प्राप्त आवेदनों में से प्राचार्य, शासन से प्राप्त प्रवेश मार्गदर्शिका सिध्दांत के नियमों के आधार पर प्रवेश प्रदान करेंगे।

(अ) अपरिहार्य कारणों से यदि "ऑफलाईन" आवेदन जमा करना हो तो आवेदक द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक महाविद्यालय में जमा किये जायेंगे।

(ब) प्रवेश हेतु बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जा सकेंगें।

2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :–

1 स्थानांतरण प्रकरण को छोडकर 16 जून से 16 अगस्त तक प्राचार्य स्वयं तथा 26 अगस्त तक कुलपति की अनुमति से प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। (स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि 16 जून से तथा अन्य कक्षाओं हेतु 16 जून से 15 जुलाई तक या परीक्षा परिणाम घोषित होने के 10 दिवस के भीतर) शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया की जावेगी। परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत 10 दिवस के भीतर प्रवेश कार्य पूर्ण किये जायेंगे। कंडिका 5.1 (क) में उल्लेखित, कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र–पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर ही सत्र के दौरान प्रवेश दिया जाये किन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना एवं आवेदक का

अनुभाग अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जायेगा।

विशेष टीप :–

सत्र 2022–23 की प्रवेश प्रक्रिया में सी.बी.एस.सी./आई.सी.एस.सी. बोर्ड एवं अन्य बोर्ड जिनके परीक्षा परिणाम घोषित नही हुये है ऐसे आवेदक संबंधित बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा के अंतर्गत प्रथम टर्म में प्राप्त अंक पत्रक की छायाप्रति संबंधित विद्यालय के प्राचार्य से हस्ताक्षर करवाकर अपलोड करेंगे। सी.बी.एस.सी. आई.सी.एस.सी. के ऐसे आवेदक जिनकों संबंधित विद्यालय द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित पत्रक उपलब्ध नहीं करा रहें हैं ऐसे आवेदक प्रथम टर्म के अंकों के लिए वचन पत्र स्वयं/अभिभावक के हस्ताक्षर से अपलोड करेंगे। वचन पत्र असत्य पाये जाने पर प्रवेशित विद्यार्थी का प्रवेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा पढा जावे।

स्पष्टीकरण :–

आवेदक "क" ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कक्षा में प्रवेश लिया था। उसके बाद उसके पालक का स्थानांतरण स्थान "ब" में हो गया, इस स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में अब वह प्रवेश लेना चाहता है, रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा। आवेदक "ख" ने स्थान (अ) में जहां उसके पालक कार्यरत थे, किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया किन्तु पालक के स्थान (ब) पर स्थानांतरण होते ही, स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, अतः अब प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (ख) को प्रवेश नहीं दिया जा सकता।

2.2 **पुनर्मूल्यांकन / *पुनर्गणना* में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना :–**
विधि संकाय के अतिरिक्त अन्य संकायों के पुनर्मूल्यांकन/ पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक, संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात् गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु विधि संकाय की कक्षाओं में गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा। 12 वीं कक्षा में पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्र–छात्राओं को भी स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

3. **प्रवेश संख्या का निर्धारण :–**

3.1 महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण/उपयोग योग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर स्वीकृत छात्र संख्या (सीट) अन्तर्गत ही विभिन्न कक्षाओं के लिए छात्रों को प्रवेश दिया जावेगा। यदि प्राचार्य महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में सीट की वृद्धि चाहते हैं तो वे 30 अप्रैल तक अपना प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें तथा "उच्च शिक्षा संचालनालय/उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही बढ़े हुए स्थान के अनुसार प्रवेश की कार्यवाही करे।"

3.2 विधि स्नातक प्रथम, द्वितीय तृतीय वर्ष *एवं पंचवर्षीय पाठ्यक्रम बी.ए.एल.एल.बी.* की कक्षाओं में बार कौंसिल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अधिकतम 60 विद्यार्थियों को ही प्रति सेक्शन (न्यूनतम 2 सेक्शन एवं अधिकतम 5 सेक्शन) में प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर दिया जावे।

अनुभाग अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय

सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिए अध्यापन के विषय/विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयां में उन्हीं निर्धारित विषय/विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगे।

4. **प्रवेश सूची :–**

4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए, प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहां अधिभार देय है, वहां अधिभार देकर कुल प्राप्तांकों की गुणानुक्रम सूची, प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगाई जायेगी।

4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रमाणित किये जाने एवं स्थानांतरण प्रमाण–पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात् ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानांतरण प्रमाण–पत्र पर "प्रवेश दिया गया" की मोहर लगाकर उसे रद्द करना चाहिये।

4.3 निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात् स्थानांतरण प्रमाण–पत्र की मूल प्रति को निरस्त की सील लगाकर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जाये।

4.4 घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रूपये 100/–अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप से वसूला जायेगा, तथापि ऐसे प्रकरणों में ***26 अगस्त*** के पश्चात् प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।

4.5 स्थानांतरण प्रमाण–पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाये। स्थानांतरण प्रमाण–पत्र खो जाने की स्थिति में, विद्यार्थी द्वारा निकटस्थ पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज किया जाये। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र का अनुक्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से वचन पत्र लिया जाये।

4.6 महाविद्यालय के प्राचार्य स्थानांतरण प्रमाण–पत्र जारी करने के साथ–साथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रैगिंग/अनुशासनहीनता/तोड़फोड़ आदि में संलिप्त है या नही। ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को सील बंद लिफाफे में बन्द कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहां कि छात्र/छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है।

4.7 "राज्य शासन, द्वारा, शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत् स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर की छात्राओं को शिक्षण शुल्क से छूट प्रदान की गई है। अतः उक्त निर्देशों का पालन किया जाए।

अनुभाग अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

प्रवेश की पात्रता :–

निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :–

(क) छत्तीसगढ के मूल/स्थायी, छत्तीसगढ में स्थायी संपत्तिधारी निवासी/राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी, अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन छत्तीसगढ़ में है, उनके पुत्र/पुत्रियों एवं जम्मू काश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात् भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को नियमानुसार गुणानुकम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।

(ख) सम्बद्ध विश्वविद्यालय से या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /बोर्ड से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) आवश्यकतानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही आवेदक को प्रवेश प्रदान किया जाए।

5.2 स्नातक स्तर, नियमित प्रवेश :–

(क) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु वाणिज्य और कला संकाय के आवेदकों को विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। बी.एस.सी (गृह विज्ञान) प्रथम वर्ष में किसी भी संकाय से उत्तीर्ण छात्रा को प्रवेश की पात्रता होगी। व्यवसायिक पाठ्यकम से 12 वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को केवल कला संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी। परंतु यदि अभ्यार्थी ने वाणिज्य संकाय के विषयों से अध्ययन किया हो तो उसे वाणिज्य संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार 10+2 परीक्षा कृषि संकाय से उत्तीर्ण आवेदकों को विज्ञान संकाय अथवा बी.एस.सी. (बायो/गणित समूह) प्रथम वर्ष में प्रवेश नही दिया जायेगा।

(ख) स्नातक स्तर पर प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उन्हीं विषयों की कमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय स्तर पर विषय परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी।

5.3 स्नातकोत्तर स्तर नियमित प्रवेश :–

(क) बी.कॉम./बी.एस.सी. (गृह विज्ञान)/बी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को कमशः एम.कॉम /एम.एस.सी. (गृह विज्ञान)/एम.ए.–प्रथम सेमेस्टर एवं अर्हकारी विषय लेकर, बी.एस.सी उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एस–सी/एम.ए.–प्रथम सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। एम.ए. प्रथम सेमेस्टर/पूर्व–भूगोल में उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश की पात्रता होगी जिन्होंने स्नातक स्तर पर भूगोल विषय का अध्ययन किया हो। उपरोक्त के अतिरिक्त अर्हता के संबंध में संकाय की स्थिति में संबंधित विश्वविद्यालय के संबंधित अध्यादेश में उल्लेखित प्रावधान/अर्हता ही बंधनकारी होंगे।

अनुभाग अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

(ख) स्नातकोत्तर ***प्रथम वर्ष उत्तीर्ण*** आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पद्धति की, पूर्व अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियम :–

1. स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों को प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।
2. स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियमों के अनुसार पात्र आवेदकों को अगले सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।

5.4 विधि संकाय नियमित प्रवेश :–

(क) स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ख) विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल.एल.एम. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) एल.एल.बी. प्रथम सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. प्रथम सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को कमशः एल.एल.बी. द्वितीय सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ, पंचम सेमेस्टर में भी प्रवेश की यही प्रक्रिया लागू होगा।

5.5 प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा :–

(क) "विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा 45% (अनुसूचित जनजाति/अनसूचित जाति हेतु 40%, <u>अन्य पिछडा वर्ग 42% होगी।</u> तथा विधि स्नातकोत्तर पूर्वाद्व में 55% अंक (अनसूचित जनजाति/अनूसूचित जाति/ओ.बी.सी हेतु 50%) प्राप्त आवेदकों को नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।"

5.6 AICTE/NCTE/BAR COUNCIL OF INDIA/MEDICAL COUNCIL OF INDIA से अनुमोदित पाठ्यक्रमों में प्रवेश/संचालन पर संबंधित संस्था के प्रावधान प्रभावी होंगे।

6. **समकक्ष परीक्षा :–**

6.1 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.), इंडियन कौंसिल फार सेकेण्डरी एजुकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों/इंटरमीडिएट बोर्ड की 10+2 की परीक्षाएं माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है। प्राचार्य, मान्य बोर्ड की सूची सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से प्राप्त कर सकते हैं।

6.2 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालयों जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी) के सदस्य हैं, उनकी समस्त परीक्षाएं छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्ष मान्य है। ऐसे विश्वविद्यालय (IGNOU को छोडकर) जो दूरवर्ती पाठ्यक्रम संचालित करते हैं, किंतु राज्य शासन से अनुमति प्राप्त नहीं है, की परीक्षाएं मान्य नहीं हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के किसी भी विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्था को छत्तीसगढ़ राज्य में अध्ययन केन्द्र/ऑफ कैम्पस

अनुभाग अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
नवा रायपुर (छ.ग.)

आदि खोलकर छात्र–छात्राओं को प्रवेश देने/डिग्री देने की मान्यता नहीं है तथा ऐसी संस्थाओं से डिग्री/डिप्लोमा वैधानिक रूप से मान्य नहीं होगा।

6.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का शिक्षण सस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय–समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं, जिनकी उपाधि मान्य नहीं है, की जानकारी प्राचार्य सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।

6.4 वर्ष 2012 में प्रारंभ किए गए एनवीईक्यूएफ (National Vocational Educational Qualification Framework) के अंतर्गत उत्तीर्ण आवेदकों को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जावे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 1–52/2013 (सीसी/एनएसक्यूएफ) अप्रैल, 2014 के अनुसार –

"जैसा कि आपको ज्ञात है आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय कौशल अर्हता संरचना (एनएसक्यूएफ) में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय व्यावसायिक शैक्षिक अर्हता संरचना (एनवीईक्यूएफ) में सूत्रबद्ध किये गये समस्त महत्वपूर्ण तथ्यों को निगमित किया गया है। जैसा कि एनएसक्यूएफ में अधिसूचित किया गया है कि यह 1 से 10 स्तर तक के प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराता है जिनमें स्तर 5 से स्तर 10 तक के प्रमाण पत्र उच्च शिक्षा से एवं स्तर 1 से स्तर 4 तक के प्रमाण पत्र स्कूली शिक्षा के क्षेत्र से सम्बद्ध हैं। वर्ष 2012 में प्रारम्भ किये गये एनवीईक्यूएफ के अनुसरण में कुछ स्कूल बोर्डों द्वारा छात्रों को पाठ्यक्रम प्रस्तावित किये गये और एनवीईक्यूएफ के अंतर्गत छात्रों को समतुल्य/समस्तरीय प्रमाण–पत्र प्रदान किये जा रहे हैं। ऐसे छात्र, एनएसक्यूएफ के स्तर 4 के प्रमाणित स्तर सहित 10+2 शिक्षा को वर्ष 2014 तक सफल कर पायेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने आशंका जताई है कि ऐसे छात्र जो विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक पूर्व किसी भी पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के इच्छुक हैं तथा जिनके पास +2 स्तर में व्यावसायिक विषय थे वे अलाभकारी स्थिति में होंगे। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि जिस समय छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में अन्य किसी भी स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए प्रयास किये जा रहें हों तो उस समय ऐसे विषयों को अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जाये, ताकि उन छात्रों को क्षैतिजिक गत्यात्मकता के लिए सुअवसर मिल सकें।"

7. **बाह्य आवेदकों का प्रवेश :–**

7.1 स्नातक स्तर तक बी.ए./बी.कॉम./बी.एस.–सी./बी.एच.एस–सी. में एकीकृत पाठ्यकम लागू होने से छत्तीसगढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को कमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है किन्तु सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों/विषय समूहों में

अनुभाग अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो इसका परीक्षण करने के पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जावे। आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण–पत्र अवश्य लिया जायें।

7.2 छत्तीसगढ के बाहर स्थित विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर पूर्व की परीक्षा या प्रथम, द्वितीय, तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उन्हीं विषयों/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जावे।

राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारुप में एक शपथ–पत्र देना होगा किसी भी प्रकार की झूठी/गलत जानकारी पाए जाने पर संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुए उसे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा। अन्य राज्य के आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रमाणीकरण संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय से कराया जाना अनिवार्य है।

7.3 विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के भूतपूर्व छात्रों को 30 नवंबर तक, निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।

8. अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा :–

8.1 *<u>स्नातक स्तर</u> की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट) प्राप्त नियमित आवेदकों को अगली कक्षा में स्थान रिक्त होने पर अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।*

8.2 स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम/द्वितीय/तृतीय में पूरक/एटी–केटी प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.3 ***विधि स्नातक त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम एल.एल.बी. के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष*** में निर्धारित एग्रीगेट 48 प्रतिशत् पूरा न करने वाले या पूरक प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.4 उपरोक्त कंडिका 7 के खण्ड 1 एवं 2 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

8.5 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मान्य किया जावेगा।

9 प्रवेश हेतु अर्हताएं :–

9.1 किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय में प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में <u>आगामी वर्ष/वर्षों</u> में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनर्ह नहीं माना जावेगा, उसे मात्र मूल

अनुभाग अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

स्थानांतरण प्रमाण–पत्र तथा शपथ–पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं किया है, के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जावेगा।

9.2 जिनके विरूद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण चल रहे हों, परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार/मारपीट करने के गंभीर आरोप हो/चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो, ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है।

9.3 महाविद्यालय में तोडफोड़ करने और महाविद्यालय की संपत्ति को नष्ट करने वाले/रैगिंग के आरोपी छात्र/छात्राओं का प्रवेश निरस्त करने/प्रवेश न देने के लिए प्राचार्य अधिकृत हैं। प्राचार्य इस हेतु समिति गठित कर जॉच करवायें एवं जॉच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जाये। ऐसे छात्र–छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जावे।

9.4 **प्रवेश हेतु आयु–सीमा :–**

(क) छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र कमांक एफ 17–95/2017/38–2 दिनांक 15.08.2021 द्वारा सभी कक्षाओं एवं पाठ्यकमों में आयु सीमा के बंधन को समाप्त किया गया है।

9.5 पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत् कर्मचारी की उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरांत लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा।

9.6 किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को किसी अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यकम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

10. **प्रवेश हेतु गुणानुकम का निर्धारण :–**

10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुकम से किया जायेगा।

(क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभार देय है, तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के आधार पर तथा

(ख) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में सम्बद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान हो तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगी।

10.2 अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग–अलग गुणानुकम सूची तैयार की जावेगी।

11. **प्रवेश हेतु प्राथमिकता :–**

11.1 स्नातक/स्नातकोत्तर/विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी।

11.2 स्नातक/स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/उत्तीर्ण भूतपूर्व नियमित/एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित/स्वाध्यायी विद्यार्थियों के क्रम में होगा।

अनुभाग अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर (छ.ग.)

3 विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक छात्रों के पहले उत्तीर्ण, परंतु 48 प्रतिशत प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे, अन्य क्रम यथावत रहेगा।

11.4 स्नातक स्तर के त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए प्रदेश के किसी भी महाविद्यालय में प्रदेश के अन्य स्थानों/तहसीलों/जिलों के निवासरत् अथवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले आवेदक विद्यार्थीयों को भी गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जाए।

11.5 किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

12. आरक्षण—छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा :—

12.1 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा, अर्थात् :—

(क) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा मे वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बत्तीस प्रतिशत् सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।

(ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बारह प्रतिशत् सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेगी।

(ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से चौदह प्रतिशत् सीटें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रहेगी। परन्तु, जहाँ अनुसूचित जनजातियों के साथ—साथ अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के रिक्त सीटों पर भी विपरीत क्रम में पात्र आवेदकों को प्रवेश दिया जाएगा। आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे विपरीत क्रम में पात्र विद्यार्थियों में से भरा जाएगा।

परन्तु यह और कि पूर्वगामी परंतुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात् भी, जहाँ खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।

12.2 (1) बिन्दु क. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उर्ध्वाधर (वर्टीकल) रूप से अवधारित किया जाएगा।

(2) निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिकों/भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के संबंध में क्षैतिज आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए तथा यह बिन्दु क. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन यथास्थिति, उर्ध्वाधर आरक्षण के भीतर होगा।

12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र—पुत्रियों, पौत्र, पौत्रियों और नाती/नातिन के लिये 3 प्रतिशत् स्थान आरक्षित रहेंगे। निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के लिए 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे।

12.4 सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत् स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।

अनुभाग अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी आपन कम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत् अप्रभावित रहेगी, परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे– स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी, शेष संवर्ग की सीटें भरी जायेगी।

12.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत् 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा, 1/2 प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।

12.7 जम्मू–कश्मीर विस्थापितों तथा आश्रितों को 5 प्रतिशत तक सीट वृद्धि कर प्रवेश दिया जाए तथा न्यूनतम अंक में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।

12.8 समय–समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये।

12.9 कंडिका 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय के अध्याधीन रहेगा।

12.10 तृतीय लिंग के व्यक्तियों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी.(सी) 400/2012 नेशनल लीगल सर्विसेस अथॉरिटी विरूद्ध भारत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.04.2014 की कंडिका 129(3) में यह निर्देश दिया गया है कि– "We direct the Centre and the State Government to take Steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and for public appointments." का कड़ाई से पालन किया जाए।

13. अधिभार :–

अधिभार मात्र गुणानुकम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्ताकों के प्रतिशत् पर ही अधिभार देय होगा, अधिभार हेतु समस्त प्रमाण–पत्र प्रवेश आवेदन–पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन–पत्र जमा करने के पश्चात् बाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण–पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा, एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

13.1 एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट्स

स्काउट्स शब्द को स्काउट्स/गाइड्स/रेन्जर्स/रोवर्स के अर्थ में पढ़ जावे।

(क)	एन.एस.एस./एन.सी.सी. "ए" सर्टिफिकेट	02 प्रतिशत
(ख)	एन.एस.एस./एन.सी.सी "बी" सर्टिफिकेट या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	03 प्रतिशत
(ग)	"सी" सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	04 प्रतिशत
(घ)	राज्य स्तरीय संचालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता में ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को	04 प्रतिशत
(च)	नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ के एन.सी.सी./एन.एस.एस. कंटिन्जेन्स में भाग लेने	05 प्रतिशत

अनुभाग अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
नवा रायपुर (छ.ग.)

वाले विद्यार्थी को

(छ) राज्यपाल स्काउट्स — 05 प्रतिशत

(ज) राष्ट्रपति स्काउट्स — 10 प्रतिशत

(झ) छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. केडेट — 10 प्रतिशत

(य) ड्यूक ऑफ एडिनवर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. केडेट — 10 प्रतिशत

(र) भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में भाग लेने वाले कैडेट, एन.सी.सी./एन.एस.एस. के लिए चयनित एवं प्रवास करने वाले कैडेट को, अन्तर्राष्ट्रीय जम्बूरी के लिये चयनित होने वाले विद्यार्थियों को — 15 प्रतिशत

13.2 आनर्स विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर — 10 प्रतिशत

13.3 खेलकूद/साहित्यिक/सांस्कृतिक/क्विज/रूपांकन प्रतियोगिताएं :–

(1) लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला, संभाग स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग/क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में :–

(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को — 02 प्रतिशत

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को — 04 प्रतिशत

(2) उपर्युक्त कंडिका 13.3 (1) में उल्लेखित विभाग/संचालनालय द्वारा आयोजित अर्न्तसंभाग राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अर्न्तक्षेत्रीय, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ए.आई.यू. द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में :–

(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को — 06 प्रतिशत

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता मे उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को — 07 प्रतिशत

(ग) संभाग/क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को — 05 प्रतिशत

(3) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित, संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में :–

(क) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को — 15 प्रतिशत

(ख) प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम के सदस्यों को — 12 प्रतिशत

(ग) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को — 10 प्रतिशत

13.4 भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा साईन्स एवं कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत् विज्ञान/सांस्कृतिक/साहित्यिक/ — 10 प्रतिशत

अनुभाग अधिकारी
शिक्षा विभाग, मंत्रालय
नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

कला क्षेत्र में नामांकित एवं प्रचार करने वाले दल के सदस्यों को

छत्तीसगढ़ शासन/म.प्र. से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में –

(क) छत्तीसगढ़/म.प्र. का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को — 10 प्रतिशत

(ख) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ़ की टीम के सदस्यों को — 12 प्रतिशत

13.6 जम्मू–कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को — 01 प्रतिशत

13.7 **विशेष प्रोत्साहन :–**

छत्तीसगढ़ राज्य एवं महाविद्यालय के हित में एन.सी.सी./खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स तथा ओलम्पियाड/एशियाड/स्पोर्ट्स अथारिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में सीधे प्रवेश दिया जाए जिनकी उन्हें पात्रता है कि :–

(1) इस प्रकार के प्रमाण–पत्रों को संचालक, खेल एवं युवक कल्याण, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो, एवं

(2) यह सुविधा केवल उन्ही अभ्यार्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है, परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।

13.8 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले चार क्रमिक सत्र तक के प्रमाण–पत्र स्नातकोत्तर प्रथम या विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन क्रमिक सत्र तक के प्रमाण–पत्र अधिभार हेतु मान्य किये जायेंगे। स्नातक द्वितीय, तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु पूर्व सत्र के प्रमाण–पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे।

14 **संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन :–**

स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों से 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुणानुक्रम निर्धारित किया जायेगा, अधिभार घटे हुये प्राप्तांकों पर देय होगा। महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितंबर तक या विलम्ब से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर कंडिका 22 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिनों तक ही दी जायेगी। यह अनुमति उन्ही विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय/संकाय की मूल गुणानुक्रम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हो।

अनुभाग अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
अटल नगर, नया रायपुर (छ.ग.)

शोध छात्र :–

शासकीय महाविद्यालयों में पी.एच.डी. के शोध छात्रों को दो वर्ष के लिये प्रवेश दिया जायेगा। पुस्तकालय/प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपरवाइजर की अनुशंसा पर प्राचार्य इस समयावधि को अधिकतम 4 वर्ष कर सकेंगे। छात्र निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करेंगे, प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य किया जावेगा। शोध छात्र के लिये संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पी.एच–डी. निर्देशन हेतु महाविद्यालय में पदस्थ मान्य प्राध्यापक सुपरवाइजर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही अपना शोध कार्य संपादन करेंगे। अध्ययन अवकाश लेकर कोई शिक्षक यदि शोध छात्र के रूप में कार्यरत हैं, तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेषित उपस्थिति प्रमाण–पत्र एवं प्रति तीन माह की कार्य प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शोध शिक्षक का वेतन आहरित किया जावेगा।

महाविद्यालय में पदस्थ प्राध्यापक सुपरवाइजर के अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने की स्थिति मे शोध छात्र ऐसी संस्था में अपना शोध कार्य चालू रख सकते हैं जहां से उनका शोध आवेदन पत्र अग्रेषित किया गया था, शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त शोध का प्रबंध उसी महाविद्यालयों के प्राचार्य अग्रेषित करेंगे। <u>संबंधित विश्वविद्यालय के शोध अध्यादेश के सथ सहपठित करते हुए लागू होगा।</u>

16 विशेष :–

16.1 जाली प्रमाण–पत्रों, गलत जानकारी, जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है, तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण दायित्व प्राचार्य को होगा।

16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी को प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.2 एवं 9.3 मे वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों में लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।

16.5 प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांतों के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी प्रकरण मे मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते हुए स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ, रायपुर से प्राप्त करेंगे, प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण को केवल अग्रेषित लिखकर प्रेषित न किया जाये।

16.6 इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग को है। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में समय–समय पर परिवर्तन/संशोधन/निरसन /संलग्न का संपूर्ण अधिकार छत्तीसगढ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा।

अनुभाग अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
नया नगर, नया रायपुर (छ.ग.)

ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति

ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति

प्रदेश में अनुसूचित जाति / जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के दौरान आर्थिक सहयोग प्रदान करने के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना शासन द्वारा संचालित की जा रही है। छात्रवृत्ति का समय पर स्वीकृति एवं भुगतान सुनिश्चित करने एवं इसके मॉनीटरिंग करने में विभाग को अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता था, इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों एवं पालकों को समय पर एवं सही छात्रवृत्ति न मिलने की शिकायतें आती रहती थी।

उपरोक्त समस्याओं के निराकरण हेतु वर्ष 2012–13 से पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पूरी प्रक्रिया का कम्प्यूटराइजेशन किया जाकर ऑनलाईन आवेदन एवं स्वीकृति की व्यवस्था के माध्यम से छात्रवृत्ति योजना को पारदर्शी बनाया गया है। इस हेतु विभागीय वेबसाइट (www.mpsc.mp.nic.in) तैयार किया गया है जिसमें विद्यार्थियों द्वारा आनलाइन आवेदन करके बायोडाटा की प्रविष्टि एक बार करने के पश्चात् उसे पूरे अध्ययनकाल मे छात्रवृत्ति प्राप्त होती रहेगी और प्रतिवर्ष नये आवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

वर्ष 2015–16 से सभी विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति उनके बैंक एकाउंट में ही स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है। जिसके अनुसार विद्यार्थियों की खाते में छात्रवृत्ति राशि का हस्तांतरण ऑनलाईन के माध्यम से किया जा रहा है।

सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 10.03.2015 के द्वारा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति अंतर्गत वर्ष 2015–16 से कक्षा 11वीं एवं 12वीं की छात्रवृत्ति का संचालन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किया जाना है। कक्षा 11वीं एवं 12वीं हेतु छात्रवृति की राशि शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृति अनुसार शिक्षा विभाग को प्रदाय किया जाता है। कक्षा 12 वीं से उच्चतर कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु छात्रवृत्ति संचालन का कार्य पूर्व की भांति विभाग द्वारा किया जा रहा है। वर्ष 2020–21 में कुल 5.42 लाख विद्यार्थियों को लगभग राशि रूपये 225.86 करोड़ की छात्रवृत्ति का वितरण किया जा रहा है। वर्ष 2021–22 की छात्रवृत्ति स्वीकृत की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

विगत तीन वर्षों की छात्रवृत्ति स्वीकृति एवं भुगतान निम्नानुसार है :-

SC Post Matric scholarship		
Year	Students	Amount (in lakhs)
2018-19	99543	5315.15
2019-20	95433	5521.43
2020-21	102512	5230.67

ST Post Matric scholarship		
Year	Students	Amount (in lakhs)
2018-19	153785	7184.14
2019-20	143355	7308.22
2020-21	146616	6701.88

OBC Post Matric scholarship		
Year	Students	Amount (in lakhs)
2018-19	303248	10096.55
2019-20	280343	10347.26
2020-21	292969	10653.19

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (निर्वाह भत्ता) (अ.ज.जा.)

- आय–सीमा– रू. 2.50 लाख तक वार्षिक आय,
- भारत सरकार द्वारा छात्रवृत्ति की दरें दिनांक 01.07.2010 से निम्नानुसार लागू हैं :–

समूह	छात्रवृत्ति की दरें (प्रति माह)	
	छात्रावासी	दिवा छात्र
समूह-1- (i) डिग्री तथा स्नातकोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रम यथा–एम.फिल, पीएच.डी तथा औषधि में पोस्ट डाक्टोरल अनुसंधान (अलोपैथिक, भारतीय तथा अन्य मान्यता प्राप्त औषधि पद्धतियां) इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी, प्लानिंग, कृषि, डिजाईन, फैशन टेक्नालॉजी, पशु–चिकित्सा एवं सम्बद्ध विज्ञान, प्रबंधन, बिजनेस वित्त, बिजनेस प्रशासन तथा कम्प्यूटर अनुप्रयोग / विज्ञान। (ii) वाणिज्यिक पायलेट लाइसेंस (हेलिकाप्टर पायलट तथा मल्टी–इंजिन रेटिंग पाठ्यक्रम (iii) प्रबंधन तथा औषधि में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम (iv) सी.ए. / आई.सी.डब्ल्यू.ए. / सी.एस. / आई.सी.एफ.ए. आदि पाठ्यक्रम (v) एम.फिल., पीएच.डी तथा पोस्ट डाक्टोरल अनुसंधान यथा–डी.लिट, डी.एस.सी. इत्यादि (vi) एल.एल.एम.	1200	550
समूह-2 - (i) स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तरीय डिग्री पाठ्यक्रम, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र स्तरीय पाठ्यक्रम जैसे–फार्मेसी (बी.फार्मा), नर्सिंग (बी.नर्सिंग), एल.एल.बी., बी.एफ.एस. अन्य पैरा मेडिकल ब्रांच जैसे–रिहायबिलिटेशन, डायगनोस्टिक इत्यादि, होटल प्रंबधन, मॉस कम्यूनिकेशन, ट्रवेल / टूरिज्म / हॉस्पिटायलिटी प्रबंधन, आंतरिक साज–सज्जा, न्यूट्रिशन और डायटेटिक्स, कामर्सियल आर्ट, वित्तीय सेवाएं जैसे–बैंकिंग, इन्शयूरेन्श इत्यादि जिसके लिए प्रवेश परीक्षा 12 स्तर के हो। (ii) स्नातकोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रम जो समूह–1 में शामिल न हो जैसे–एम.ए., एम.एस.सी., एम.कॉम, एम.एड इत्यादि	820	530
समूह-3- स्नातक स्तरीय अन्य डिग्री पाठ्यक्रम (जो समूह–1 तथा 2 द्वारा शामिल नहीं किए गए हैं) जैसे–बी.ए., बी.एस.सी., बी.कॉम., बी.एड इत्यादि।	570	300
समूह-4- सभी पोस्ट मैट्रिकुलेशन स्तरीय नॉन डिग्री पाठ्यक्रम जिसके लिए प्रवेश परीक्षा हाईस्कूल स्तरीय हो। आई टी आई पाठ्यक्रम, त्रिवषीय पॉलिटेक्निक डिप्लोमा पाठ्यक्रम	380	230

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (निर्वाह भत्ता) (अनुसूचित जाति)

- आय–सीमा– रू. 2.50 लाख तक वार्षिक आय,
- भारत सरकार द्वारा छात्रवृत्ति की दरे वर्ष 2020–21 से वर्ष 2025–26 तक निम्नानुसार लागू है :–

समूह	छात्रवृत्ति की दरें (प्रति माह)	
	छात्रावासी	दिवा छात्र
समूह-1- डिग्री तथा स्नातकोत्तर स्तरीय प्रोफेशनल पाठ्यक्रम	1200	550
समूह-2 - डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट से संबंधित अन्य प्रोफेशनल पाठ्यक्रम	820	530
समूह-3- स्नातक एवं स्नातकोत्तरीय स्तरीय अन्य पाठ्यक्रम (जो समूह–1 तथा 2 द्वारा शामिल नहीं किए गए हैं)	570	300
समूह-4- सभी पोस्ट मैट्रिकुलेशन स्तरीय नॉन डिग्री पाठ्यक्रम जिसके लिए प्रवेश परीक्षा हाईस्कूल स्तरीय हो।	380	230

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति राज्य शासन की दर (पिछड़ा वर्ग)

- आय–सीमा–रू. 1,00,000/– तक वार्षिक
- वर्तमान में उक्त छात्रवृत्ति राज्य आयोजना से दी जा रही है। छात्रवृत्ति की दरें निम्नानुसार है :–

समूह	छात्रवृत्ति की दरें (माहवार रूपये)				
	अध्ययन का वर्ष	छात्रावासी		गैर छात्रावासी	
		छात्र	छात्रा		
अ–मेडिकल तथा इंजीनियरिंग	प्रथम वर्ष	210	220	100	100
	द्वितीय वर्ष	210	255	100	115
बी.व्ही.एस.सी. तथा बी.एस.सी. (कृषि)	प्रथम वर्ष	185	195	100	110
	द्वितीय वर्ष	185	200	100	115
आ–डिप्लोमा कोर्सेस, मेडिकल टेक्नालॉजी तथा पोस्ट ग्रेजुएट साइंस	प्रथम वर्ष	130	135	100	110
	द्वितीय वर्ष	130	135	100	110
इ–सर्टिफिकेट कोर्सेस इंजीनियरिंग, मेडिकल टेक्नालॉजी तथा पोस्ट ग्रेजुएट, आर्ट एवं कामर्स	प्रथम वर्ष	125	135	100	110
ई–सर्टिफिकेट कोर्सेस अप टू ग्रेजुएट लेवल व बाद के वर्ष	प्रथम वर्ष	100	110	55	70
	द्वितीय वर्ष	115	130	70	85
स–कक्षा – 11वीं		100	110	50	60
कक्षा – 12वीं		100	110	55	70

अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति

अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति शाखा की जानकारी (अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति शाखा)

भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, बौद्ध, जैन एवं पारसी समुदाय) के छात्र–छात्राओं के शैक्षणिक विकास के प्रयासों को प्रोत्साहित करने तथा शिक्षा के लिए पड़ने वाले आर्थिक भार को कम करने के उद्देश्य से निम्नांकित योजनाएं प्रारंभ है :–

1. मैट्रिक पूर्व (प्री. मैट्रिक) छात्रवृत्ति
2. मैट्रिकोत्तर (पोस्ट मैट्रिक) छात्रवृत्ति
3. मेरिट सह साधन आधारित (मेरिट कम मीन्स) छात्रवृत्ति

भारत सरकार द्वारा छात्रवृत्ति योजना के तहत् राज्य के अल्पसंख्यक समुदायवार लाभान्वितों की संख्या नियत की जाती है। अतः नियत संख्या से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर निर्धनता सह प्रावीण्यता के आधार पर चयन किया जाता है। कुल देय छात्रवृत्तियों का न्यूनतम 30 प्रतिशत छात्राओं को देय होता है, परन्तु वांछित संख्या तक छात्राओं के आवेदन पत्र प्राप्त न होने पर उक्त छात्रवृत्ति छात्रों को दी जाती है।

भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा उपर्युक्त योजनाओं का क्रियान्वयन राज्य सरकारों के माध्यम से किया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य में उपर्युक्त योजनाओं के क्रियान्वयन का दायित्व आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग पर है। लक्ष्य का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता है। नवीनीकरण के लिए लक्ष्य निर्धारित नहीं की जाती है।

योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी निम्नानुसार है :–

1. मैट्रिक पूर्व (प्री. मैट्रिक) छात्रवृत्ति

यह योजना वर्ष 2008–09 से प्रारंभ की गई है। यह छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक वर्ग के कक्षा 1ली से 10वीं तक के उन विद्यार्थियों को प्राप्त होती है, जो भारत के अन्दर शासकीय तथा निजी स्कूलों के साथ–साथ शासकीय आवासीय स्कूल तथा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त एवं अधिसूचित निजी आवासीय शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत है । इस योजना हेतु भारत सरकार द्वारा 100 प्रतिशत राशि का वहन किया जाता है।

प्रति शिक्षण वर्ष में 10 माह हेतु निम्नानुसार प्रवेश शुल्क, शिक्षण तथा भरण–पोषण भत्ता प्रदान किया जाता है :–

क्रमांक	विवरण		छात्रावासी	दिवा स्कालर (गैर छात्रावासी)	रिमार्क
1	कक्षा 1ली से 5वीं तक (भरण–पोषण भत्ता)		–	100/– प्रतिमाह	अथवा वास्तविक व्यय, जो भी कम हो।
2	कक्षा 6वीं से 10वीं तक	प्रवेश शुल्क	500/– प्रतिवर्ष	500/– प्रतिवर्ष	
		शिक्षण शुल्क	350/– प्रतिमाह	3500/– प्रतिमाह	
		भरण पोषण भत्ता	600/– प्रतिमाह	100/– प्रतिमाह	

पात्रता :-

1. पिछली वार्षिक परीक्षा में (कक्षा 1ली को छोड़कर) 50 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त होने पर।
2. पालक की वार्षिक आय 1.00 लाख से अधिक न होने की स्थिति में।
3. बैंक में खाता हो।

उपबंध :-

1. यह छात्रवृत्ति एक परिवार के केवल दो विद्यार्थियों को दी जाती है ।
2. 30 प्रतिशत छात्रवृत्ति छात्राओं के लिए चिन्हित है ।

आवेदन, चयन एवं वितरण की प्रक्रिया :-

भारत सरकार की वेबसाईट www.scholarships.gov.in में विद्यार्थियों द्वारा "आनलाईन" आवेदन किया जाकर forward/Submit किया जाता है तत्पश्चात् संस्था एवं जिला कार्यालय के द्वारा Scrutiny की जाती है । भारत सरकार के द्वारा ऑनलाईन चयन किया जाता है व डीबीटी के माध्यम से छात्रवृत्ति की राशि सीधे विद्यार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है।

वर्षवार लक्ष्य एवं उपलब्धि :-

<table>
<tr><th>वर्ष</th><th colspan="2">लक्ष्य/ उपलब्धि</th><th>मुस्लिम</th><th>ईसाई</th><th>सिक्ख</th><th>बौद्ध</th><th>जैन</th><th>पारसी</th><th>योग</th></tr>
<tr><td rowspan="5">2020-21</td><td colspan="2">लक्ष्य (नवीन)</td><td>6607</td><td>6293</td><td>898</td><td>904</td><td>789</td><td>0</td><td>15491</td></tr>
<tr><td rowspan="4">उपलब्धि</td><td>नवीन</td><td colspan="7" rowspan="3">भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015–16 से छात्रवृत्ति की राशि डी.बी.टी. के माध्यम से सीधे विद्यार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित की जा रही है। वर्ष 2020–21 में भारत सरकार के द्वारा 4210 विद्यार्थियों को राशि रूपये 129.00 लाख छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाकर डी.बी.टी. के माध्यम से वितरीत की गई है।</td></tr>
<tr><td>नवीनीकरण</td></tr>
<tr><td>योग</td></tr>
<tr><td rowspan="5">2021-22</td><td colspan="2">लक्ष्य (नवीन)</td><td>6607</td><td>6293</td><td>898</td><td>904</td><td>789</td><td>0</td><td>15491</td></tr>
<tr><td rowspan="4">उपलब्धि</td><td>नवीन</td><td colspan="7" rowspan="3">भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली स्तर से डी.बी.टी. के माध्यम से वर्ष 2021–22 छात्रवृत्ति की राशि वितरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।</td></tr>
<tr><td>नवीनीकरण</td></tr>
<tr><td>योग</td></tr>
</table>

मैट्रिकोत्तर (पोस्ट मैट्रिक) छात्रवृत्ति :-

यह योजना वर्ष 2007–08 से लागू है। यह छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक वर्ग के कक्षा 11वीं, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, एम. फिल एवं पी.एच.डी में अध्ययनरत/शोधरत विद्यार्थियों को जो भारत के अन्दर शासकीय तथा निजी स्कूलों के साथ–साथ शासकीय आवासीय स्कूल तथा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त एवं अधिसूचित निजी आवासीय शैक्षणिक संस्थाओं महाविद्यालय/विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत है। प्रति शिक्षण वर्ष में 10 माह हेतु निम्नानुसार प्रवेश शुल्क, शिक्षण तथा भरण–पोषण भत्ता प्रदान किया जाता है :–

क्र.	विवरण	छात्रावासी	दिवा स्कालर	रिमार्क
1	प्रवेश एवं शिक्षण शुल्क, कक्षा 11वीं एवं 12वीं	7,000/– प्रतिवर्ष	7,000/– प्रतिवर्ष	अथवा वास्तविक व्यय, जो भी कम हो।
2	प्रवेश एवं शिक्षण शुल्क, कक्षा 11वीं एवं 12वीं स्तर के तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम	10,000/– प्रतिवर्ष	10,000/– प्रतिवर्ष	
3	प्रवेश एवं शिक्षण शुल्क स्नातक एवं स्नाकोत्तर	3,000/– प्रतिवर्ष	3,000/– प्रतिवर्ष	
4	अनुरक्षण भत्ता (10 माह हेतु) 1. कक्षा 11वीं से 12वीं एवं इस स्तर के तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम	380/– प्रतिमाह	230/– प्रतिमाह	
	2. स्नातक एवं स्नाकोत्तर (तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम छोड़कर)	570/– प्रतिमाह	300/– प्रतिमाह	
	3. एम.फिल. और पी.एच.डी.	1200/– प्रतिमाह	550/– प्रतिमाह	

पात्रता :-

1. जिन्होने पिछली वार्षिक परीक्षा में 50 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त किया हो।
2. जिनके पालक की सभी स्त्रोंतों से आय रूपये 2.00 लाख वार्षिक से अधिक न हो।
3. बैंक में खाता हो।

उपबंध :-

1. यह छात्रवृत्ति एक परिवार के केवल दो विद्यार्थियों को दी जा सकेगी।
2. 30 प्रतिशत छात्रवृत्ति छात्राओं के लिए चिन्हित की गई है।
3. किसी भी अन्य योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं को इस छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी।
4. छात्रवृत्ति का नवीनीकरण कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने एवं निर्धारित वार्षिक आय पर किया जावेगा।
5. किसी भी तरह के त्रुटिपूर्ण/फर्जी जानकारी दिया जाना पाए जाने पर अथवा किसी कदाचरण के प्रमाणित होने पर छात्रवृत्ति निरस्त की जावेगी।

आवेदन की प्रक्रिया :-

भारत सरकार की वेबसाईट www.scholarships.gov.in में विद्यार्थियों द्वारा "आनलाईन" आवेदन किया जाकर forward/Submit किया जाता है तत्पश्चात् संस्था एवं जिला कार्यालय के द्वारा Scrutiny की जाती है। भारत सरकार के द्वारा ऑनलाईन चयन किया जाता है व डीबीटी के माध्यम से छात्रवृत्ति की राशि सीधे विद्यार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है।

वर्ष	लक्ष्य/ उपलब्धि		मुस्लिम	ईसाई	सिक्ख	बौद्ध	जैन	पारसी	योग
2020-21	लक्ष्य (नवीन)		1058	1035	180	169	145	02	2589
	उपलब्धि	नवीन	भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015–16 से छात्रवृत्ति की राशि डी.बी.टी. के माध्यम से सीधे विद्यार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित की जा रही है। वर्ष 2020–21 में भारत सरकार के द्वारा 2136 विद्यार्थियों को राशि रूपये 124.00 लाख छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाकर डी.बी.टी. के माध्यम से वितरीत की गई है।						
		नवीनीकरण							
		योग							
2021-22	लक्ष्य (नवीन)		1058	1035	180	169	145	02	2589
	उपलब्धि	नवीन	भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली स्तर से डी.बी.टी. के माध्यम से वर्ष 2021–22 छात्रवृत्ति की राशि वितरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।						
		नवीनीकरण							
		योग							

मेरिट सह साधन आधारित (मेरिट कम मीन्स) छात्रवृत्ति

यह योजना वर्ष 2007–08 से लागू है। छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक वर्ग के समस्त तकनीकी पाठ्यक्रमों (जैसे बीई, एमई, बीटेक, एमटेक, एमबीए, एमसीए, बीएससी नर्सिंग, एमबीबीए, एलएलबी इत्यादि शामिल है। इसकी विस्तृत सूची भारत सरकार के वेबसाईट एवं tribal.cg.gov.in पर देखे जा सकते हैं) में भारत के अंदर स्थित शैक्षणिक संस्थाओं तथा भारत सरकार द्वारा सूचित संस्थाओं में अध्ययनरत् विद्यार्थियों को दी जाती है:–

क्रमांक	विवरण	छात्रावासी	दिवा स्कालर
1	अनुरक्षण भत्ता (10 माह हेतु)	रू. 1000/– प्रतिमाह की दर से कुल रू. 10,000/–	रू. 500/– प्रतिमाह की दर से कुल 5,000/–
2	पाठ्यक्रम शुल्क	रू. 20,000/– प्रतिवर्ष या वास्तविक जो भी कम हो।	रू. 20,000/– वार्षिक या वास्तविक जो भी कम हो

पात्रता :-

1. यह छात्रवृत्ति उन विद्यार्थियों को दी जावेगी जिनका चयन मान्यता प्राप्त तकनीकी/व्यवसायिक संस्थाओं की प्रवेश परीक्षा में प्रावीण्य के आधार पर हुआ है।
2. यदि विद्यार्थी का प्रवेश बिना प्रतियोगी परीक्षा के हुआ है तो भी वे छात्रवृत्ति पाने के योग्य होंगे, बशर्ते उनका हायर सेकेण्डरी/स्नातक परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक या इससे अधिक हो।
3. जिनके पालक की सभी स्त्रोंतों से आय रूपये 2.50 लाख वार्षिक से अधिक न हो।
4. बैंक में खाता होना आवश्यक है।

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा
ब्लॉक सी. 30, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल,
इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)
फोन नं. 0771–2263412, फैक्स – 2263412, Email – highereducation.cg@gmail.com

क0/74/78/आउशि/बजट/2021 रायपुर दिनांक 23/9/21

प्रति,

प्राचार्य,
समस्त शासकीय महाविद्यालय,
छत्तीसगढ़

विषय :– **शासकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत अनुसूचित जाति छात्र–छात्राओं को निःशुल्क स्टेशनरी/पुस्तक क्रय हेतु आवंटन जारी करने बाबत् वर्ष 2021–22**

प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति छात्र–छात्राओं को निःशुल्क स्टेशनरी/पुस्तक हेतु संलग्न सूची अनुसार राशि का आवंटन प्रदाय की जा रही है।

उक्त संबंध में इस कार्यालय के पत्र कमांक 585/आउशि/ब.यो/07 दिनांक 10.12.07 के द्वारा दिये गये निर्देश यथावत लागू होंगें ।

उक्त व्यय मांग संख्या – 64– अनुसूचित जातियों के विशेष घटक योजना–2202– सामान्य शिक्षा– (03) वि.वि. और उच्च शिक्षा– 103– सरकारी कालेज एवं संस्थाये – 0103– अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना (4699) छात्रों के लिये पुस्तकें आदि का प्रदाय–11– छात्रवृत्तियां, वृत्तियां एवं अन्य हित लाभ–004– निशुल्क पुस्तकों का व्यय– वर्ष 2021–22 के अंतर्गत विकलनीय होगा । संलग्न सूची में आपके महाविद्यालय के सम्मुख स्टेशनरी/पुस्तक हेतु दर्शाये कॉलम 18 में आबंटित राशि नियमानुसार व्यय कर प्रगति प्रतिवेदन संचालनालय को अनिवार्यरूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

टीप :– वर्ष 2020–21 में प्रवेशित छात्र–छात्राओं के संख्या के आधार पर राशि आबंटित किया गया है। अतः वर्तमान वर्ष में प्रवेशित छात्र–छात्राओं के आधार पर व्यय किया जावें । यदि छात्र–छात्राओं की संख्या में वृद्धि हुई हो तो आवश्यक राशि हेतु मांग पत्र प्रस्तुत करें एवं छात्र–छात्रों की संख्या में कमी हुई हो तो शेष राशि को अनिवार्यरूप से समर्पित करें।

संलग्न – परिशिष्ट (ब)

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

22/9/21
अपर संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर (छ.ग.)
रायपुर दिनांक 23/9/21

पृ0 क0. 75/78/आउशि/बजट/21

प्रतिलिपि :–

1. महालेखाकार, छ.ग. रायपुर ।
2. आयुक्त, कोष, लेखा एवं पेंशन संचालनालय, रायपुर ।
3. संबंधित कोषालय अधिकारी, छ.ग.।

..... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

22/9/21
अपर संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर (छ.ग.)

अनुसूचित जाति के छात्रों को निःशुल्क स्टेशनरी/पुस्तकों का प्रदाय वर्ष 2021-22

मांग संख्या - 64 - अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना - 2202-03-103-0103 - (4699) - 11 - 004

अनुसूचित जाति

परिशिष्ट (ब)

क्र.	महाविद्यालय का नाम	स्नातक			प्रति छात्र 50 रूपये स्टेशनरी हेतु आवश्यक राशि	600 रूपये प्रति दो छात्र पुस्तको हेतु आवश्यक राशि	स्टेशनरी हेतु आवटन	पुस्तको हेतु आवंटन	स्नातकोत्तर			प्रति छात्र 50 रूपये स्टेशनरी हेतु आवश्यक राशि	600 रूपये प्रति दो छात्र पुस्तको हेतु आवश्यक राशि	स्टेशनरी हेतु आवंटन	पुस्तको हेतु आवंटन	महायोग	
		छात्र	छात्रा	योग					छात्र	छात्रा	योग					छात्र संख्या	आवंटित राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर	159	99	258	12900	77400	12900	0	33	45	78	3900	31200	3900	31200	336	48000
2	शासकीय दूधाधारी श्री वैष्णव स्नातकोत्तर संस्कृत महाविद्यालय, रायपुर	2	1	3	150	900	150	900	4	0	4	200	1600	200	1600	7	2850
3	शासकीय दूधाधारी बजरंग स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय, रायपुर	0	392	392	19600	117600	19600	0	0	109	109	5450	43600	5450	43600	501	68650
4	शासकीय पं. श्यामाचरण शुक्ल महाविद्यालय, धरसींवा, रायपुर	51	53	104	5200	31200	5200	31200	4	4	8	400	3200	400	3200	112	40000
5	शासकीय स्व. सत्यनारायण अग्रवाल महाविद्यालय, तिल्दा नेवरा (कोहका)	45	90	135	6750	40500	6750	40500	2	11	13	650	5200	650	5200	148	53100
6	डॉ. राधाबाई शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय, रायपुर	0	71	71	3550	21300	3550	21300	0	23	23	1150	9200	1150	9200	94	35200
7	शासकीय बद्री प्रसाद महाविद्यालय, आरंग	172	283	455	22750	136500	22750	0	50	53	103	5150	41200	5150	41200	558	69100
8	शासकीय उपाध्याय हीरालाल महाविद्यालय, अभनपुर	191	268	459	22950	137700	22950	0	22	49	71	3550	28400	3550	28400	530	54900
9	शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर	392	233	625	31250	187500	31250	0	56	95	151	7550	60400	7550	60400	776	99200
10	शासकीय महाविद्यालय, नवापारा गोबरा	66	55	121	6050	36300	6050	36300	7	3	10	500	4000	500	4000	131	46850
11	शासकीय कन्या महाविद्यालय देवेन्द्रनगर रायपुर	0	71	71	3550	21300	3550	21300	0	14	14	700	5600	700	5600	85	31150
12	शासकीय मॉडल डिग्री कॉलेज रायपुर	23	26	49	2450	14700	2450	14700	0	0	0	0	0	0	0	49	17150
13	शासकीय नवीन महाविद्यालय खरोरा	32	60	92	4600	27600	4600	27600	0	0	0	0	0	0	0	92	32200
14	शासकीय नवीन महाविद्यालय बीरगांव	24	23	47	2350	14100	2350	14100	0	0	0	0	0	0	0	47	16450
15	शासकीय नवीन महाविद्यालय गुढ़ियारी	9	12	21	1050	6300	1050	6300	0	0	0	0	0	0	0	21	7350
16	शासकीय नवीन महाविद्यालय भाठागांव	18	20	38	1900	11400	1900	11400	0	0	0	0	0	0	0	38	13300
17	शासकीय नवीन महाविद्यालय समोदा	22	35	57	2850	17100	2850	17100	0	0	0	0	0	0	0	57	19950
18	शासकीय गजानंद अग्रवाल महाविद्यालय, भाटापारा	236	307	543	27150	162900	27150	0	55	72	127	6350	50800	6350	50800	670	84300
19	शासकीय राजीव गांधी महाविद्यालय, सिमगा	66	104	170	8500	51000	8500	0	17	14	31	1550	12400	1550	12400	201	22450
20	शासकीय वृजलाल वर्मा महाविद्यालय, पलारी	146	180	326	16300	97800	16300	0	9	17	26	1300	10400	1300	10400	352	28000
21	शासकीय पी.जी. दाऊ कल्याण सिंह महाविद्यालय, बलौदाबाजार	293	198	491	24550	147300	24550	0	57	61	118	5900	47200	5900	47200	609	77650
22	शासकीय राजमहंत नयनदास महिलांग महाविद्यालय, भटगांव	71	101	172	8600	51600	8600	0	5	15	20	1000	8000	1000	8000	192	17600

अपर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय

क्र.	महाविद्यालय का नाम	स्नातक			प्रति छात्र 50 रूपये स्टेशनरी हेतु आवश्यक राशि	600 रूपये प्रति दो छात्र पुस्तको हेतु आवश्यक राशि	स्टेशनरी हेतु आवंटन	पुस्तको हेतु आवंटन	स्नातकोत्तर			प्रति छात्र 50 रूपये स्टेशनरी हेतु आवश्यक राशि	800 रूपये प्रति दो छात्र पुस्तको हेतु आवश्यक राशि	स्टेशनरी हेतु आवंटन	पुस्तको हेतु आवंटन	महायोग	
		छात्र	छात्रा	योग					छात्र	छात्रा	योग					छात्र संख्या	आवंटित राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
23	शासकीय मिनीमाता कन्या महाविद्यालय, बलौदाबाजार	0	279	279	13950	83700	13950	0	0	15	15	750	6000	750	6000	294	20700
24	शासकीय शहीदवीर नरायण सिंह महाविद्यालय, बिलाईगढ़	138	153	291	14550	87300	14550	0	9	14	23	1150	9200	1150	9200	314	24900
25	शासकीय स्व. दौलतराम महाविद्यालय, कसडोल	44	57	101	5050	30300	5050	30300	32	33	65	3250	26000	3250	26000	166	64600
26	शासकीय महाविद्यालय, लवन	85	72	157	7850	47100	7850	0	22	12	34	1700	13600	1700	13600	191	23150
27	शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय भाटापारा	22	9	31	1550	9300	1550	9300	0	0	0	0	0	0	0	31	10850
28	शासकीय नवीन महाविद्यालय सोनाखान	16	7	23	1150	6900	1150	6900	0	0	0	0	0	0	0	23	8050
29	शासकीय नवीन महाविद्यालय मोपका निपोनिया	16	11	27	1350	8100	1350	8100	0	0	0	0	0	0	0	27	9450
30	शासकीय नवीन महाविद्यालय बटगन	42	58	100	5000	30000	5000	30000	0	0	0	0	0	0	0	100	35000
31	शासकीय वीर सुरेन्द्र साय महाविद्यालय, गरियाबंद	24	34	58	2900	17400	2900	17400	2	2	4	200	1600	200	1600	62	22100
32	शासकीय राजीव लोचन महाविद्यालय, राजिम	65	116	181	9050	54300	9050	0	15	12	27	1350	10800	1350	10800	208	21200
33	शासकीय कचना धुरवा महाविद्यालय, छुरा	26	26	52	2600	15600	2600	15600	1	3	4	200	1600	200	1600	56	20000
34	शासकीय महाविद्यालय, देवभोग	39	47	86	4300	25800	4300	25800	9	9	18	900	7200	900	7200	104	38200
35	शासकीय नवीन महाविद्यालय, फिंगेश्वर	27	36	63	3150	18900	3150	18900	8	9	17	850	6800	850	6800	80	29700
36	शासकीय नवीन महाविद्यालय, मैनपुर	4	9	13	650	3900	650	3900	0	0	0	0	0	0	0	13	4550
37	शासकीय नवीन महाविद्यालय गोहरापदर	16	21	37	1850	11100	1850	11100	0	0	0	0	0	0	0	37	12950
38	शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महासमुन्द	244	238	482	24100	144600	24100	0	65	98	163	8150	65200	8150	65200	645	97450
39	शासकीय खेमराज लक्ष्मीचंद महाविद्यालय, बागबाहरा	93	70	163	8150	48900	8150	0	10	21	31	1550	12400	1550	12400	194	22100
40	शासकीय स्व. राजा विरेन्द्र बहादुर सिंह महाविद्यालय, सरायपाली	61	58	119	5950	35700	5950	35700	16	10	26	1300	10400	1300	10400	145	53350
41	शासकीय स्व. श्री जयदेव सतपथी महाविद्यालय, बसना	57	62	119	5950	35700	5950	35700	0	0	0	0	0	0	0	119	41650
42	शासकीय चन्द्रपाल महाविद्यालय, पिथौरा	56	77	133	6650	39900	6650	39900	11	9	20	1000	8000	1000	8000	153	55550
43	शासकीय माता कर्मा कन्या महाविद्यालय, महासमुन्द	0	43	43	2150	12900	2150	12900	0	0	0	0	0	0	0	43	15050
44	शासकीय नवीन महाविद्यालय, बलौदा, महासमुन्द	21	23	44	2200	13200	2200	13200	0	0	0	0	0	0	0	44	15400
45	शासकीय नवीन महाविद्यालय, चिरका, महासमुन्द	19	12	31	1550	9300	1550	9300	0	0	0	0	0	0	0	31	10850
46	शासकीय नवीन महाविद्यालय, तेन्दुकोना, महासमुन्द	12	17	29	1450	8700	1450	8700	0	0	0	0	0	0	0	29	10150
47	शासकीय नवीन महाविद्यालय, पिरदा, महासमुन्द	35	30	65	3250	19500	3250	19500	0	0	0	0	0	0	0	65	22750
48	शासकीय बाबू छोटेलाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धमतरी	118	102	220	11000	66000	11000	0	23	31	54	2700	21600	2700	21600	274	35300
49	शासकीय नारायण राव मेघावाले कन्या महाविद्यालय, धमतरी	0	48	48	2400	14400	2400	14400	0	0	0	0	0	0	0	48	16800
50	संत गुरु घासीदास शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कुरूद	70	121	191	9550	57300	9550	0	41	46	87	4350	34800	4350	34800	278	48700
51	शासकीय बुधराम नागे महाविद्यालय, नगरी	34	41	75	3750	22500	3750	22500	4	5	9	450	3600	450	3600	84	30300

क्र.	महाविद्यालय का नाम	स्नातक			प्रति छात्र 50 रूपये स्टेशनरी हेतु आवश्यक राशि	300 रूपये प्रति दो छात्र पुस्तकों हेतु आवश्यक राशि	स्टेशनरी हेतु आबंटन	पुस्तकों हेतु आबंटन	स्नातकोत्तर			प्रति छात्र 50 रूपये स्टेशनरी हेतु आवश्यक राशि	400 रूपये प्रति दो छात्र पुस्तकों हेतु आवश्यक राशि	स्टेशनरी हेतु आबंटन	पुस्तकों हेतु आबंटन	महायोग	
		छात्र	छात्रा	योग					छात्र	छात्रा	योग					छात्र संख्या	आबंटित राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
52	शासकीय महाविद्यालय [illegible]	41	62	103	5150	30900	5150	30900	18	23	41	2050	16400	2050	16400	144	54500
53	शासकीय नवीन महाविद्यालय [illegible]	14	18	32	1600	9600	1600	9600	0	0	0	0	0	0	0	32	11200
54	शासकीय नवीन महाविद्यालय [illegible]	3	3	6	300	1800	300	1800	0	0	0	0	0	0	0	6	2100
55	शासकीय नवीन महाविद्यालय [illegible]	2	3	5	250	1500	250	1500	0	0	0	0	0	0	0	5	1750
56	शासकीय [illegible] महाविद्यालय, दुर्ग	278	253	531	26550	159300	26550	0	71	77	148	7400	59200	7400	59200	679	93150
57	शासकीय डॉ. [illegible] कन्या महाविद्यालय, दुर्ग	0	311	311	15550	93300	15550	0	0	63	63	3150	25200	3150	25200	374	43900
58	शासकीय [illegible] महाविद्यालय, [illegible]	76	202	278	13900	83400	13900	0	10	31	41	2050	16400	2050	16400	319	32350
59	शासकीय [illegible] महाविद्यालय, [illegible]	57	117	174	8700	52200	8700	0	18	15	33	1650	13200	1650	13200	207	23550
60	शासकीय डॉ. [illegible] महाविद्यालय, भिलाई - 3	63	112	175	8750	52500	8750	0	24	26	50	2500	20000	2500	20000	225	31250
61	शासकीय [illegible] महाविद्यालय, [illegible]	38	43	81	4050	24300	4050	24300	3	6	9	450	3600	450	3600	90	32400
62	शासकीय महाविद्यालय, [illegible]	108	108	216	10800	64800	10800	0	16	23	39	1950	15600	1950	15600	255	28350
63	शासकीय नवीन महाविद्यालय, [illegible]	49	59	108	5400	32400	5400	32400	0	0	0	0	0	0	0	108	37800
64	शासकीय नवीन महाविद्यालय, [illegible]	13	26	39	1950	11700	1950	11700	2	1	3	150	1200	150	1200	42	15000
65	शासकीय महाविद्यालय [illegible] जिला दुर्ग	6	18	24	1200	7200	1200	7200	3	9	12	600	4800	600	4800	36	13800
66	शासकीय [illegible] महाविद्यालय [illegible]	55	140	225	11250	67500	11250	0	4	11	15	750	6000	750	6000	240	18000
67	शासकीय मोहन [illegible] कॉलेज दुर्ग	5	6	11	550	3300	550	3300	0	0	0	0	0	0	0	11	3850
68	शासकीय नवीन महाविद्यालय मचांदुर	6	13	19	950	5700	950	5700	0	0	0	0	0	0	0	19	6650
69	शासकीय नवीन महाविद्यालय जामुल	5	13	18	900	5400	900	5400	0	0	0	0	0	0	0	18	6300
70	शासकीय जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय, बेमेतरा	261	168	429	21450	128700	21450	0	34	68	102	5100	40800	5100	40800	531	67350
71	शासकीय स्व. [illegible] महाविद्यालय, साजा	28	60	88	4400	26400	4400	26400	6	9	15	750	6000	750	6000	103	37550
72	शासकीय [illegible] महाविद्यालय, नवागढ़	139	207	346	17300	103800	17300	0	26	37	63	3150	25200	3150	25200	409	45650
73	शासकीय महाविद्यालय, थानखम्हरिया	17	29	46	2300	13800	2300	13800	4	6	10	500	4000	500	4000	56	20600
74	शासकीय महाविद्यालय, बेरला	86	102	188	9400	56400	9400	0	8	3	11	550	4400	550	4400	199	14350
75	शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय, बेमेतरा	0	128	128	6400	38400	6400	38400	0	0	0	0	0	0	0	128	44800
76	शासकीय नवीन महाविद्यालय परपोड़ी	8	3	11	550	3300	550	3300	0	0	0	0	0	0	0	11	3850
77	शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त महाविद्यालय, बालोद	56	101	157	7850	47100	7850	0	9	17	26	1300	10400	1300	10400	183	19550
78	शासकीय एल.सी.जैन महाविद्यालय, दल्लीराजहरा	20	29	49	2450	14700	2450	14700	3	0	3	150	1200	150	1200	52	18500
79	शासकीय महाविद्यालय, अर्जुन्दा	48	82	130	6500	39000	6500	39000	8	11	19	950	7600	950	7600	149	54050
80	शासकीय शहीद कौशल यादव महाविद्यालय, गुण्डरदेही	31	50	81	4050	24300	4050	24300	6	8	14	700	5600	700	5600	95	34650
81	शासकीय कमला मांझी महाविद्यालय, डौंडी	14	20	34	1700	10200	1700	10200	0	0	0	0	0	0	0	34	11900

24/9/[illegible]

अपर संचालक (वित्त)

उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर

क्र	महाविद्यालय का नाम	स्नातक			प्रति छात्र 50 रूपये स्टेशनरी हेतु आवश्यक राशि	600 रूपये प्रति दो छात्र पुस्तको हेतु आवश्यक राशि	स्टेशनरी हेतु आवंटन	पुस्तको हेतु आवंटन	स्नातकोत्तर			प्रति छात्र 50 रूपये स्टेशनरी हेतु आवश्यक राशि	800 रूपये प्रति दो छात्र पुस्तको हेतु आवश्यक राशि	स्टेशनरी हेतु आवंटन	पुस्तको हेतु आवंटन	महायोग	
		छात्र	छात्रा	योग					छात्र	छात्रा	योग					छात्र संख्या	आवंटित राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
82	शासकीय एकलव्य महाविद्यालय, डौंडी लोहारा	26	38	64	3200	19200	3200	19200	2	2	4	200	1600	200	1600	68	24200
83	शासकीय महाविद्यालय, गुरूर	20	33	53	2650	15900	2650	15900	0	0	0	0	0	0	0	53	18550
84	शासकीय महाविद्यालय, डौंडी	10	8	18	900	5400	900	5400	4	1	5	250	2000	250	2000	23	8550
85	शासकीय नवीन महाविद्यालय, अरमरीकला	3	21	24	1200	7200	1200	7200	0	0	0	0	0	0	0	24	8400
86	शासकीय नवीन महाविद्यालय, बेलौदी	5	9	14	700	4200	700	4200	0	0	0	0	0	0	0	14	4900
87	शासकीय नवीन महाविद्यालय, मनगुवा	6	7	13	650	3900	650	3900	0	0	0	0	0	0	0	13	4550
88	शासकीय नवीन महाविद्यालय, मगुद बी	9	9	18	900	5400	900	5400	0	0	0	0	0	0	0	18	6300
89	शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय बालोद	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	शासकीय दिग्विजय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजनांदगांव	291	265	556	27800	166800	27800	0	72	84	156	7800	62400	7800	62400	712	98000
91	शासकीय कमलादेवी कन्या महाविद्यालय, राजनांदगांव	0	160	160	8000	48000	8000	0	0	29	29	1450	11600	1450	11600	189	21050
92	शासकीय शिवनाथ विज्ञान महाविद्यालय, राजनांदगांव	48	38	86	4300	25800	4300	25800	2	3	5	250	2000	250	2000	91	32350
93	शासकीय रानी अवन्ती बाई महाविद्यालय, घुमका	31	61	92	4600	27600	4600	27600	1	2	3	150	1200	150	1200	95	33550
94	शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोंगरगढ़	61	98	159	7950	47700	7950	47700	20	25	45	2250	18000	2250	18000	204	75900
95	शासकीय एल.बी.एस. महाविद्यालय, अम्बागढ़चौकी	49	54	103	5150	30900	5150	30900	10	14	24	1200	9600	1200	9600	127	46850
96	शासकीय रानी रश्मिदेवी महाविद्यालय, खैरागढ़	67	134	201	10050	60300	10050	0	8	20	28	1400	11200	1400	11200	229	22650
97	शासकीय डॉ. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर महाविद्यालय, डोंगरगांव	60	82	142	7100	42600	7100	42600	20	36	56	2800	22400	2800	22400	198	74900
98	शासकीय वीरांगना अवन्ती बाई महाविद्यालय, छुईखदान	39	54	93	4650	27900	4650	27900	7	3	10	500	4000	500	4000	103	37050
99	शासकीय कुंजबिहारी चौबे महाविद्यालय, लालबहादुर नगर	27	27	54	2700	16200	2700	16200	0	2	2	100	800	100	800	56	19800
100	शासकीय महाविद्यालय, रामाटोला	2	0	2	100	600	100	600	0	0	0	0	0	0	0	2	700
101	शासकीय रानी सूर्यमुखी देवी महाविद्यालय, छुरिया	33	54	87	4350	26100	4350	26100	2	4	6	300	2400	300	2400	93	33150
102	शासकीय लाल श्याम शाह महाविद्यालय, मानपुर	16	14	30	1500	9000	1500	9000	2	2	4	200	1600	200	1600	34	12300
103	शासकीय स्व. देवी प्रसाद चौबे महाविद्यालय, गण्डई	54	42	96	4800	28800	4800	28800	4	3	7	350	2800	350	2800	103	36750
104	शासकीय महाविद्यालय, मोहला	18	15	33	1650	9900	1650	9900	0	0	0	0	0	0	0	33	11550
105	शासकीय नवीन महाविद्यालय, साल्हेवारा	32	33	65	3250	19500	3250	19500	0	1	1	50	400	50	400	66	23200
106	शासकीय मॉडल डिग्री कॉलेज राजनांदगांव	1	1	2	100	600	100	600	0	0	0	0	0	0	0	2	700
107	शासकीय नवीन महाविद्यालय ठेलकाडीह राजनांदगांव	9	25	34	1700	10200	1700	10200	0	0	0	0	0	0	0	34	11900
108	शासकीय नवीन महाविद्यालय औंधी राजनांदगांव	1	1	2	100	600	100	600	0	0	0	0	0	0	0	2	700
109	शासकीय आचार्य पंत श्री गधमुनि नाम साहब स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा	566	312	878	43900	263400	43900	0	119	118	237	11850	94800	11850	94800	1115	150550
110	शासकीय गजानंद माधव मुक्तिबोध महाविद्यालय, सहसपुर लोहारा	27	27	54	2700	16200	2700	16200	0	0	0	0	0	0	0	54	18900
111	शासकीय इंदिरागांधी महाविद्यालय, पंडरिया	145	162	307	15350	92100	15350	0	18	17	35	1750	14000	1750	14000	342	31100

27/9/17

उप संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर

क्र.	महाविद्यालय का नाम	स्नातक			प्रति छात्र 50 रूपये स्टेशनरी हेतु आवश्यक राशि	600 रूपये प्रति दो छात्र पुस्तको हेतु आवश्यक राशि	स्टेशनरी हेतु आवटन	पुस्तको हेतु आवंटन	स्नातकोत्तर			प्रति छात्र 50 रूपये स्टेशनरी हेतु आवश्यक राशि	600 रूपये प्रति दो छात्र पुस्तको हेतु आवश्यक राशि	स्टेशनरी हेतु आवटन	पुस्तको हेतु आवंटन	महायोग	
		छात्र	छात्रा	योग					छात्र	छात्रा	योग					छात्र संख्या	आवंटित राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
112	शासकीय राजमाता विजया राजे सिंधिया कन्या महाविद्यालय, कबीरधाम	0	278	278	13900	83400	13900	0	0	0	0	0	0	0	0	278	13900
113	शासकीय महाविद्यालय, बोड़ला	54	53	107	5350	32100	5350	32100	6	4	10	500	4000	500	4000	117	41950
114	शासकीय नवीन महाविद्यालय, पाण्डातराई	57	40	97	4850	29100	4850	29100	10	10	20	1000	8000	1000	8000	117	42950
115	शासकीय नवीन महाविद्यालय, पिपरिया	40	47	87	4350	26100	4350	26100	0	0	0	0	0	0	0	87	30450
116	शासकीय नवीन महाविद्यालय झलमला	1	0	1	50	300	50	300	0	0	0	0	0	0	0	1	350
117	शासकीय नवीन महाविद्यालय कुई कुकदूर	6	7	13	650	3900	650	3900	0	0	0	0	0	0	0	13	4550
118	शासकीय भानु प्रतापदेव स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कांकेर	50	42	92	4600	27600	4600	27600	12	13	25	1250	10000	1250	10000	117	43450
119	शासकीय इंदरू केंवट कन्या महाविद्यालय, कांकेर	0	30	30	1500	9000	1500	9000	0	4	4	200	1600	200	1600	34	12300
120	शासकीय महर्षि वाल्मीकी महाविद्यालय, भानुप्रतापपुर	28	28	56	2800	16800	2800	16800	7	14	21	1050	8400	1050	8400	77	29050
121	शासकीय वीर गैंद सिंह महाविद्यालय, पखांजूर	3	6	9	450	2700	450	2700	1	0	1	50	400	50	400	10	3600
122	शासकीय शहीद गैंद सिंह महाविद्यालय, चारामा	13	27	40	2000	12000	2000	12000	1	0	1	50	400	50	400	41	14450
123	शासकीय लाल कलिन्द्र सिंह महाविद्यालय, अन्तागढ़	5	9	14	700	4200	700	4200	0	0	0	0	0	0	0	14	4900
124	शासकीय नवीन महाविद्यालय, सरोना	5	10	15	750	4500	750	4500	0	0	0	0	0	0	0	15	5250
125	शासकीय नवीन महाविद्यालय, दुर्गकोंदल	6	7	13	650	3900	650	3900	0	0	0	0	0	0	0	13	4550
126	शासकीय मॉडल डिग्री कॉलेज कांकेर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	शासकीय नवीन महाविद्यालय कुई नरहरपुर	5	8	13	650	3900	650	3900	0	0	0	0	0	0	0	13	4550
128	शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर	43	36	79	3950	23700	3950	23700	8	20	28	1400	11200	1400	11200	107	40250
129	शासकीय दन्तेश्वरी महिला महाविद्यालय, जगदलपुर	0	45	45	2250	13500	2250	13500	0	2	2	100	800	100	800	47	16650
130	शासकीय महाविद्यालय, भानपुरी	1	5	6	300	1800	300	1800	1	0	1	50	400	50	400	7	2550
131	शासकीय महाविद्यालय, बकावण्ड	5	8	13	650	3900	650	3900	0	0	0	0	0	0	0	13	4550
132	शासकीय नवीन महाविद्यालय तोकापाल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	शासकीय मॉडल डिग्री कॉलेज जगदलपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	शासकीय गुण्डाधुर महाविद्यालय, कोण्डागांव	35	23	58	2900	17400	2900	17400	6	13	19	950	7600	950	7600	77	28850
135	शासकीय दण्डकारण्य महाविद्यालय, केशकाल	10	13	23	1150	6900	1150	6900	0	1	1	50	400	50	400	24	8500
136	शासकीय नवीन महाविद्यालय फरसगांव	6	15	21	1050	6300	1050	6300	0	0	0	0	0	0	0	21	7350
137	शासकीय स्वामी आत्मानंद महाविद्यालय, नारायणपुर	23	23	46	2300	13800	2300	13800	1	1	2	100	800	100	800	48	17000
138	शासकीय दन्तेश्वरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दन्तेवाड़ा	8	7	15	750	4500	750	4500	1	6	7	350	2800	350	2800	22	8400
139	शासकीय अरविन्द महाविद्यालय, किरंदुल	3	10	13	650	3900	650	3900	0	4	4	200	1600	200	1600	17	6350
140	शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय, दन्तेवाड़ा	0	7	7	350	2100	350	2100	0	1	1	50	400	50	400	8	2900
141	शासकीय नवीन महाविद्यालय, जावंगा, गीदम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	शासकीय नवीन महाविद्यालय, कटेकल्याण	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

24/7/14

अपर संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर

क्र.	महाविद्यालय का नाम	स्नातक			प्रति छात्र 50 रूपये स्टेशनरी हेतु आवश्यक राशि	800 रूपये प्रति दो छात्र पुस्तको हेतु आवश्यक राशि	स्टेशनरी हेतु आवटन	पुस्तको हेतु आवंटन	स्नातकोत्तर			प्रति छात्र 50 रूपये स्टेशनरी हेतु आवश्यक राशि	800 रूपये प्रति दो छात्र पुस्तको हेतु आवश्यक राशि	स्टेशनरी हेतु आवटन	पुस्तको हेतु आवंटन	महा...	
		छात्र	छात्रा	योग					छात्र	छात्रा	योग					छात्र संख्या	आवश्यक राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
143	शासकीय शहीद बापूलाल महाविद्यालय, सुकमा	1	5	6	300	1800	300	1800	0	0	0	0	0	0	0	6	2100
144	शासकीय नवीन महाविद्यालय, कोन्टा	1	0	1	50	300	50	300	0	0	0	0	0	0	0	1	350
145	शासकीय शहीद वेंकट राव महाविद्यालय, बीजापुर	1	8	9	450	2700	450	2700	0	1	1	50	400	50	400	10	3600
146	शासकीय इंद्रावती महाविद्यालय, भोपालपटनम	4	8	12	600	3600	600	3600	0	0	0	0	0	0	0	12	4200
147	शासकीय नवीन महाविद्यालय, मेरपल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	शासकीय डॉ. राधाबाई राव स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, बिलासपुर	223	95	318	15900	95400	15900	0	52	42	94	4700	37600	4700	37600	412	58200
149	शासकीय जमुना प्रसाद वर्मा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासपुर	422	283	705	35250	211500	35250	0	121	93	214	10700	85600	10700	85600	919	131550
150	शासकीय बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासपुर	0	527	527	26350	158100	26350	0	0	221	221	11050	88400	11050	88400	748	125800
151	शासकीय माता शबरी नवीन कन्या महाविद्यालय, बिलासपुर	0	144	144	7200	43200	7200	43200	0	21	21	1050	8400	1050	8400	165	59850
152	शासकीय डॉ. भवर सिंह पोर्ते महाविद्यालय, पेन्ड्रा	41	59	100	5000	30000	5000	30000	30	27	57	2850	22800	2850	22800	157	60650
153	शासकीय पं. माधवराव सप्रे महाविद्यालय, पेन्ड्रारोड	9	30	39	1950	11700	1950	11700	2	5	7	350	2800	350	2800	46	16800
154	शासकीय जे.एम.पी. महाविद्यालय, लखनपुर	194	167	361	18050	108300	18050	0	36	47	83	4150	33200	4150	33200	444	55400
155	शासकीय अग्रसेन महाविद्यालय, बिल्हा	154	163	317	15850	95100	15850	0	25	58	83	4150	33200	4150	33200	400	53200
156	शासकीय निरंजन केशरवानी महाविद्यालय, कोटा	88	75	163	8150	48900	8150	48900	12	10	22	1100	8800	1100	8800	185	66950
157	शासकीय मदनलाल शुक्ला महाविद्यालय, सीपत	133	158	291	14550	87300	14550	0	57	45	102	5100	40800	5100	40800	393	60450
158	शासकीय पातालेश्वर महाविद्यालय, मस्तूरी	198	222	420	21000	126000	21000	0	70	69	139	6950	55600	6950	55600	559	83550
159	शासकीय महामाया महाविद्यालय, रतनपुर	108	110	218	10900	65400	10900	65400	20	11	31	1550	12400	1550	12400	249	90250
160	शासकीय महाविद्यालय, मरवाही	5	8	13	650	3900	650	3900	0	0	0	0	0	0	0	13	4550
161	शासकीय राजीव गांधी कला/वाणिज्य महाविद्यालय, लोरमी	100	111	211	10550	63300	10550	0	29	28	57	2850	22800	2850	22800	268	36200
162	शासकीय डॉ. ज्वाला प्रसाद मिश्र महाविद्यालय, मुंगेली	70	50	120	6000	36000	6000	36000	47	31	78	3900	31200	3900	31200	198	77100
163	शासकीय वीरांगना अवन्तीबाई लोधी महाविद्यालय, पथरिया	158	132	290	14500	87000	14500	0	29	15	44	2200	17600	2200	17600	334	34300
164	शासकीय महाविद्यालय, सरगांव	86	90	176	8800	52800	8800	0	0	0	0	0	0	0	0	176	8800
165	शासकीय नवीन महाविद्यालय, कोतरी	32	17	49	2450	14700	2450	14700	0	0	0	0	0	0	0	49	17150
166	शासकीय नवीन महाविद्यालय, फास्टरपुर (सेतगंगा)	105	110	215	10750	64500	10750	0	0	0	0	0	0	0	0	215	10750
167	शासकीय एस.एन.जी. महाविद्यालय मुंगेली	163	138	301	15050	90300	15050	0	55	53	108	5400	43200	5400	43200	409	63650
168	शासकीय नवीन महाविद्यालय अमोरा	34	18	52	2600	15600	2600	15600	0	0	0	0	0	0	0	52	18200
169	शासकीय टी.सी.एल. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जांजगीर	371	247	618	30900	185400	30900	0	103	141	244	12200	97600	12200	97600	862	140700
170	शासकीय जाज्वल्यदेव नवीन कन्या महाविद्यालय, जांजगीर	0	201	201	10050	60300	10050	0	0	14	14	700	5600	700	5600	215	16350
171	शासकीय डॉ. इन्द्रजीत सिंह महाविद्यालय, अकलतरा	150	227	377	18850	113100	18850	0	58	59	117	5850	46800	5850	46800	494	71500

अवर संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर

क.	महाविद्यालय का नाम	स्नातक			प्रति छात्र 50 रूपये स्टेशनरी हेतु आवश्यक राशि	600 रूपये प्रति दो छात्र पुस्तकों हेतु आवश्यक राशि	स्टेशनरी हेतु आबंटन	पुस्तकों हेतु आबंटन	स्नातकोत्तर			प्रति छात्र 50 रूपये स्टेशनरी हेतु आवश्यक राशि	800 रूपये प्रति दो छात्र पुस्तकों हेतु आवश्यक राशि	स्टेशनरी हेतु आबंटन	पुस्तकों हेतु आबंटन	महायोग	
		छात्र	छात्रा	योग					छात्र	छात्रा	योग					छात्र संख्या	आबंटित राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
172	शासकीय लक्ष्मणेश्वर महाविद्यालय,खरौद	143	202	345	17250	103500	17250	0	33	50	83	4150	33200	4150	33200	428	54600
173	शासकीय मयूरध्वज महादानी राजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चाम्पा	164	174	338	16900	101400	16900	0	43	60	103	5150	41200	5150	41200	441	63250
174	शासकीय महाविद्यालय, डभरा	167	186	353	17650	105900	17650	0	21	19	40	2000	16000	2000	16000	393	35650
175	शासकीय महाविद्यालय, मालखरौदा	267	272	539	26950	161700	26950	0	49	46	95	4750	38000	4750	38000	634	69700
176	शासकीय कांति कुमार भारतीय महाविद्यालय, सक्ती	59	49	108	5400	32400	5400	32400	8	5	13	650	5200	650	5200	121	43650
177	शासकीय महाविद्यालय, जैजैपुर	151	160	311	15550	93300	15550	0	43	45	88	4400	35200	4400	35200	399	55150
178	शासकीय महाविद्यालय, बलौदा	132	157	289	14450	86700	14450	0	49	24	73	3650	29200	3650	29200	362	47300
179	शासकीय महाविद्यालय, हसौद	384	333	717	35850	215100	35850	0	69	103	172	8600	68800	8600	68800	889	113250
180	शासकीय नवीन महाविद्यालय, पामगढ़	143	195	338	16900	101400	16900	0	28	35	63	3150	25200	3150	25200	401	45250
181	शासकीय नवीन महाविद्यालय, नवागढ़	90	110	200	10000	60000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	200	10000
182	शासकीय नवीन महाविद्यालय, चन्द्रपुर	39	29	68	3400	20400	3400	20400	0	0	0	0	0	0	0	68	23800
183	शासकीय नवीन महाविद्यालय, नगरदा	13	27	40	2000	12000	2000	12000	0	0	0	0	0	0	0	40	14000
184	शासकीय नवीन महाविद्यालय, बिर्रा	33	41	74	3700	22200	3700	22200	0	0	0	0	0	0	0	74	25900
185	शासकीय इ. विश्वेसरैया स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोरबा	182	153	335	16750	100500	16750	0	56	77	133	6650	53200	6650	53200	468	76600
186	शासकीय मिनी माता कन्या महाविद्यालय,कोरबा	0	199	199	9950	59700	9950	0	0	39	39	1950	15600	1950	15600	238	27500
187	शासकीय मुकुटधर पाण्डे महाविद्यालय, कटघोरा	73	88	161	8050	48300	8050	48300	4	1	5	250	2000	250	2000	166	58600
188	शासकीय महाविद्यालय, भैसमा	83	115	198	9900	59400	9900	0	3	10	13	650	5200	650	5200	211	15750
189	शासकीय महाविद्यालय, करतला	10	5	15	750	4500	750	4500	0	0	0	0	0	0	0	15	5250
190	शासकीय महाविद्यालय, दीपका	4	24	28	1400	8400	1400	8400	0	0	0	0	0	0	0	28	9800
191	शासकीय महाविद्यालय, बरपाली	61	74	135	6750	40500	6750	40500	1	1	2	100	800	100	800	137	48150
192	शासकीय नवीन महाविद्यालय, पाली	12	20	32	1600	9600	1600	9600	2	1	3	150	1200	150	1200	35	12550
193	शासकीय महाविद्यालय, हरदीबाजार	112	156	268	13400	80400	13400	0	36	44	80	4000	32000	4000	32000	348	49400
194	शासकीय नवीन महाविद्यालय जटगा	5	0	5	250	1500	250	1500	0	0	0	0	0	0	0	5	1750
195	शासकीय किरोड़ीमल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायगढ़	215	223	438	21900	131400	21900	0	66	66	132	6600	52800	6600	52800	570	81300
196	शासकीय किशोरी मोहन त्रिपाठी महिला महाविद्यालय, रायगढ़	0	153	153	7650	45900	7650	45900	0	25	25	1250	10000	1250	10000	178	64800
197	शासकीय पी.डी. महाविद्यालय, रायगढ़	114	62	176	8800	52800	8800	0	7	12	19	950	7600	950	7600	195	17350
198	शासकीय महात्मा गांधी कला/विज्ञान महाविद्यालय,खरसिया	144	148	292	14600	87600	14600	0	36	50	86	4300	34400	4300	34400	378	53300
199	शासकीय लोचन प्रसाद पाण्डे महाविद्यालय,सारंगढ़	274	276	550	27500	165000	27500	0	52	65	117	5850	46800	5850	46800	667	80150
200	शासकीय संत गहिरा गुरू रामेश्वर महाविद्यालय, लैलूंगा	25	35	60	3000	18000	3000	18000	4	2	6	300	2400	300	2400	66	23700
201	शासकीय महाविद्यालय, धरमजयगढ़	15	17	32	1600	9600	1600	9600	0	0	0	0	0	0	0	32	11200

अपर संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर

क्र.	महाविद्यालय का नाम	स्नातक			प्रति छात्र 50 रूपये स्टेशनरी हेतु आवश्यक राशि	800 रूपये प्रति दो छात्र पुस्तको हेतु आवश्यक राशि	स्टेशनरी हेतु आवंटन	पुस्तको हेतु आवंटन	स्नातकोत्तर			प्रति छात्र 50 रूपये स्टेशनरी हेतु आवश्यक राशि	800 रूपये प्रति दो छात्र पुस्तको हेतु आवश्यक राशि	स्टेशनरी हेतु आवंटन	पुस्तको हेतु आवंटन	महा[illegible]	
		छात्र	छात्रा	योग					छात्र	छात्रा	योग					छात्र संख्या	आवंटित राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
202	शासकीय महाविद्यालय, तमनार	34	28	62	3100	18600	3100	18600	0	0	0	0	0	0	0	62	21700
203	शासकीय महाविद्यालय, घरघोड़ा	20	12	32	1600	9600	1600	9600	7	6	13	650	5200	650	5200	45	17050
204	शासकीय नवीन महाविद्यालय, जोबी	7	10	17	850	5100	850	5100	0	0	0	0	0	0	0	17	5950
205	शासकीय नवीन महाविद्यालय, पुसौर	19	35	54	2700	16200	2700	16200	0	0	0	0	0	0	0	54	18900
206	शासकीय नवीन महाविद्यालय, बरमकेला	38	49	87	4350	26100	4350	26100	4	2	6	300	2400	300	2400	93	33150
207	शासकीय नवीन महाविद्यालय, सरिया	11	24	35	1750	10500	1750	10500	0	0	0	0	0	0	0	35	12250
208	शासकीय एन. ई. एस. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जशपुरनगर	27	11	38	1900	11400	1900	11400	6	10	16	800	6400	800	6400	54	20500
209	शासकीय विजयभूषण सिंहदेव स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, जशपुर	0	28	28	1400	8400	1400	8400	0	13	13	650	5200	650	5200	41	15650
210	शासकीय ठाकुर शोभा सिंह महाविद्यालय, पत्थलगांव	41	52	93	4650	27900	4650	27900	2	8	10	500	4000	500	4000	103	37050
211	शासकीय बाला साहेब देशपाण्डे महाविद्यालय, कुनकुरी	11	15	26	1300	7800	1300	7800	0	0	0	0	0	0	0	26	9100
212	शासकीय महाविद्यालय, बगीचा	11	5	16	800	4800	800	4800	0	0	0	0	0	0	0	16	5600
213	शासकीय महाविद्यालय, तपकरा	4	13	17	850	5100	850	5100	0	0	0	0	0	0	0	17	5950
214	शासकीय महाविद्यालय, दुलदुला	2	2	4	200	1200	200	1200	0	0	0	0	0	0	0	4	1400
215	शासकीय नवीन महाविद्यालय, आस्ता	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	100	800	100	800	2	900
216	शासकीय नवीन महाविद्यालय, कांसाबेल	0	4	4	200	1200	200	1200	0	0	0	0	0	0	0	4	1400
217	शासकीय नवीन महाविद्यालय, बागबहार	4	6	10	500	3000	500	3000	0	0	0	0	0	0	0	10	3500
218	शासकीय नवीन महाविद्यालय, मनोरा	2	1	3	150	900	150	900	0	0	0	0	0	0	0	3	1050
219	शासकीय राजीवगांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अंबिकापुर	110	69	179	8950	53700	8950	0	14	21	35	1750	14000	1750	14000	214	24700
220	शासकीय राजमोहनी देवी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अंबिकापुर	0	68	68	3400	20400	3400	20400	0	11	11	550	4400	550	4400	79	28750
221	शासकीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी महाविद्यालय, सीतापुर	11	30	41	2050	12300	2050	12300	0	11	11	550	4400	550	4400	52	19300
222	शासकीय राजकुमार धीरज सिंह महाविद्यालय, उदयपुर	12	12	24	1200	7200	1200	7200	0	0	0	0	0	0	0	24	8400
223	शासकीय नवीन विज्ञान महाविद्यालय अम्बिकापुर	4	4	8	400	2400	400	2400	0	0	0	0	0	0	0	8	2800
224	शासकीय नवीन महाविद्यालय बतौली	9	6	15	750	4500	750	4500	0	0	0	0	0	0	0	15	5250
225	शासकीय नवीन महाविद्यालय लखनपुर	8	7	15	750	4500	750	4500	0	0	0	0	0	0	0	15	5250
226	शासकीय नवीन महाविद्यालय कमलेश्वरपुर (मैनपाट)	3	4	7	350	2100	350	2100	0	0	0	0	0	0	0	7	2450
227	शासकीय रेवतीरमण मिश्र महाविद्यालय, सूरजपुर	32	39	71	3550	21300	3550	21300	3	9	12	600	4800	600	4800	83	30250
228	शासकीय कालीदास महाविद्यालय, प्रतापपुर	10	16	26	1300	7800	1300	7800	4	7	11	550	4400	550	4400	37	14050
229	शासकीय महाविद्यालय, विश्रामपुर	3	15	18	900	5400	900	5400	0	0	0	0	0	0	0	18	6300
230	शासकीय महाविद्यालय, रामानुजनगर	14	8	22	1100	6600	1100	6600	0	0	0	0	0	0	0	22	7700
231	शासकीय महाविद्यालय, सिलफिली	6	6	12	600	3600	600	3600	0	0	0	0	0	0	0	12	4200

अपर संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर

क्र.	महाविद्यालय का नाम	स्नातक			प्रति छात्र 50 रूपये स्टेशनरी हेतु आवश्यक राशि	000 रूपये प्रति दो छात्र पुस्तको हेतु आवश्यक राशि	स्टेशनरी हेतु आवंटन	पुस्तको हेतु आवंटन	स्नातकोत्तर			प्रति छात्र 50 रूपये स्टेशनरी हेतु आवश्यक राशि	000 रूपये प्रति दो छात्र पुस्तको हेतु आवश्यक राशि	स्टेशनरी हेतु आवंटन	पुस्तको हेतु आवंटन	महायोग	
		छात्र	छात्रा	योग					छात्र	छात्रा	योग					छात्र संख्या	आवंटित राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
232	शासकीय महाविद्यालय, भैयाथान	14	11	25	1250	7500	1250	7500	1	2	3	150	1200	150	1200	28	10100
233	शासकीय नवीन महाविद्यालय, ओडगी	1	2	3	150	900	150	900	0	0	0	0	0	0	0	3	1050
234	शासकीय नवीन महाविद्यालय, प्रेमनगर	2	2	4	200	1200	200	1200	0	0	0	0	0	0	0	4	1400
235	शासकीय नवीन महाविद्यालय, डुमरिया जलही	8	12	20	1000	6000	1000	6000	0	0	0	0	0	0	0	20	7000
236	शासकीय नवीन महाविद्यालय, बादनी बिहालपुर	6	8	14	700	4200	700	4200	0	0	0	0	0	0	0	14	4900
237	शासकीय स्व श्री महली भगत महाविद्यालय, कुसमी	8	9	17	850	5100	850	5100	0	0	0	0	0	0	0	17	5950
238	शासकीय रानी दुर्गावती महाविद्यालय, बालकनगर	48	29	77	3850	23100	3850	23100	0	0	0	0	0	0	0	77	26950
239	शासकीय लरंगसाय महाविद्यालय,. रामानुजगंज	9	10	19	950	5700	950	5700	2	2	4	200	1600	200	1600	23	8450
240	शासकीय महाविद्यालय, बलरामपुर	7	5	12	600	3600	600	3600	0	0	0	0	0	0	0	12	4200
241	शासकीय महाविद्यालय, राजपुर	3	9	12	600	3600	600	3600	0	0	0	0	0	0	0	12	4200
242	शासकीय नवीन महाविद्यालय, सनावल	10	11	21	1050	6300	1050	6300	0	0	0	0	0	0	0	21	7350
243	शासकीय नवीन महाविद्यालय, शंकरगढ़	6	8	14	700	4200	700	4200	0	0	0	0	0	0	0	14	4900
244	शासकीय नवीन महाविद्यालय, रामचंद्रपुर	2	3	5	250	1500	250	1500	0	0	0	0	0	0	0	5	1750
245	शासकीय रामानुज प्रताप सिंहदेव स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बैकुन्ठपुर	42	15	57	2850	17100	2850	17100	14	12	26	1300	10400	1300	10400	83	31650
246	शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय, बैकुण्ठपुर	0	51	51	2550	15300	2550	15300	0	0	0	0	0	0	0	51	17850
247	शासकीय विवेकानंद महाविद्यालय, मनेन्द्रगढ	33	42	75	3750	22500	3750	22500	2	12	14	700	5600	700	5600	89	32550
248	शासकीय लाहिडी महाविद्यालय, चिरमिरी	20	49	69	3450	20700	3450	20700	10	7	17	850	6800	850	6800	86	31800
249	शासकीय महाविद्यालय, जनकपुर	16	11	27	1350	8100	1350	8100	0	0	0	0	0	0	0	27	9450
250	शासकीय महाविद्यालय, खड़गवां	10	9	19	950	5700	950	5700	0	0	0	0	0	0	0	19	6650
251	शासकीय नवीन महाविद्यालय, पटना	13	19	32	1600	9600	1600	9600	0	0	0	0	0	0	0	32	11200
252	शासकीय नवीन महाविद्यालय, सौनहत	3	6	9	450	2700	450	2700	0	0	0	0	0	0	0	9	3150
253	शासकीय नवीन महाविद्यालय, केल्हारी	2	2	4	200	1200	200	1200	0	0	0	0	0	0	0	4	1400
	योग	13703	17601	31304	1565200	9391200	1565200	2593800	2632	3723	6355	317750	2542000	317750	2542000	37659	7018750

संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा
ब्लॉक सी. 30, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल,
इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)

फोन नं. 0771–2263412, फैक्स – 2263412, Email – highereducation.cg@gmail.com

क0/75/78 /आउशि/बजट/2020 रायपुर दिनांक 23/9/21

प्रति,

प्राचार्य,
समस्त शासकीय महाविद्यालय
छत्तीसगढ़

विषय :– **शासकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति छात्र–छात्राओं को निःशुल्क स्टेशनरी/पुस्तक क्रय हेतु आवंटन जारी करने बाबत् वर्ष 2021–22**

प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति छात्र–छात्राओं को निःशुल्क स्टेशनरी/पुस्तक हेतु संलग्न सूची अनुसार राशि का आवंटन प्रदाय की जा रही है।

उक्त संबंध में इस कार्यालय के पत्र कमांक 585/आउशि/ब.यो/07 दिनांक 10.12.07 के द्वारा दिये गये निर्देश यथावत लागू होंगें ।

उक्त व्यय मांग संख्या – 41– आदिवासी क्षेत्र उपयोजना–2202– सामान्य शिक्षा– (03) वि.वि. और उच्च शिक्षा– 103– सरकारी कालेज एवं संस्थाये – 0102– अनुसूचित जनजाति क्षेत्र उपयोजना (9805) आदिवासी छात्रों को पुस्तक /स्टेशनरी का गुप्त प्रदाय–11– छात्रवृत्तियां, वृत्तियां एवं अन्य हित लाभ–013– अन्य हित लाभ वर्ष 2021–22 के अंतर्गत विकलनीय होगा । संलग्न सूची में आपके महाविद्यालय के सम्मुख स्टेशनरी/पुस्तक हेतु दर्शाये कॉलम 18 में आबंटित राशि नियमानुसार व्यय कर प्रगति प्रतिवेदन संचालनालय को अनिवार्यरूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

टीप :– वर्ष 2020–21 में प्रवेशित छात्र–छात्राओं के संख्या के आधार पर राशि आबंटित किया गया है। अतः वर्तमान वर्ष में प्रवेशित छात्र–छात्राओं के आधार पर व्यय किया जावें । यदि छात्र–छात्राओं की संख्या में वृद्धि हुई हो तो आवश्यक राशि हेतु मांग पत्र प्रस्तुत करें एवं छात्र–छात्रों की संख्या में कमी हुई हो तो शेष राशि को अनिवार्यरूप से समर्पित करें।

संलग्न – परिशिष्ट (अ)

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

23/9/21
अपर संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर (छ.ग.)
रायपुर दिनांक 23/9/21

पृ0 क0. 75/78 /आउशि/बजट/21

प्रतिलिपि :–

1. महालेखाकार, छ.ग. रायपुर ।
2. आयुक्त, कोष, लेखा एवं पेंशन संचालनालय, रायपुर ।
3. संबंधित कोषालय अधिकारी, छ.ग.।

..... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

23/9/21
अपर संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर (छ.ग.)

अनुसूचित जनजाति के छात्रों को निःशुल्क स्टेशनरी / पुस्तकों का प्रदाय वर्ष 2021–22

मांग संख्या – 41 – आदिवासी क्षेत्र उपयोजना – 2202–03–103–0102 – (9805) – 11 – 013

अनुसूचित जनजाति

परिशिष्ट (अ)

क्र.	महाविद्यालय का नाम	स्नातक			प्रति छात्र 50 रूपये स्टेशनरी हेतु आवश्यक राशि	600 रूपये प्रति दो छात्र पुस्तको हेतु आवश्यक राशि	स्टेशनरी हेतु आवटन	पुस्तको हेतु आवंटन	स्नातकोत्तर			प्रति छात्र 50 रूपये स्टेशनरी हेतु आवश्यक राशि	600 रूपये प्रति दो छात्र पुस्तको हेतु आवश्यक राशि	स्टेशनरी हेतु आवटन	पुस्तको हेतु आवंटन	महायोग	
		छात्र	छात्रा	योग					छात्र	छात्रा	योग					छात्र संख्या	आवंटित राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर	260	153	413	20650	123900	20650	0	37	31	68	3400	27200	3400	0	481	24050
2	शासकीय दूधाधारी श्री वैष्णव स्नातकोत्तर संस्कृत महाविद्यालय, रायपुर	1	0	1	50	300	50	300	6	1	7	350	2800	350	0	8	700
3	शासकीय दूधाधारी बजरंग स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय, रायपुर	0	337	337	16850	101100	16850	0	0	115	115	5750	46000	5750	0	452	22600
4	शासकीय पं. श्यामाचरण शुक्ल महाविद्यालय, धरसींवा, रायपुर	9	14	23	1150	6900	1150	0	0	1	1	50	400	50	0	24	1200
5	शासकीय स्व. सत्यनारायण अग्रवाल महाविद्यालय, तिल्दा नेवरा (कोहका)	10	14	24	1200	7200	1200	7200	2	1	3	150	1200	150	1200	27	9750
6	डॉ. राधाबाई शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय, रायपुर	0	47	47	2350	14100	2350	0	0	16	16	800	6400	800	0	63	3150
7	शासकीय बद्री प्रसाद महाविद्यालय, आरंग	15	29	44	2200	13200	2200	13200	4	9	13	650	5200	650	5200	57	21250
8	शासकीय काव्योपाध्याय हीरालाल महाविद्यालय, अभनपुर	22	40	62	3100	18600	3100	18600	2	6	8	400	3200	400	3200	70	25300
9	शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर	230	105	335	16750	100500	16750	0	108	81	189	9450	75600	9450	0	524	26200
10	शासकीय महाविद्यालय, नवापारा गोबरा	25	46	71	3550	21300	3550	21300	1	2	3	150	1200	150	1200	74	26200
11	शासकीय कन्या महाविद्यालय देवेन्द्रनगर रायपुर	0	27	27	1350	8100	1350	0	0	4	4	200	1600	200	0	31	1550
12	शासकीय मॉडल डिग्री कॉलेज रायपुर	6	4	10	500	3000	500	0	0	0	0	0	0	0	0	10	500
13	शासकीय नवीन महाविद्यालय खरोरा	2	1	3	150	900	150	900	0	0	0	0	0	0	0	3	1050
14	शासकीय नवीन महाविद्यालय बीरगांव	11	13	24	1200	7200	1200	7200	0	0	0	0	0	0	0	24	8400
15	शासकीय नवीन महाविद्यालय गुढ़ियारी	7	8	15	750	4500	750	4500	0	0	0	0	0	0	0	15	5250
16	शासकीय नवीन महाविद्यालय माठागांव	3	11	14	700	4200	700	4200	0	0	0	0	0	0	0	14	4900
17	शासकीय नवीन महाविद्यालय समोदा	5	2	7	350	2100	350	2100	0	0	0	0	0	0	0	7	2450
18	शासकीय गजानंद अग्रवाल महाविद्यालय, भाटापारा	83	124	207	10350	62100	10350	0	16	35	51	2550	20400	2550	0	258	12900
19	शासकीय राजीव गांधी महाविद्यालय, सिमगा	9	21	30	1500	9000	1500	0	3	1	4	200	1600	200	0	34	1700
20	शासकीय बृजलाल वर्मा महाविद्यालय, पलारी	22	25	47	2350	14100	2350	14100	3	1	4	200	1600	200	1600	51	18250
21	शासकीय पी.जी. दाऊ कल्याण सिंह महाविद्यालय, बलौदाबाजार	135	80	215	10750	64500	10750	0	19	21	40	2000	16000	2000	0	255	12750
22	शासकीय राजमहंत नयनदास महिलांग महाविद्यालय, भटगांव	13	19	32	1600	9600	1600	9600	2	2	4	200	1600	200	1600	36	13000
23	शासकीय मिनीमाता कन्या महाविद्यालय, बलौदाबाजार	0	124	124	6200	37200	6200	0	0	3	3	150	1200	150	0	127	6350

उप संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर

क्र.	महाविद्यालय का नाम	स्नातक			प्रति छात्र 50 रूपये स्टेशनरी हेतु आवश्यक राशि	600 रूपये प्रति दो छात्र पुस्तकों हेतु आवश्यक राशि	स्टेशनरी हेतु आवंटन	पुस्तकों हेतु आवंटन	स्नातकोत्तर			प्रति छात्र 50 रूपये स्टेशनरी हेतु आवश्यक राशि	600 रूपये प्रति दो छात्र पुस्तकों हेतु आवश्यक राशि	स्टेशनरी हेतु आवंटन	पुस्तकों हेतु आवंटन	महायोग	
		छात्र	छात्रा	योग					छात्र	छात्रा	योग					छात्र संख्या	आवंटित राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
24	शासकीय शहीदवीर नारायण सिंह महाविद्यालय, बिलाईगढ़	35	15	50	2500	15000	2500	15000	3	2	5	250	2000	250	2000	55	19750
25	शासकीय स्व. दौलतराम महाविद्यालय, कसडोल	80	103	183	9150	54900	9150	0	15	32	47	2350	18800	2350	0	230	11500
26	शासकीय महाविद्यालय, लवन	32	21	53	2650	15900	2650	15900	5	0	5	250	2000	250	2000	58	20800
27	शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय भाटापारा	1	2	3	150	900	150	900	0	0	0	0	0	0	0	3	1050
28	शासकीय नवीन महाविद्यालय सोनाखान	16	19	35	1750	10500	1750	10500	0	0	0	0	0	0	0	35	12250
29	शासकीय नवीन महाविद्यालय मोपका निपानिया	9	8	17	850	5100	850	5100	0	0	0	0	0	0	0	17	5950
30	शासकीय नवीन महाविद्यालय कटगन	7	9	16	800	4800	800	4800	0	0	0	0	0	0	0	16	5600
31	शासकीय वीर सुरेन्द्र साय महाविद्यालय, गरियाबंद	142	256	398	19900	119400	19900	0	19	26	45	2250	18000	2250	0	443	22150
32	शासकीय राजीव लोचन महाविद्यालय, राजिम	57	81	138	6900	41400	6900	41400	7	8	15	750	6000	750	6000	153	55050
33	शासकीय कचना धुरवा महाविद्यालय, छुरा	126	124	250	12500	75000	12500	0	12	8	20	1000	8000	1000	0	270	13500
34	शासकीय महाविद्यालय, देवभोग	49	29	78	3900	23400	3900	23400	7	7	14	700	5600	700	5600	92	33600
35	शासकीय नवीन महाविद्यालय, फिंगेश्वर	27	47	74	3700	22200	3700	22200	2	6	8	400	3200	400	3200	82	29500
36	शासकीय नवीन महाविद्यालय, मैनपुर	42	58	100	5000	30000	5000	30000	0	0	0	0	0	0	0	100	35000
37	शासकीय नवीन महाविद्यालय गोहरापदर	54	36	90	4500	27000	4500	27000	0	0	0	0	0	0	0	90	31500
38	शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महासमुन्द	248	281	529	26450	158700	26450	0	65	90	155	7750	62000	7750	0	684	34200
39	शासकीय खेमराज लक्ष्मीचंद महाविद्यालय, बागबाहरा	110	146	256	12800	76800	12800	0	15	14	29	1450	11600	1450	0	285	14250
40	शासकीय स्व. राजा विरेन्द्र बहादुर सिंह महाविद्यालय, सरायपाली	122	139	261	13050	78300	13050	0	20	31	51	2550	20400	2550	0	312	15600
41	शासकीय स्व. श्री जयदेव सतपथी महाविद्यालय, बसना	84	145	229	11450	68700	11450	0	0	0	0	0	0	0	0	229	11450
42	शासकीय चन्द्रपाल महाविद्यालय, पिथौरा	163	245	408	20400	122400	20400	0	35	32	67	3350	26800	3350	0	475	23750
43	शासकीय माता कर्मा कन्या महाविद्यालय, महासमुन्द	0	50	50	2500	15000	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	50	2500
44	शासकीय नवीन महाविद्यालय, बलौदा, महासमुन्द	38	59	97	4850	29100	4850	29100	0	0	0	0	0	0	0	97	33950
45	शासकीय नवीन महाविद्यालय, चिरका, महासमुन्द	20	27	47	2350	14100	2350	14100	0	0	0	0	0	0	0	47	16450
46	शासकीय नवीन महाविद्यालय, तेन्दुकोना, महासमुन्द	39	63	102	5100	30600	5100	30600	0	0	0	0	0	0	0	102	35700
47	शासकीय नवीन महाविद्यालय, पिरदा, महासमुन्द	24	36	60	3000	18000	3000	18000	0	0	0	0	0	0	0	60	21000
48	शासकीय बाबू छोटेलाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धमतरी	243	260	503	25150	150900	25150	0	44	103	147	7350	58800	7350	0	650	32500
49	शासकीय नारायण राव मेघावाले कन्या महाविद्यालय,, धमतरी	0	163	163	8150	48900	8150	0	0	0	0	0	0	0	0	163	8150
50	संत गुरु घासीदास शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कुरूद	95	153	248	12400	74400	12400	0	28	54	82	4100	32800	4100	0	330	16500
51	शासकीय सुखराम नागे महाविद्यालय, नगरी	215	342	557	27850	167100	27850	0	18	32	50	2500	20000	2500	0	607	30350
52	शासकीय महाविद्यालय, मखारा	46	58	104	5200	31200	5200	31200	8	23	31	1550	12400	1550	12400	135	50350

22/9/1

अपर संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर

क्र.	महाविद्यालय का नाम	स्नातक			प्रति छात्र 50 रूपये स्टेशनरी हेतु आवश्यक राशि	600 रूपये प्रति दो छात्र पुस्तकों हेतु आवश्यक राशि	स्टेशनरी हेतु आवंटन	पुस्तकों हेतु आवंटन	स्नातकोत्तर			प्रति छात्र 50 रूपये स्टेशनरी हेतु आवश्यक राशि	800 रूपये प्रति दो छात्र पुस्तकों हेतु आवश्यक राशि	स्टेशनरी हेतु आवंटन	पुस्तकों हेतु आवंटन	महायोग	
		छात्र	छात्रा	योग					छात्र	छात्रा	योग					छात्र संख्या	आवंटित राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
53	शासकीय नवीन महाविद्यालय, [illegible]	25	33	58	2900	17400	2900	17400	0	0	0	0	0	0	0	58	20300
54	शासकीय नवीन महाविद्यालय, [illegible]	2	7	9	450	2700	450	2700	0	0	0	0	0	0	0	9	3150
55	शासकीय नवीन महाविद्यालय, [illegible]	4	6	10	500	3000	500	3000	0	0	0	0	0	0	0	10	3500
56	शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्नातकोत्तर कला/विज्ञान महाविद्यालय, दुर्ग	300	350	650	32500	195000	32500	0	66	114	180	9000	72000	9000	0	830	41500
57	शासकीय डॉ. वामन वासुदेव पाटणकर कन्या महाविद्यालय, दुर्ग	0	325	325	16250	97500	16250	0	0	92	92	4600	36800	4600	0	417	20850
58	शासकीय दानवीर तुलाराम महाविद्यालय, उतई	29	39	68	3400	20400	3400	20400	3	18	21	1050	8400	1050	8400	89	33250
59	शासकीय [illegible] महाविद्यालय, पाटन	29	59	88	4400	26400	4400	26400	8	5	13	650	5200	650	5200	101	36650
60	शासकीय डॉ. खूबचन्द बघेल महाविद्यालय, भिलाई - 3	10	41	51	2550	15300	2550	15300	3	6	9	450	3600	450	3600	60	21900
61	शासकीय [illegible] महाविद्यालय, [illegible]	14	15	29	1450	8700	1450	8700	1	11	12	600	4800	600	4800	41	15550
62	शासकीय महाविद्यालय, धमधा	29	44	73	3650	21900	3650	21900	3	6	9	450	3600	450	3600	82	29600
63	शासकीय नवीन महाविद्यालय, जामगांव (आर)	24	52	76	3800	22800	3800	22800	0	0	0	0	0	0	0	76	26600
64	शासकीय नवीन महाविद्यालय, बोरी	5	4	9	450	2700	450	2700	0	1	1	50	400	50	400	10	3600
65	शासकीय महाविद्यालय [illegible] जिला दुर्ग	0	7	7	350	2100	350	2100	1	18	19	950	7600	950	7600	26	11000
66	शासकीय नागरिक कल्याण महाविद्यालय नंदिनीनगर अहिवारा	14	13	27	1350	8100	1350	8100	1	0	1	50	400	50	400	28	9900
67	शासकीय [illegible] हिन्दी कॉलेज दुर्ग	11	13	24	1200	7200	1200	7200	0	0	0	0	0	0	0	24	8400
68	शासकीय नवीन महाविद्यालय [illegible]	0	8	8	400	2400	400	2400	0	0	0	0	0	0	0	8	2800
69	शासकीय नवीन महाविद्यालय [illegible]	0	1	1	50	300	50	300	0	0	0	C	0	0	0	1	350
70	शासकीय जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय, बेमेतरा	47	27	74	3700	22200	3700	22200	4	9	13	650	5200	650	5200	87	31750
71	शासकीय [illegible] महाविद्यालय, साजा	17	27	44	2200	13200	2200	13200	1	2	3	150	1200	150	1200	47	16750
72	शासकीय [illegible] महाविद्यालय, नवागढ़	21	23	44	2200	13200	2200	13200	1	3	4	200	1600	200	1600	48	17200
73	शासकीय महाविद्यालय, थानखम्हरिया	17	28	45	2250	13500	2250	13500	2	8	10	500	4000	500	4000	55	20250
74	शासकीय महाविद्यालय, बेरला	10	9	19	950	5700	950	5700	2	0	2	100	800	100	800	21	7550
75	शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय, बेमेतरा	0	39	39	1950	11700	1950	11700	0	0	0	0	0	0	0	39	13650
76	शासकीय नवीन महाविद्यालय परपोड़ी	5	5	10	500	3000	500	3000	0	0	0	0	0	0	0	10	3500
77	शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त महाविद्यालय, बालोद	278	475	753	37650	225900	37650	0	28	71	99	4950	39600	4950	0	852	42600
78	शासकीय एन.सी.जैन महाविद्यालय, दल्लीराजहरा	135	178	313	15650	93900	15650	0	34	40	74	3700	29600	3700	0	387	19350
79	शासकीय महाविद्यालय, अर्जुन्दा	84	191	275	13750	82500	13750	0	9	23	32	1600	12800	1600	0	307	15350
80	शासकीय शहीद कौशल यादव महाविद्यालय, गुण्डरदेही	15	37	52	2600	15600	2600	15600	1	8	9	450	3600	450	3600	61	22250
81	शासकीय कंगला मांझी महाविद्यालय, डौंडी	118	265	383	19150	114900	19150	0	0	0	0	0	0	0	0	383	19150
82	शासकीय एकलव्य महाविद्यालय, डौंडी लोहारा	173	329	502	25100	150600	25100	0	31	57	88	4400	35200	4400	0	590	29500

अपर संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर

क्र.	महाविद्यालय का नाम	स्नातक			प्रति छात्र 50 रूपये स्टेशनरी हेतु आवश्यक राशि	800 रूपये प्रति दो छात्र पुस्तको हेतु आवश्यक राशि	स्टेशनरी हेतु आवंटन	पुस्तको हेतु आवंटन	स्नातकोत्तर			प्रति छात्र 50 रूपये स्टेशनरी हेतु आवश्यक राशि	800 रूपये प्रति दो छात्र पुस्तको हेतु आवश्यक राशि	स्टेशनरी हेतु आवंटन	पुस्तको हेतु आवंटन	[illegible]	
		छात्र	छात्रा	योग					छात्र	छात्रा	योग					छात्र संख्या	आवंटित राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
83	शासकीय महाविद्यालय, गुरूर	61	176	237	11850	71100	11850	0	0	0	0	0	0	0	0	237	11850
84	शासकीय महाविद्यालय, डौंडी	128	69	197	9850	59100	9850	59100	11	8	19	950	7600	950	7600	216	77500
85	शासकीय नवीन महाविद्यालय, अरमरीकला	17	23	40	2000	12000	2000	12000	0	0	0	0	0	0	0	40	14000
86	शासकीय नवीन महाविद्यालय, बेलौदी	8	40	48	2400	14400	2400	14400	0	0	0	0	0	0	0	48	16800
87	शासकीय नवीन महाविद्यालय, मंगचुवा	112	94	206	10300	61800	10300	61800	0	0	0	0	0	0	0	206	72100
88	शासकीय नवीन महाविद्यालय, भाटुद बी	3	10	13	650	3900	650	3900	0	0	0	0	0	0	0	13	4550
89	शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय बालोद	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	शासकीय दिग्विजय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजनांदगांव	419	297	716	35800	214800	35800	0	99	93	192	9600	76800	9600	0	908	45400
91	शासकीय कमलादेवी कन्या महाविद्यालय, राजनांदगांव	0	428	428	21400	128400	21400	0	0	67	67	3350	26800	3350	0	495	24750
92	शासकीय शिवनाथ विज्ञान महाविद्यालय, राजनांदगांव	109	61	170	8500	51000	8500	0	11	10	21	1050	8400	1050	0	191	9550
93	शासकीय रानी अवन्ती बाई महाविद्यालय, घुमका	8	19	27	1350	8100	1350	8100	0	0	0	0	0	0	0	27	9450
94	शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोंगरगढ़	109	161	270	13500	81000	13500	0	33	33	66	3300	26400	3300	0	336	16800
95	शासकीय एस.सी.एस. महाविद्यालय, अम्बागढ़चौकी	233	266	499	24950	149700	24950	0	45	42	87	4350	34800	4350	0	586	29300
96	शासकीय रानी रश्मिदेवी महाविद्यालय, खैरागढ़	73	94	167	8350	50100	8350	50100	10	10	20	1000	8000	1000	8000	187	67450
97	शासकीय डॉ. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर महाविद्यालय, डोंगरगांव	272	358	630	31500	189000	31500	0	58	77	135	6750	54000	6750	0	765	38250
98	शासकीय वीरांगना अवन्ती बाई महाविद्यालय, छुईखदान	60	37	97	4850	29100	4850	29100	6	4	10	500	4000	500	4000	107	38450
99	शासकीय कुंजबिहारी चौबे महाविद्यालय, लालबहादुर नगर	102	167	269	13450	80700	13450	0	4	12	16	800	6400	800	0	285	14250
100	शासकीय महाविद्यालय, रामाटोला	15	11	26	1300	7800	1300	7800	0	0	0	0	0	0	0	26	9100
101	शासकीय रानी सूर्यमुखी देवी महाविद्यालय, छुरिया	115	157	272	13600	81600	13600	0	3	13	16	800	6400	800	0	288	14400
102	शासकीय लाल श्याम शाह महाविद्यालय, मानपुर	148	211	359	17950	107700	17950	0	23	24	47	2350	18800	2350	0	406	20300
103	शासकीय स्व. देवी प्रसाद चौबे महाविद्यालय, गंडई	55	44	99	4950	29700	4950	29700	4	5	9	450	3600	450	3600	108	38700
104	शासकीय महाविद्यालय, मोहला	142	280	422	21100	126600	21100	0	17	24	41	2050	16400	2050	0	463	23150
105	शासकीय नवीन महाविद्यालय, साल्हेवारा	8	6	14	700	4200	700	4200	4	3	7	350	2800	350	2800	21	8050
106	शासकीय मॉडल डिग्री कॉलेज राजनांदगांव	1	0	1	50	300	50	300	0	0	0	0	0	0	0	1	350
107	शासकीय नवीन महाविद्यालय टेलकाडीह राजनांदगांव	2	0	2	100	600	100	600	0	0	0	0	0	0	0	2	700
108	शासकीय नवीन महाविद्यालय औंधी राजनांदगांव	32	29	61	3050	18300	3050	18300	0	0	0	0	0	0	0	61	21350
109	शासकीय आचार्य पंत श्री गंधमुनि नाम साहब स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा	210	71	281	14050	84300	14050	0	55	98	153	7650	61200	7650	0	434	21700
110	शासकीय गजानंद माधव मुक्तिबोध महाविद्यालय, सहसपुर लोहारा	47	73	120	6000	36000	6000	36000	1	3	4	200	1600	200	1600	124	43800
111	शासकीय इंदिरागांधी महाविद्यालय, पंडरिया	21	33	54	2700	16200	2700	16200	2	14	16	800	6400	800	6400	70	26100

27/9/14

अपर संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर

पुस्तकों हेतु आवंटन | छात्र संख्या | आवंटित राशि | महायोग | 18

क्र.	महाविद्यालय का नाम	स्नातक			प्रति छात्र 50 रूपये स्टेशनरी हेतु आवश्यक राशि	600 रूपये प्रति दो छात्र पुस्तकों हेतु आवश्यक राशि	स्टेशनरी हेतु आवंटन	पुस्तकों हेतु आवंटन	स्नातकोत्तर			प्रति छात्र 50 रूपये स्टेशनरी हेतु आवश्यक राशि	600 रूपये प्रति दो छात्र पुस्तकों हेतु आवश्यक राशि	स्टेशनरी हेतु आवंटन	पुस्तकों हेतु आवंटन	महायोग	
		छात्र	छात्रा	योग					छात्र	छात्रा	योग					छात्र संख्या	आवंटित राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
112	शासकीय राजमाता विजया राजे सिंधिया कन्या महाविद्यालय, कबीरधाम	0	213	213	10650	63900	10650	0	0	0	0	0	0	0	0	213	10650
113	शासकीय महाविद्यालय, बोड़ला	128	128	256	12800	76800	12800	0	10	6	16	800	6400	800	0	272	13600
114	शासकीय नवीन महाविद्यालय, पाण्डातराई	13	6	19	950	5700	950	5700	2	4	6	300	2400	300	2400	25	9350
115	शासकीय नवीन महाविद्यालय, पिपरिया	18	22	40	2000	12000	2000	12000	0	0	0	0	0	0	0	40	14000
116	शासकीय नवीन महाविद्यालय झलमला	10	14	24	1200	7200	1200	7200	0	0	0	0	0	0	0	24	8400
117	शासकीय नवीन महाविद्यालय कुई कुकदूर	74	50	124	6200	37200	6200	37200	0	0	0	0	0	0	0	124	43400
118	शासकीय भानु प्रतापदेव स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कांकेर	457	522	979	48950	293700	48950	0	103	136	239	11950	95600	11950	0	1218	60900
119	शासकीय इंदरू केंवट कन्या महाविद्यालय, कांकेर	0	263	263	13150	78900	13150	0	0	30	30	1500	12000	1500	0	293	14650
120	शासकीय महर्षि वाल्मीकी महाविद्यालय, भानुप्रतापपुर	253	333	586	29300	175800	29300	0	41	80	121	6050	48400	6050	0	707	35350
121	शासकीय वीर गैंद सिंह महाविद्यालय, पखांजूर	55	59	114	5700	34200	5700	34200	0	0	0	0	0	0	0	114	39900
122	शासकीय शहीद गैंद सिंह महाविद्यालय, चारामा	139	273	412	20600	123600	20600	0	1	14	15	750	6000	750	0	427	21350
123	शासकीय लाल कलिन्द्र सिंह महाविद्यालय, अन्तागढ़	109	101	210	10500	63000	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	210	10500
124	शासकीय नवीन महाविद्यालय, सरोना	74	155	229	11450	68700	11450	68700	0	0	0	0	0	0	0	229	80150
125	शासकीय नवीन महाविद्यालय, दुर्गकोन्दल	100	142	242	12100	72600	12100	72600	0	0	0	0	0	0	0	242	84700
126	शासकीय मॉडल डिग्री कॉलेज कांकेर	3	8	11	550	3300	550	3300	0	0	0	0	0	0	0	11	3850
127	शासकीय नवीन महाविद्यालय कुई नरहरपुर	117	122	239	11950	71700	11950	71700	0	0	0	0	0	0	0	239	83650
128	शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर	423	386	809	40450	242700	40450	0	82	92	174	8700	69600	8700	0	983	49150
129	शासकीय दन्तेश्वरी महिला महाविद्यालय, जगदलपुर	0	114	114	5700	34200	5700	0	0	28	28	1400	11200	1400	0	142	7100
130	शासकीय महाविद्यालय, भानपुरी	132	104	236	11800	70800	11800	0	10	15	25	1250	10000	1250	0	261	13050
131	शासकीय महाविद्यालय, बकावण्ड	74	85	159	7950	47700	7950	47700	0	0	0	0	0	0	0	159	55650
132	शासकीय नवीन महाविद्यालय तोकापाल	97	80	177	8850	53100	8850	53100	0	0	0	0	0	0	0	177	61950
133	शासकीय मॉडल डिग्री कॉलेज जगदलपुर	28	29	57	2850	17100	2850	0	0	0	0	0	0	0	0	57	2850
134	शासकीय गुंडाधुर महाविद्यालय, कोण्डागांव	266	255	521	26050	156300	26050	0	56	67	123	6150	49200	6150	0	644	32200
135	शासकीय दण्डकारण्य महाविद्यालय, केशकाल	254	300	554	27700	166200	27700	0	6	3	9	450	3600	450	0	563	28150
136	शासकीय नवीन महाविद्यालय फरसगांव	110	130	240	12000	72000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	240	12000
137	शासकीय स्वामी आत्मानंद महाविद्यालय, नारायणपुर	180	203	383	19150	114900	19150	0	13	19	32	1600	12800	1600	0	415	20750
138	शासकीय दन्तेश्वरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दन्तेवाड़ा	390	213	603	30150	180900	30150	0	52	66	118	5900	47200	5900	0	721	36050
139	शासकीय अरविन्द महाविद्यालय, किरंदुल	58	44	102	5100	30600	5100	30600	47	32	79	3950	31600	3950	31600	181	71250
140	शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय, दन्तेवाड़ा	0	211	211	10550	63300	10550	0	0	24	24	1200	9600	1200	0	235	11750
141	शासकीय नवीन महाविद्यालय, जावंगा, गीदम	37	20	57	2850	17100	2850	17100	0	0	0	0	0	0	0	57	19950
142	शासकीय नवीन महाविद्यालय, कटेकल्याण	17	7	24	1200	7200	1200	7200	0	0	0	0	0	0	0	24	8400

21/9/21
अपर संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर

क्र.	महाविद्यालय का नाम	स्नातक			प्रति छात्र 50 रूपये स्टेशनरी हेतु आवश्यक राशि	600 रूपये प्रति दो छात्र पुस्तकों हेतु आवश्यक राशि	स्टेशनरी हेतु आवंटन	पुस्तकों हेतु आवंटन	स्नातकोत्तर			प्रति छात्र 50 रूपये स्टेशनरी हेतु आवश्यक राशि	600 रूपये प्रति दो छात्र पुस्तकों हेतु आवश्यक राशि	स्टेशनरी हेतु आवंटन	पुस्तकों हेतु आवंटन		
		छात्र	छात्रा	योग					छात्र	छात्रा	योग					छात्र संख्या	[illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
143	शासकीय शहीद बापूराव महाविद्यालय, सुकमा	123	100	223	11150	66900	11150	0	12	8	20	1000	8000	1000	0	243	12150
144	शासकीय नवीन महाविद्यालय, कोन्टा	55	36	91	4550	27300	4550	27300	0	0	0	0	0	0	0	91	31850
145	शासकीय शहीद वेंकट राव महाविद्यालय, बीजापुर	66	85	151	7550	45300	7550	45300	4	6	10	500	4000	500	4000	161	57350
146	शासकीय इंद्रावती महाविद्यालय, भोपालपटनम	96	78	174	8700	52200	8700	52200	0	0	0	0	0	0	0	174	60900
147	शासकीय नवीन महाविद्यालय, भैरमगढ़	33	24	57	2850	17100	2850	17100	0	0	0	0	0	0	0	57	19950
148	शासकीय ई. राघवेन्द्र राव स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, बिलासपुर	142	75	217	10850	65100	10850	0	49	49	98	4900	39200	4900	0	315	15750
149	शासकीय जमुना प्रसाद वर्मा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासपुर	284	184	468	23400	140400	23400	0	68	59	127	6350	50800	6350	0	595	29750
150	शासकीय बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासपुर	0	561	561	28050	168300	28050	0	0	182	182	9100	72800	9100	0	743	37150
151	शासकीय माता शबरी नवीन कन्या महाविद्यालय, बिलासपुर	0	57	57	2850	17100	2850	0	0	13	13	650	5200	650	0	70	3500
152	शासकीय डॉ. भंवर सिंह पोर्ते महाविद्यालय, पेन्ड्रा	197	389	586	29300	175800	29300	0	61	143	204	10200	81600	10200	0	790	39500
153	शासकीय पं. माधवराव सप्रे महाविद्यालय, पेन्ड्रारोड	78	215	293	14650	87900	14650	0	21	39	60	3000	24000	3000	0	353	17650
154	शासकीय जे.एम.पी. महाविद्यालय, तखतपुर	73	55	128	6400	38400	6400	0	6	6	12	600	4800	600	0	140	7000
155	शासकीय अग्रसेन महाविद्यालय, बिल्हा	63	90	153	7650	45900	7650	0	8	14	22	1100	8800	1100	0	175	8750
156	शासकीय निरंजन केशरवानी महाविद्यालय, कोटा	144	197	341	17050	102300	17050	0	13	30	43	2150	17200	2150	0	384	19200
157	शासकीय मदनलाल शुक्ला महाविद्यालय, सीपत	52	64	116	5800	34800	5800	0	4	16	20	1000	8000	1000	0	136	6800
158	शासकीय पातालेश्वर महाविद्यालय, मस्तूरी	18	22	40	2000	12000	2000	0	5	3	8	400	3200	400	0	48	2400
159	शासकीय महामाया महाविद्यालय, रतनपुर	125	210	335	16750	100500	16750	0	20	25	45	2250	18000	2250	0	380	19000
160	शासकीय महाविद्यालय, मरवाही	23	49	72	3600	21600	3600	21600	4	8	12	600	4800	600	4800	84	30600
161	शासकीय राजीव गांधी कला/वाणिज्य महाविद्यालय, लोरमी	75	128	203	10150	60900	10150	0	12	11	23	1150	9200	1150	0	226	11300
162	शासकीय डॉ. ज्वाला प्रसाद मिश्र महाविद्यालय, मुंगेली	11	14	25	1250	7500	1250	0	4	8	12	600	4800	600	0	37	1850
163	शासकीय वीरांगना अवन्तीबाई लोधी महाविद्यालय, पथरिया	49	49	98	4900	29400	4900	0	2	1	3	150	1200	150	0	101	5050
164	शासकीय महाविद्यालय, सरगांव	13	14	27	1350	8100	1350	8100	0	0	0	0	0	0	0	27	9450
165	शासकीय नवीन महाविद्यालय, कोटमी	16	20	36	1800	10800	1800	10800	0	0	0	0	0	0	0	36	12600
166	शासकीय नवीन महाविद्यालय, फास्टरपुर (सेतगंगा)	3	3	6	300	1800	300	1800	0	0	0	0	0	0	0	6	2100
167	शासकीय एस.एन.जी. महाविद्यालय मुंगेली	29	21	50	2500	15000	2500	15000	1	6	7	350	2800	350	2800	57	20650
168	शासकीय नवीन महाविद्यालय अमोरा	3	8	11	550	3300	550	3300	0	0	0	0	0	0	0	11	3850
169	शासकीय टी.सी.एल. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जांजगीर	31	18	49	2450	14700	2450	0	17	36	53	2650	21200	2650	0	102	5100
170	शासकीय जाज्वल्यदेव नवीन कन्या महाविद्यालय, जांजगीर	0	49	49	2450	14700	2450	0	0	3	3	150	1200	150	0	52	2600
171	शासकीय डॉ. इन्द्रजीत सिंह महाविद्यालय, अकलतरा	43	91	134	6700	40200	6700	0	12	21	33	1650	13200	1650	0	167	8350

अपर संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर

क्र.	महाविद्यालय का नाम	स्नातक			प्रति छात्र 50 रूपये स्टेशनरी हेतु आवश्यक राशि	600 रूपये प्रति दो छात्र पुस्तकों हेतु आवश्यक राशि	स्टेशनरी हेतु आवंटन	पुस्तकों हेतु आवंटन	स्नातकोत्तर			प्रति छात्र 50 रूपये स्टेशनरी हेतु आवश्यक राशि	800 रूपये प्रति दो छात्र पुस्तकों हेतु आवश्यक राशि	स्टेशनरी हेतु आवंटन	पुस्तकों हेतु आवंटन	महायोग	
		छात्र	छात्रा	योग					छात्र	छात्रा	योग					छात्र संख्या	आवंटित राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
172	शासकीय लक्ष्मणेश्वर महाविद्यालय खरौद	26	18	44	2200	13200	2200	0	4	8	12	600	4800	600	0	56	2800
173	शासकीय मयूरध्वज महादानी राजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चांपा	86	127	213	10650	63900	10650	0	27	43	70	3500	28000	3500	0	283	14150
174	शासकीय महाविद्यालय, डभरा	71	77	148	7400	44400	7400	0	10	10	20	1000	8000	1000	0	168	8400
175	शासकीय महाविद्यालय, मालखरौदा	30	89	119	5950	35700	5950	0	4	14	18	900	7200	900	0	137	6850
176	शासकीय कांति कुमार भारतीय महाविद्यालय, सक्ती	52	86	138	6900	41400	6900	0	4	11	15	750	6000	750	0	153	7650
177	शासकीय महाविद्यालय, जैजैपुर	24	43	67	3350	20100	3350	20100	9	5	14	700	5600	700	5600	81	29750
178	शासकीय महाविद्यालय, बलौदा	30	27	57	2850	17100	2850	17100	5	9	14	700	5600	700	5600	71	26250
179	शासकीय महाविद्यालय, हसौद	39	44	83	4150	24900	4150	24900	4	8	12	600	4800	600	4800	95	34450
180	शासकीय नवीन महाविद्यालय, पामगढ़	11	17	28	1400	8400	1400	8400	0	1	1	50	400	50	400	29	10250
181	शासकीय नवीन महाविद्यालय, नवागढ़	5	2	7	350	2100	350	2100	0	0	0	0	0	0	0	7	2450
182	शासकीय नवीन महाविद्यालय, चन्द्रपुर	23	51	74	3700	22200	3700	22200	0	0	0	0	0	0	0	74	25900
183	शासकीय नवीन महाविद्यालय, नगरदा	30	52	82	4100	24600	4100	24600	0	0	0	0	0	0	0	82	28700
184	शासकीय नवीन महाविद्यालय, बिर्रा	4	1	5	250	1500	250	1500	0	0	0	0	0	0	0	5	1750
185	शासकीय ई. विश्वेश्वरैया स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोरबा	248	273	521	26050	156300	26050	0	75	134	209	10450	83600	10450	0	730	36500
186	शासकीय मिनी माता कन्या महाविद्यालय, कोरबा	0	234	234	11700	70200	11700	0	0	44	44	2200	17600	2200	0	278	13900
187	शासकीय मुकुटधर पाण्डे महाविद्यालय, कटघोरा	235	392	627	31350	188100	31350	0	4	10	14	700	5600	700	0	641	32050
188	शासकीय महाविद्यालय, भैसमा	91	239	330	16500	99000	16500	0	7	18	25	1250	10000	1250	0	355	17750
189	शासकीय महाविद्यालय, करतला	151	231	382	19100	114600	19100	0	0	0	0	0	0	0	0	382	19100
190	शासकीय महाविद्यालय, दीपका	34	75	109	5450	32700	5450	32700	0	0	0	0	0	0	0	109	38150
191	शासकीय महाविद्यालय, बरपाली	136	229	365	18250	109500	18250	0	3	4	7	350	2800	350	0	372	18600
192	शासकीय नवीन महाविद्यालय, पाली	65	147	212	10600	63600	10600	0	12	17	29	1450	11600	1450	0	241	12050
193	शासकीय महाविद्यालय, हरदीबाजार	165	312	477	23850	143100	23850	0	45	81	126	6300	50400	6300	0	603	30150
194	शासकीय नवीन महाविद्यालय जटगा	12	39	51	2550	15300	2550	15300	0	0	0	0	0	0	0	51	17850
195	शासकीय किरोड़ीमल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायगढ़	311	422	733	36650	219900	36650	0	77	92	169	8450	67600	8450	0	902	45100
196	शासकीय किशोरी मोहन त्रिपाठी महिला महाविद्यालय, रायगढ़	0	214	214	10700	64200	10700	0	0	40	40	2000	16000	2000	0	254	12700
197	शासकीय पी.डी. महाविद्यालय, रायगढ़	118	80	198	9900	59400	9900	0	17	11	28	1400	11200	1400	0	226	11300
198	शासकीय महात्मा गांधी कला/विज्ञान महाविद्यालय,खरसिया	103	178	281	14050	84300	14050	0	26	55	81	4050	32400	4050	0	362	18100
199	शासकीय लोचन प्रसाद पाण्डे महाविद्यालय,सारंगढ़	73	109	182	9100	54600	9100	0	10	14	24	1200	9600	1200	0	206	10300
200	शासकीय संत गहिरा गुरू रामेश्वर महाविद्यालय, लैलूंगा	111	178	289	14450	86700	14450	0	11	22	33	1650	13200	1650	0	322	16100
201	शासकीय महाविद्यालय, धरमजयगढ़	113	155	268	13400	80400	13400	0	0	0	0	0	0	0	0	268	13400

अपर संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर

क्र.	महाविद्यालय का नाम	स्नातक			प्रति छात्र 50 रूपये स्टेशनरी हेतु आवश्यक राशि	600 रूपये प्रति दो छात्र पुस्तको हेतु आवश्यक राशि	स्टेशनरी हेतु आवंटन	पुस्तको हेतु आवंटन	स्नातकोत्तर			प्रति छात्र 50 रूपये स्टेशनरी हेतु आवश्यक राशि	800 रूपये प्रति दो छात्र पुस्तको हेतु आवश्यक राशि	स्टेशनरी हेतु आवंटन	पुस्तको हेतु आवंटन	महायोग	
		छात्र	छात्रा	योग					छात्र	छात्रा	योग					छात्र संख्या	आवंटित राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
202	शासकीय महाविद्यालय, तमनार	69	117	186	9300	55800	9300	55800	0	0	0	0	0	0	0	186	65100
203	शासकीय महाविद्यालय, घरघोड़ा	85	90	175	8750	52500	8750	52500	22	22	44	2200	17600	2200	17600	219	81050
204	शासकीय नवीन महाविद्यालय, जोबी	95	119	214	10700	64200	10700	0	0	0	0	0	0	0	0	214	10700
205	शासकीय नवीन महाविद्यालय, पुसौर	39	81	120	6000	36000	6000	36000	0	0	0	0	0	0	0	120	42000
206	शासकीय नवीन महाविद्यालय, बरमकेला	19	63	82	4100	24600	4100	24600	3	4	7	350	2800	350	2800	89	31850
207	शासकीय नवीन महाविद्यालय, सरिया	17	37	54	2700	16200	2700	16200	0	0	0	0	0	0	0	54	18900
208	शासकीय एन. ई. एस. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जशपुरनगर	407	274	681	34050	204300	34050	0	53	95	148	7400	59200	7400	0	829	41450
209	शासकीय विजयभूषण सिंहदेव स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, जशपुर	0	602	602	30100	180600	30100	0	0	109	109	5450	43600	5450	0	711	35550
210	शासकीय ठाकुर शोभा सिंह महाविद्यालय, पत्थलगांव	194	267	461	23050	138300	23050	0	2	15	17	850	6800	850	0	478	23900
211	शासकीय बाला साहेब देशपाण्डे महाविद्यालय, कुनकुरी	73	117	190	9500	57000	9500	57000	0	0	0	0	0	0	0	190	66500
212	शासकीय महाविद्यालय, बगीचा	65	114	179	8950	53700	8950	53700	0	0	0	0	0	0	0	179	62650
213	शासकीय महाविद्यालय, तपकरा	51	107	158	7900	47400	7900	47400	0	0	0	0	0	0	0	158	55300
214	शासकीय महाविद्यालय, दुलदुला	21	54	75	3750	22500	3750	0	0	0	0	0	0	0	0	75	3750
215	शासकीय नवीन महाविद्यालय, आरा	6	11	17	850	5100	850	5100	18	9	27	1350	10800	1350	10800	44	18100
216	शासकीय नवीन महाविद्यालय, कांसाबेल	52	85	137	6850	41100	6850	41100	0	0	0	0	0	0	0	137	47950
217	शासकीय नवीन महाविद्यालय, बागबहार	37	71	108	5400	32400	5400	32400	0	0	0	0	0	0	0	108	37800
218	शासकीय नवीन महाविद्यालय, मनोरा	53	53	106	5300	31800	5300	31800	0	0	0	0	0	0	0	106	37100
219	शासकीय राजीवगांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बिकापुर	879	541	1420	71000	426000	71000	0	117	229	346	17300	138400	17300	0	1766	88300
220	शासकीय राजमोहनी देवी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अंबिकापुर	0	1050	1050	52500	315000	52500	0	0	167	167	8350	66800	8350	0	1217	60850
221	शासकीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी महाविद्यालय, सीतापुर	278	533	811	40550	243300	40550	0	50	97	147	7350	58800	7350	0	958	47900
222	शासकीय राजकुमार धीरज सिंह महाविद्यालय, उदयपुर	126	151	277	13850	83100	13850	0	0	0	0	0	0	0	0	277	13850
223	शासकीय नवीन विज्ञान महाविद्यालय अम्बिकापुर	129	77	206	10300	61800	10300	0	18	15	33	1650	13200	1650	0	239	11950
224	शासकीय नवीन महाविद्यालय बतौली	108	207	315	15750	94500	15750	0	0	0	0	0	0	0	0	315	15750
225	शासकीय नवीन महाविद्यालय लखनपुर	78	96	174	8700	52200	8700	52200	0	0	0	0	0	0	0	174	60900
226	शासकीय नवीन महाविद्यालय कमलेश्वरपुर (मैनपाट)	24	26	50	2500	15000	2500	15000	0	0	0	0	0	0	0	50	17500
227	शासकीय रेवतीरमण मिश्र महाविद्यालय, सूरजपुर	134	196	330	16500	99000	16500	0	28	58	86	4300	34400	4300	0	416	20800
228	शासकीय कालीदास महाविद्यालय, प्रतापपुर	305	467	772	38600	231600	38600	0	23	57	80	4000	32000	4000	0	852	42600
229	शासकीय महाविद्यालय, विश्रामपुर	16	26	42	2100	12600	2100	12600	0	0	0	0	0	0	0	42	14700
230	शासकीय महाविद्यालय, रामानुजनगर	73	94	167	8350	50100	8350	50100	0	0	0	0	0	0	0	167	58450
231	शासकीय महाविद्यालय, सिलफिली	44	75	119	5950	35700	5950	35700	0	0	0	0	0	0	0	119	41650
232	शासकीय महाविद्यालय, भैयाथान	54	81	135	6750	40500	6750	40500	1	6	7	350	2800	350	2800	142	50400

उप संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर

क.	महाविद्यालय का नाम	स्नातक			प्रति छात्र 50 रूपये स्टेशनरी हेतु आवश्यक राशि	600 रूपये प्रति दो छात्र पुस्तको हेतु आवश्यक राशि	स्टेशनरी हेतु आवटन	पुस्तको हेतु आवंटन	स्नातकोत्तर			प्रति छात्र 50 रूपये स्टेशनरी हेतु आवश्यक राशि	600 रूपये प्रति दो छात्र पुस्तको हेतु आवश्यक राशि	स्टेशनरी हेतु आवटन	पुस्तको हेतु आवंटन	महायोग	
		छात्र	छात्रा	योग					छात्र	छात्रा	योग					छात्र संख्या	आवटित राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
233	शासकीय नवीन महाविद्यालय, ओड़गी	31	32	63	3150	18900	3150	18900	0	0	0	0	0	0	0	63	22050
234	शासकीय नवीन महाविद्यालय, प्रेमनगर	40	41	81	4050	24300	4050	24300	0	0	0	0	0	0	0	81	28350
235	शासकीय नवीन महाविद्यालय, कुमेलिया [illegible]	38	28	66	3300	19800	3300	19800	0	0	0	0	0	0	0	66	23100
236	शासकीय नवीन महाविद्यालय, चांदनी बिहारपुर	10	14	24	1200	7200	1200	7200	0	0	0	0	0	0	0	24	8400
237	शासकीय स्व. श्री महती भगत महाविद्यालय, कुसमी	86	141	227	11350	68100	11350	68100	9	7	16	800	6400	800	6400	243	86650
238	शासकीय रानी दुर्गावती महाविद्यालय, वाड्रफनगर	175	315	490	24500	147000	24500	0	0	0	0	0	0	0	0	490	24500
239	शासकीय लरंगसाय महाविद्यालय, रामानुजगंज	101	206	307	15350	92100	15350	0	27	61	88	4400	35200	4400	0	395	19750
240	शासकीय महाविद्यालय, बलरामपुर	89	101	190	9500	57000	9500	57000	10	17	27	1350	10800	1350	10800	217	78650
241	शासकीय महाविद्यालय, राजपुर	96	164	260	13000	78000	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	260	13000
242	शासकीय नवीन महाविद्यालय, सनावल	25	54	79	3950	23700	3950	23700	0	0	0	0	0	0	0	79	27650
243	शासकीय नवीन महाविद्यालय, शंकरगढ़	60	118	178	8900	53400	8900	53400	0	0	0	0	0	0	0	178	62300
244	शासकीय नवीन महाविद्यालय, रामचंद्रपुर	28	30	58	2900	17400	2900	17400	0	0	0	0	0	0	0	58	20300
245	शासकीय रामानुज प्रताप सिंहदेव स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बैकुण्ठपुर	127	89	216	10800	64800	10800	0	8	7	15	750	6000	750	0	231	11550
246	शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय, बैकुण्ठपुर	0	180	180	9000	54000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	180	9000
247	शासकीय विवेकानंद महाविद्यालय, मनेन्द्रगढ़	109	184	293	14650	87900	14650	0	13	19	32	1600	12800	1600	0	325	16250
248	शासकीय लाहिड़ी महाविद्यालय, चिरमिरी	32	41	73	3650	21900	3650	21900	14	38	52	2600	20800	2600	20800	125	48950
249	शासकीय महाविद्यालय, जनकपुर	128	89	217	10850	65100	10850	65100	0	0	0	0	0	0	0	217	75950
250	शासकीय महाविद्यालय, खड़गवा	35	89	124	6200	37200	6200	37200	0	0	0	0	0	0	0	124	43400
251	शासकीय नवीन महाविद्यालय, पटना	26	59	85	4250	25500	4250	25500	0	0	0	0	0	0	0	85	29750
252	शासकीय नवीन महाविद्यालय, सोनहत	16	32	48	2400	14400	2400	14400	0	0	0	0	0	0	0	48	16800
253	शासकीय नवीन महाविद्यालय, केल्हारी	20	21	41	2050	12300	2050	12300	0	0	0	0	0	0	0	41	14350
	योग	19579	29633	49212	2460600	14763600	2460600	2999100	2607	4816	7423	371150	2969200	371150	263600	56635	6094450

अपर संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर

छत्तीसगढ़ शासन

प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2021-22

आदिम जाति तथा
अनुसूचित जाति विकास विभाग

प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2021-22

छत्तीसगढ़ शासन

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

छत्तीसगढ़ शासन

विभाग का नाम	-	आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
भार साधक मंत्री	-	माननीय डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम

मंत्रालय

सचिव	-	श्री डी.डी. सिंह
संयुक्त सचिव	-	श्री एम.आर. ठाकुर
वित्तीय सलाहकार	-	श्री आनंद तिवारी

संचालनालय

आयुक्त	-	श्रीमती शम्मी आबिदी

आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (TRI) रायपुर

संचालक	-	श्रीमती शम्मी आबिदी

विषय-सूची

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
	भाग - एक	
1	विभाग की संरचना	1
2	विभाग का परिचय	2-3
3	विभाग का दायित्व एवं कार्य	4
4	विभाग के अधीन गठित आयोग/ मण्डल एवं अन्य समितियाँ	5-11
5	महत्वपूर्ण सांख्यिकीय जानकारी	12-14
	भाग - दो	
6	विभागीय बजट 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 (नवम्बर 2021 की स्थिति में)	15
7	विभाग द्वारा संचालित योजनाएँ 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 भौतिक तथा वित्तीय उपलब्धियों का तुलनात्मक विवरण	16-22
	भाग - तीन	
8	विभाग द्वारा संचालित शिक्षा संबंधी एवं अन्य प्रमुख योजनाएँ	23-81
9	छत्तीसगढ़ राज्य अन्त्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम	82-88
10	वन अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन	89-91
11	अनुसूचित जनजाति उपयोजना और अनुसूचित जाति उपयोजना	92-93
	भाग - चार	
12	आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान	94-103
13	आदिवासी एवं अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण	104-105
	भाग - पांच	
14	फ्लैगशिप योजनाएं	106-117
	भाग - छः	
16	सारांश	118-120

भाग - एक

छत्तीसगढ़ का मानचित्र

विभाग की संरचना

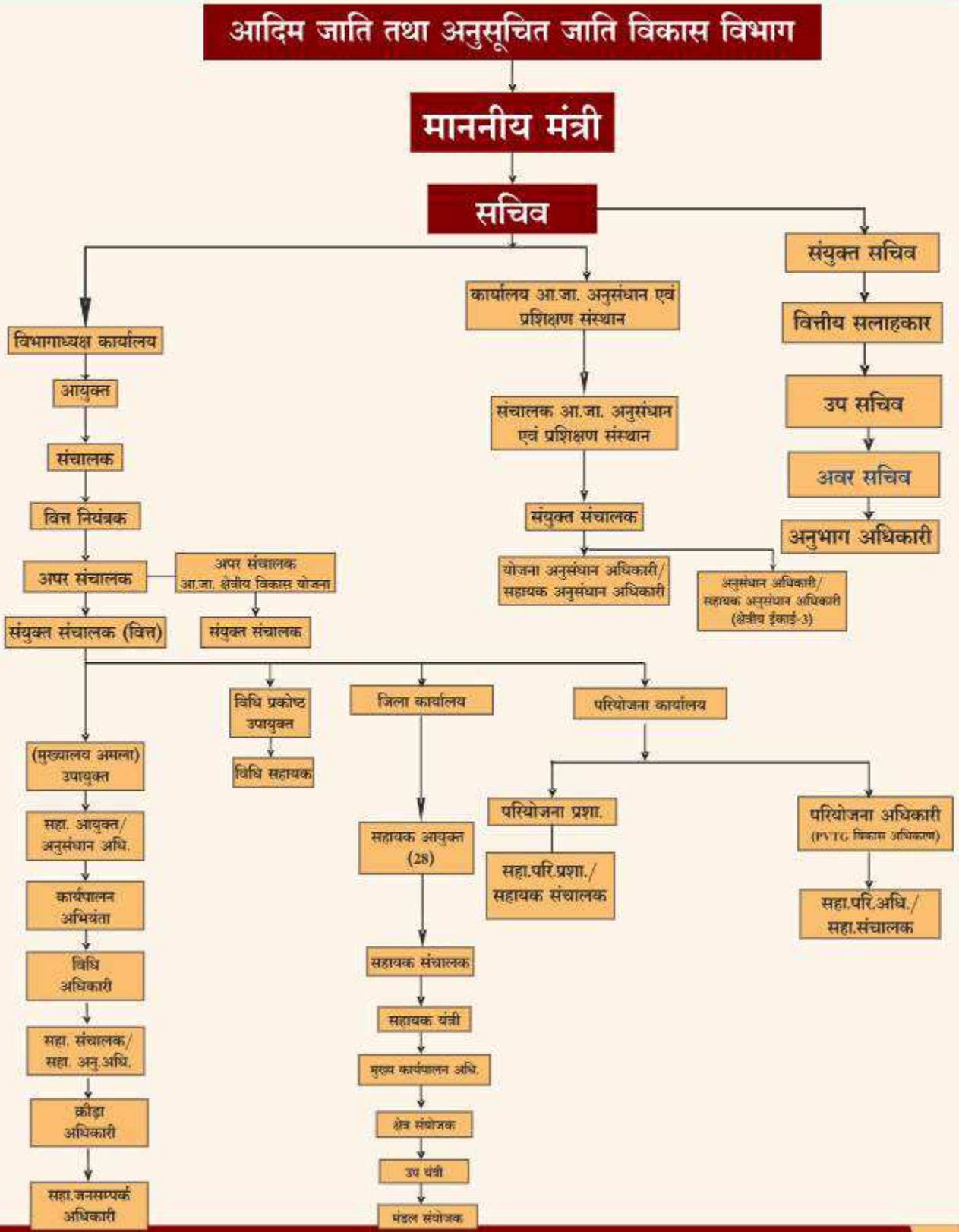
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
माननीय मंत्री
सचिव
संयुक्त सचिव
वित्तीय सलाहकार
उप सचिव
अवर सचिव
अनुभाग अधिकारी
कार्यालय आ.जा. अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान
संचालक आ.जा. अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान
संयुक्त संचालक
योजना अनुसंधान अधिकारी/ सहायक अनुसंधान अधिकारी
अनुसंधान अधिकारी/ सहायक अनुसंधान अधिकारी (क्षेत्रीय इकाई-3)
विभागाध्यक्ष कार्यालय
आयुक्त
संचालक
वित्त नियंत्रक
अपर संचालक
अपर संचालक आ.जा. क्षेत्रीय विकास योजना
संयुक्त संचालक (वित्त)
संयुक्त संचालक
(मुख्यालय अमला) उपायुक्त
सहा. आयुक्त/ अनुसंधान अधि.
कार्यपालन अभियंता
विधि अधिकारी
सहा. संचालक/ सहा. अनु.अधि.
क्रीड़ा अधिकारी
सहा.जनसम्पर्क अधिकारी
विधि प्रकोष्ठ उपायुक्त
विधि सहायक
जिला कार्यालय
सहायक आयुक्त (28)
सहायक संचालक
सहायक यंत्री
मुख्य कार्यपालन अधि.
क्षेत्र संयोजक
उप यंत्री
मंडल संयोजक
परियोजना कार्यालय
परियोजना प्रशा.
सहा.परि.प्रशा./ सहायक संचालक
परियोजना अधिकारी (PVTG विकास अधिकरण)
सहा.परि.अधि./ सहा.संचालक

विभाग का परिचय

भारत के संविधान के अनुच्छेद–46, में सौंपे गए कर्तव्य ''अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि के लिए'' संविधान के अनुच्छेद–244 एवं संविधान के अनुच्छेद–275 (1) में विहित दायित्वों के निर्वहन के लिए संविधान के अनुच्छेद–164 के अंतर्गत विहित प्रावधान के अनुरूप छत्तीसगढ़ राज्य में आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग का गठन किया गया है।

भारत के संविधान में व्यक्त 'सामाजिक न्याय' के संकल्प ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को 'समानता के अधिकार' से संपन्न करते हुए उनकी प्रगति के रास्ते खोल दिए हैं।

संविधान की मंशा के अनुरूप आदिवासियों और अनुसूचित जाति के शैक्षणिक विकास एवं आर्थिक उन्नति की योजनाएँ बनीं। उन्हें क्रियान्वित कर संबंधित वर्गों को विकास–यात्रा में शामिल करने के निरंतर प्रयास हुए। इन प्रयासों के परिणाम भी सामने आए। इन वर्गों के लिए मानव अधिकार सूचकांक में अपेक्षाकृत सुधार परिलक्षित हुआ है। साक्षरता का प्रतिशत बढ़ा है। शिक्षा के क्षेत्र में आदिवासी एवं अनुसूचित जाति समुदायों की विशिष्ट उपलब्धियाँ रेखांकित की जाने लगीं है। सामाजिक, आर्थिक विकास के फलस्वरूप इन वर्गों की प्रतिष्ठा में लगातार वृद्धि हुई है। शासन–प्रशासन में इनकी सहभागिता सम्मानजनक रूप से बढ़ी है। फिर भी विकास की यह यात्रा अभी और लंबी है एवं प्रगति के अनगिनत सोपान तय किए जाने हैं।

प्रशासनिक संरचना :-

विभाग की प्रशासनिक संरचना के अंतर्गत माननीय मंत्री जी के निर्देशन में विभाग के प्रशासनिक कार्यों के साथ–साथ पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण के दायित्वों का भी निष्पादन किया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक विकास के लिए प्रतिबद्धता केवल आदिवासियों के विकास के लिए ही नहीं, बल्कि उनके उत्पीड़न के उन्मूलन के लिए भी है। साथ ही साथ यह विभाग आदिवासियों की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए समाज के अन्य पिछड़े, शोषित एवं वंचित वर्गों को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए कृत संकल्प है।

अ. मंत्रालय

मंत्रालय स्तर पर सचिव का पद सृजित है। मंत्रालय स्तर पर सचिव के अधीनस्थ विभागीय कार्यों के संपादन के लिए संयुक्त सचिव, उप सचिव, अवर सचिव, वित्तीय सलाहकार तथा विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी कार्यरत हैं।

आदिम जाति और अनुसूचित जाति समुदायों के विकास की योजनाएँ तैयार कर उन्हें बेहतर ढंग से क्रियान्वित करने का दायित्व मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ शासन के आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय का है। छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासनिक कार्यों की व्यवस्था एवं अनुश्रवण

से संबंधित समस्त प्रशासनिक विभागों के विकास कार्यक्रमों/योजनाओं की समीक्षा नोडल विभाग के रूप में की जाती है। अन्य विकास विभागों से समन्वय की भूमिका भी इस विभाग की है। अतः अनुसूचित वर्गों के समुचित विकास के संदर्भ में आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग की दोहरी जिम्मेदारी है।

ब. विभागाध्यक्ष

छत्तीसगढ़ में आदिम जाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्गों के कल्याण हेतु एक विभागाध्यक्ष पद का सृजन किया गया है। विभाग के विभागाध्यक्ष आयुक्त होते हैं। आयुक्त मुख्यालय अमला एवं क्षेत्रीय अमला के मुख्य नियंत्रणकर्ता अधिकारी होते हैं। मुख्यालय स्तर पर आयुक्त के अधीनस्थ संचालक, अपर संचालक, उपायुक्त तथा सहायक आयुक्त एवं अन्य अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं।

विधि प्रकोष्ठ :-

विधि प्रकोष्ठ में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायाधिकरणों में प्रस्तुत मामलों का प्रभारी अधिकारी नियुक्त कराने, प्रकरणों में जवाबदावा प्रस्तुत कराने, प्रकरणों का निपटारा कराने, सही समय पर शासन का पक्ष प्रस्तुत करने के साथ अनुश्रवण एवं समीक्षा के कार्य किए जाते हैं। विधि प्रकोष्ठ का प्रमुख उपायुक्त स्तर का अधिकारी होता है। माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में होने के कारण यह कार्यालय भी बिलासपुर में रखे जाने का निर्णय लिया जाकर कार्यालय को रायपुर से बिलासपुर स्थानांतरित किया गया है।

स. जिला स्तर

छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिलों में विभागीय कार्यक्रमों/योजनाओं के क्रियान्यवन हेतु विभागीय सहायक आयुक्त के पद स्वीकृत हैं। इनके द्वारा मुख्यतः जिले में आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति के विकास हेतु छात्रावास, आश्रम, स्कूल का प्रबंधन, अनुश्रवण एवं समीक्षा जिलाध्यक्ष के नियंत्रण में सम्पन्न किया जाता है। सहायक आयुक्त कार्यालय के अधीन जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, माडा पाकेट, लघु अंचल एवं विशेष पिछड़ी जनजाति विकास अभिकरण होते हैं। प्रदेश के 85 विकासखण्ड आदिवासी विकासखण्ड घोषित हैं। इन विकासखण्डों में 85 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत पदस्थ हैं। इसके अतिरिक्त राज्य में 09 माडा पॉकेट, 02 लघु अंचल तथा 08 विशेष रूप से कमजोर जनजाति विकास अभिकरण एवं 09 विशेष रूप से कमजोर जनजाति प्रकोष्ठ संचालित हैं।

द. परियोजना स्तर

आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार आदिवासी जनसंख्या के आधार पर एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाएँ संचालित हैं। एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना कार्यालय के प्रमुख परियोजना प्रशासक संयुक्त संचालक स्तर के होते हैं। राज्य में कुल 19 एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाएँ संचालित हैं।

विभाग का दायित्व एवं कार्य

- संविधान की पाँचवी अनुसूची के अधिकारों और आदिवासी क्षेत्रों के हितों के संरक्षण के लिए प्रहरी के रूप में कार्य करना।
- अनुसूचित जाति/जनजाति के शैक्षणिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए योजनाओं का संचालन।
- आदिवासी उपयोजना तथा अनुसूचित जाति उपयोजना के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विकास विभागों को बजट आवंटन उपलब्ध कराना, नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करना एवं योजनाओं का अनुश्रवण करना।
- विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों के विकास के लिए योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन।
- विशेष केंद्रीय सहायता से संचालित योजनाओं का पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करना।
- पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण हेतु भारत सरकार के निर्देशानुसार कार्यक्रमों/योजनाओं का संचालन।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को अन्य सक्षम वर्गों के द्वारा शोषित एवं उत्पीड़ित किए जाने की स्थिति में शोषित वर्गों को संवैधानिक संरक्षण, राहत एवं पुर्नवास की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक वित्तीय एवं प्रशासकीय व्यवस्था करने का दायित्व।

विभाग का कार्य :-

- विभागीय अमले से संबंधित समस्त प्रशासकीय कार्य।
- आदिम जाति, अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग के विकास से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण।
- आदिम जाति, अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग के विकास की योजनाओं के लिए बजट आबंटन उपलब्ध कराना। मांग संख्या 15,33,41,49,64,66,68 एवं 82 के अंतर्गत आदिम जाति, अनसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के विकास की योजनाओं का क्रियान्वयन।
- आदिवासी उपयोजना तथा अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत विभिन्न विभागों को प्राप्त बजट आवंटन की निरंतर समीक्षा एवं योजनाओं का अनुश्रवण।
- विशेष केंद्रीय सहायता से संचालित योजनाओं का निर्माण, पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन। केन्द्र प्रवर्तित एवं केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनाओं के संचालन का अनुश्रवण।
- विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों के विकास के लिए योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन।
- अनुसूचित जाति, जनजाति के जाति प्रमाण–पत्रों का परीक्षण।
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम–1989, संशोधन अधिनियम 2015 एवं संशोधन अधिनियम 2018, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम–1955, अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2007 यथा संशोधित नियम 2012 का क्रियान्वयन एवं हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 के क्रियान्वयन की समीक्षा।
- आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से आदिवासियों के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास के अंतर्गत सतत् परिवर्तन का अध्ययन तथा नियमित अनुसंधान एवं समस्याओं का अनवरत आकलन कर वैज्ञानिक समाधान के साथ आवश्यक सुझाव देना।

विभाग के अधीन गठित आयोग/मंडल एवं अन्य समितियाँ

1. जनजाति सलाहकार परिषद :-

संविधान की पाँचवीं अनुसूची के प्रावधान अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में समीक्षा हेतु मान. मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आदिम जाति मंत्रणा परिषद् गठन का प्रावधान है, जिसके उपाध्यक्ष विभागीय मंत्री जी होते है। साथ ही इस परिषद का सचिव, अपर मुख्य सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास होता है। इसमें तीन चौथाई सदस्य अनुसूचित जनजाति वर्ग के विधानसभा सदस्य होने चाहिए। छ.ग. शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्र./एफ–20–2/2019/25–2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक–23 जुलाई 2019 के द्वारा छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद् नियम 2006 के उप नियम 3 एवं 4 के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य के लिए इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27.06.2014 एवं 02.12. 2016 द्वारा छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद् का गठन किया गया है। उक्त अधिसूचना को अतिष्ठित करते हुए राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद् का गठन किया गया है :–

1.	मान. मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन	अध्यक्ष
2.	मान. डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, मंत्री, आ.जा.तथा अनु.जा.वि.विभाग	उपाध्यक्ष
3.	मान. श्री रामपुकार सिंह, विधायक, पत्थलगांव	उपाध्यक्ष
4.	मान. श्री अमरजीत भगत, मंत्री, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी संस्कृति विभाग	सदस्य
5.	मान. श्री लखेश्वर बघेल, विधायक, बस्तर	सदस्य
6.	मान. श्री बृहस्पति सिंह, विधायक, रामानुजगंज	सदस्य
7.	मान. श्री गुलाब कमरो, विधायक, भरतपुर–सोनहत	सदस्य
8.	मान. श्रीमती लक्ष्मी ध्रुव, विधायक, नगरी सिहावा	सदस्य
9.	मान. श्री दीपक बैज, सांसद, बस्तर	सदस्य
10.	मान. श्री मोहन मरकाम, विधायक, कोण्डागांव	सदस्य
11.	मान. श्री चिंतामणी महाराज, विधायक, सामरी	सदस्य
12.	मान. श्री मनोज मण्डावी, विधायक, भानुप्रतापपुर	सदस्य
13.	मान. श्री विनय भगत, विधायक, जशपुर	सदस्य
14.	मान. श्री चक्रधर सिंह, विधायक, लैलूंगा	सदस्य
15.	मान. श्री शिशुपाल शोरी, विधायक, कांकेर	सदस्य

16. मान. श्री अनूप नाग, विधायक, अंतागढ़ सदस्य

17. मान. श्री इंद्रशाह मण्डावी, विधायक, मोहला–मानपुर सदस्य

18. मान. श्री बोधराम कंवर, पूर्व विधायक, कटघोरा सदस्य

19. मान. श्रीमती देवती कर्मा, पूर्व विधायक, दंतेवाड़ा सदस्य

20. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास विभाग सदस्य / सचिव

2 – विधान सभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों से मनोनीत सदस्य उस समय तक परिषद् के सदस्य रहेंगे जब तक कि वे विधान सभा के सदस्य रहेंगे। अन्य सदस्य परिषद् में उनके मनोनयन की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक परिषद् के सदस्य रहेंगे।

2. राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मॉनीटरिंग समिति :-

राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 23 सहपठित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम 1995 यथा संशोधन नियम, 2018 के नियम 16 के अंतर्गत दिनांक 05.03.2019 के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में 55 सदस्यीय राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मॉनीटरिंग समिति का पुनर्गठन किया गया है। पूर्व में राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मॉनीटरिंग समिति की बैठक दिनांक 7.09.2020 को माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित की जा चुकी है। जिला स्तर पर कैलेण्डर वर्ष 2021 में जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनीटरिंग समिति की 79 बैठकें आयोजित की गई है।

3. छ.ग. राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग :-

राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम–1995 के प्रावधानों के अनुसार एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष एवं एक सदस्य का प्रावधान है। वर्तमान में आयोग में उपाध्यक्ष के पद पर सुश्री राजकुमारी दीवान एवं सदस्य के पद पर श्री नितिन पोटाई पदस्थ हैं। वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु प्रावधानित राशि रू. 210.62 लाख है। सम्पूर्ण प्रावधानित राशि आयोग को पुनर्राबंटित कर दी गई है।

4. छ.ग. राज्य अनुसूचित जाति आयोग :-

राज्य में अनुसूचित जाति के हित प्रहरी के रूप में कार्य करने हेतु अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है। आयोग में एक अध्यक्ष एवं तीन सदस्यों का प्रावधान है। वर्तमान में आयोग में सदस्य के पद पर श्रीमती पदमा मनहर पदस्थ हैं। वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु प्रावधानित राशि रू. 212.30 लाख है। प्रावधानित राशि में से 167.75 लाख रू. आयोग को पुनर्राबंटित की गई है।

5. छ.ग. राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग :-

अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों के सतत् पहचान, खोजबीन तथा फर्जी जाति प्रमाण पत्र को निरस्त करने, शासकीय सुविधाओं का लाभ प्रदान करने के लिए सुझाव देने तथा इस वर्ग के हित प्रहरी के रूप में

कार्य करने हेतु छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग 1995 के प्रावधान अनुसार एक अध्यक्ष एवं छः सदस्यों का प्रावधान है। वर्तमान में अध्यक्ष के पद पर श्री थानेश्वर साहू पदस्थ हैं एवं सदस्य के पद पर श्री महेश चन्द्रवंशी तथा आर.एन.वर्मा पदस्थ हैं। वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु प्रावधानित राशि रू. 175.70 लाख है। प्रावधानित राशि में से राशि रू. 136.70 लाख रू. की राशि आयोग को पुनर्राबंटित की गई है।

6. राज्य अल्पसंख्यक आयोग :-

राज्य में अल्पसंख्यकों को संवैधानिक प्रगति का मूल्यांकन, अल्पसंख्यक के विरूद्ध किसी भेदभाव के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं का अध्ययन, दूर करने के उपाय, अल्पसंख्यकों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विषयों अध्ययन, अनुसंधान, विश्लेषण के उद्देश्य के लिए राज्य अल्पसंख्यक आयोग नियम 1996 की धारा–3 (2) के तहत अध्यक्ष एवं सदस्य का पद स्वीकृत है, जिसमें अध्यक्ष श्री महेन्द्र छाबड़ा जी को मनोनीत किया गया है तथा दो सदस्य श्री हफीज कुरैशी एवं श्री अनिल जैन का मनोनयन किया गया हैं। वित्तीय वर्ष 2021–22 में राज्य अल्पसंख्यक आयोग हेतु राशि रू. 302.20 लाख का प्रावधान है। प्रावधान के विरूद्ध राशि रू. 184.58 लाख की राशि पुनर्राबंटित की गई है।

7. छ.ग. राज्य हज कमेटी :-

हज कमेटी एक्ट 2002 के प्रावधान अनुसार राज्य मे हज समिति गठित है। हज कमेटी का मुख्य कार्य प्रदेश के हज यात्रियों के लिए संपूर्ण व्यवस्था करना, सेंट्रल हज कमेटी एवं विदेश मंत्रालय भारत सरकार से समय–समय पर प्राप्त निर्देशों के अनुरूप हज यात्रियों की व्यवस्था हज यात्रियों के आवेदन प्राप्त करना, पंजीयन, चयन, प्रशिक्षण, टीकाकरण, पासपोर्ट आदि तैयार करवाना है। कमेटी अंतर्गत वर्तमान में 11 सदस्यों का मनोनयन किया गया है। वर्तमान में श्री असलम खान, अध्यक्ष के पद पदस्थ हैं एवं श्री साजिद मेमन पदेन सदस्य के रूप में पदस्थ हैं। वित्तीय वर्ष 2021–22 में राज्य हज कमेटी हेतु राशि रू. 130.00 लाख का प्रावधान है। प्रावधान के विरूद्ध राशि रू. 52.00 लाख की राशि स्वीकृत की गई है।

8. राज्य उर्दू अकादमी :-

राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 01.10.2003 द्वारा उर्दू अकादमी का गठन किया गया है। अकादमी का कार्य छ.ग. राज्य में उर्दू भाषा, तालिम एवं उर्दू साहित्य के प्रोत्साहन संरक्षण के लिए आवश्यक प्रयत्न करना, नए रचनात्मक/आलोचनात्मक उर्दू साहित्य प्रकाशन, साहित्य सम्मेलन, परिचर्चा, गोष्ठियों, बीमार लेखकों को आर्थिक मदद करना आदि है। वर्तमान में अध्यक्ष एवं सदस्य का पद रिक्त हैं। वित्तीय वर्ष 2021–22 में छ.ग.राज्य उर्दू अकादमी हेतु राशि रू. 250.00 लाख का प्रावधान है, जिसमें से राशि रू. 100.00 लाख की राशि स्वीकृत की गई है।

9. छ.ग. राज्य वक्फ बोर्ड :-

वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 के प्रावधान अनुसार छ.ग. राज्य वक्फ बोर्ड का गठन किया गया है। वक्फ

बोर्ड का मुख्य कार्य मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान व दरगाह, ईदगाह की देखरेख, केन्द्रीय वक्फ बोर्ड अधिनियम–1995 के तहत निर्देशों का पालन मुतवल्लियों का चुनाव सम्पन्न करना आदि है। वक्फ बोर्ड में अध्यक्ष एंव सदस्य का पद वर्तमान में रिक्त है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में छ.ग. राज्य वक्फ बोर्ड हेतु राशि रू. 150.00 लाख का प्रावधान है, जिसमें से राशि रू. 60.00 लाख की राशि स्वीकृत की गई है।

10. वक्फ अधिकरण :-

वक्फ संपत्तियों संबंधी विषयों के निराकरण के लिए राज्य में वक्फ अधिकरण गठित है। पीठासीन अधिकारी के पद पर मान. श्री आशीष पाठक, पीठासीन अधिकारी (जिला न्यायाधीश) पदस्थ हैं तथा सदस्य श्री हामिद हुसैन खान, अधिवक्ता का मनोनयन किया गया हैं। वित्तीय वर्ष 2021–22 में वक्फ न्यायाधीकरण हेतु राशि रू. 89.40 लाख का प्रावधान है। प्रावधान के विरूद्ध राशि रू. 83.84 लाख का प्रावधान पुनर्राबंटित किया गया है।

11. वक्फ सर्वेक्षण आयुक्त :-

वक्फ संपत्तियों संबंधी विषयों के निराकरण के लिए राज्य में वक्फ सर्वेक्षण गठित है। वर्तमान में सर्वेक्षण आयुक्त के पद पर श्रीमती शम्मी आबिदी (आई.ए.एस.) पदस्थ हैं। वित्तीय वर्ष 2021–22 में सर्वेक्षण आयुक्त हेतु राशि रू. 6.00 लाख का प्रावधान है। प्रावधान के विरूद्ध राशि रू. 00.10 लाख की राशि पुनर्राबंटित की गई है।

12. छ.ग. तेलघानी विकास बोर्ड :-

छ.ग. तेलघानी विकास बोर्ड का गठन छ.ग. शासन आ.जा. तथा अनु.जा. विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ 19–04/2021/25–1 दिनांक 16.07.2021 के द्वारा किया गया है। छ.ग. राज्य तेलघानी योजनाओं के माध्यम से स्व–रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, उन्नत प्रशिक्षण एवं उन्नत उपकरण प्रदान करना, तेलघानी को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने में सहयोग करना, स्वरोजगार स्थापित करने लिए बैंको से ऋणग्रस्त तेलघानी को राज्य शासन के योजना अंतर्गत आवश्यक मदद करना तथा छ.ग. में तेलघानी को बढ़ावा देना तथा तेलघानी से संबंधित गतिविधियों में संलग्न व्यक्तियों के रूचि को प्रोत्साहन देने के लिए छ.ग. राज्य तेलघानी विकास बोर्ड का गठन किया गया है। वर्तमान में छ.ग. राज्य तेलघानी विकास बोर्ड में अध्यक्ष के पद पर मान. श्री संदीप साहू पदस्थ हैं। वित्तीय वर्ष 2021–22 में छ.ग. तेलघानी विकास बोर्ड हेतु राशि रू. 10.00 लाख का प्रावधान रखा गया है।

13. छ.ग. लौह शिल्पकार विकास बोर्ड :-

छ.ग. लौह शिल्पकार विकास बोर्ड का गठन छ.ग. शासन आ.जा.तथा अनु.जा.विकास विभाग की अधिसूचना कमांक/एफ 19–02/2021/25–1 दिनांक 06.08.2021 के द्वारा किया गया है। राज्य में लौह शिल्पकार को योजनाओं के माध्यम से स्व–रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, उन्नत प्रशिक्षण एवं उन्नत उपकरण प्रदान करना,

लौह शिल्पकार को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने में सहयोग करना, स्वरोजगार स्थापित करने लिए बैंकों से ऋणग्रस्त लौह शिल्पकार को राज्य शासन के योजना अंतर्गत आवश्यक मदद करना तथा छ.ग. में लौह शिल्पकार को बढ़ावा देना तथा लौह शिल्पकार से संबंधित गतिविधियों में संलग्न व्यक्तियों के रूचि को प्रोत्साहन देने के लिए छ.ग. लौह शिल्पकार को राज्य शासन के योजना अन्तर्गत आवश्यक मदद करना तथा छ.ग. में लौह शिल्पकार को बढावा देना तथा लौह शिल्पकार से संबंधित गतिविधियों में संलग्न व्यक्तियों के रूचि को प्रोत्साहन देना। वर्तमान में लौह शिल्पकार विकास बोर्ड का गठन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में छ.ग. लौह शिल्पकार विकास बोर्ड हेतु राशि रू. 10.00 लाख का प्रावधान रखा गया है।

14. छ.ग. चर्म शिल्पकार विकास बोर्ड :-

छ.ग. चर्म शिल्पकार विकास बोर्ड का गठन छ.ग. शासन आ.जा.तथा अनु.जा.विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ 19–01/2021/25–1 दिनांक 06.08.2021 के द्वारा किया गया है। बोर्ड के माध्यम से चर्म शिल्पकार को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, उन्नत प्रशिक्षण एवं उन्नत उपकरण प्रदान करना तथा आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने में सहयोग करना, स्वरोजगार स्थापित करने लिए बैंकों से ऋण उपलब्ध कराना मुख्य उद्देश्य है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में छ.ग. चर्म शिल्पकार विकास बोर्ड हेतु राशि रू. 10.00 लाख का प्रावधान रखा गया है।

15. छ.ग. रजककार विकास बोर्ड :-

छ.ग. रजककार विकास बोर्ड का गठन छ.ग. शासन आ.जा. तथा अनु.जा. विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ 19–03/2021/25–1 दिनांक 06.08.2021 के द्वारा किया गया है। बोर्ड के द्वारा रजककार योजना के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, उन्नत प्रशिक्षण एवं उन्नत उपकरण प्रदान करना तथा आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने में सहयोग करना, स्वरोजगार स्थापित करने लिए बैंकों से ऋण उपलब्ध कराना मुख्य उद्देश्य हैं। वित्तीय वर्ष 2021–22 में छ.ग. रजककार विकास बोर्ड हेतु राशि रू. 10.00 लाख का प्रावधान रखा गया है।

16. राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति

भारत सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान राशि से वर्तमान में प्रदेश में 71 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित हैं। जिनके संचालन हेतु एक राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति गठित है। मान. विभागीय मंत्री इस समिति के संचालक मंडल के पदेन अध्यक्ष एवं आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग इसके पदेन सचिव होते हैं।

राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति की बैठक दिनांक 25 जून 2021

राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति की बैठक दिनांक 21 दिसम्बर 2021

विशेष रूप से कमजोर जनजाति विकास अभिकरण :-

छ.ग.राज्य में भारत सरकार द्वारा घोषित 05 विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह क्रमशः बैगा, पहाड़ी कोरवा, अबूझमाड़िया, कमार एवं बिरहोर निवासरत हैं। इनके लिये समग्र विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु 06 विशेष रूप से कमजोर जनजाति विकास अभिकरण एवं 09 प्रकोष्ठ का निम्नानुसार गठन किया गया है :–

क्र.	जिला	विशेष रूप से कमजोर जनजाति विकास अभिकरण/प्रकोष्ठ का नाम
1	2	3
1	कबीरधाम	बैगा विकास अभिकरण – कबीरधाम
2	मुंगेली	बैगा विकास प्रकोष्ठ – मुंगेली
3	राजनांदगांव	बैगा विकास प्रकोष्ठ – राजनांदगांव
4	कोरिया	बैगा विकास प्रकोष्ठ – बैकुंठपुर
5	बिलासपुर	बैगा एवं बिरहोर विकास अभिकरण – बिलासपुर
6	सरगुजा	पहाड़ी कोरवा विकास अभिकरण – अम्बिकापुर
7	बलरामपुर	पहाड़ी कोरवा विकास प्रकोष्ठ – बलरामपुर
8	जशपुर	पहाड़ी कोरवा एवं बिरहोर विकास अभिकरण – जशपुर
9	कोरबा	पहाड़ी कोरवा एवं बिरहोर विकास प्रकोष्ठ – कोरबा
10	रायगढ़	बिरहोर विकास प्रकोष्ठ – धरमजयगढ़
11	गरियाबंद	कमार विकास अभिकरण – गरियाबंद
12	धमतरी	कमार विकास प्रकोष्ठ – नगरी
13	कांकेर	कमार विकास प्रकोष्ठ – भानुप्रतापपुर
14	महासमुंद	कमार विकास प्रकोष्ठ – महासमुंद
15	नाारायणपुर	अबूझमाड़ विकास अभिकरण – नारायणपुर

वित्तीय वर्ष 2021–22 में भारत सरकार द्वारा इनके लिये पीव्हीटीजी स्कीम अंतर्गत राशि रू. 996.90 लाख के कार्यों की स्वीकृति दी गई है।

इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा घोषित 02 विशेष रूप से कमजोर जनजाति पण्डो एवं भुंजिया के समग्र विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु सूरजपुर में पण्डो विकास अभिकरण तथा गरियाबंद में भुंजिया विकास अभिकरण का गठन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में इनके लिये राज्य आयोजना मद से राशि रू.100.00 लाख का आबंटन जारी किया गया है।

महत्वपूर्ण सांख्यिकीय जानकारी

1.	**राज्य का क्षेत्रफल**		135192 वर्ग कि.मी.
	1.1	राज्य का अनुसूचित क्षेत्र	81,861.88 वर्ग कि.मी.
	1.2	राज्य का आदिवासी उपयोजना क्षेत्र	91253 वर्ग कि.मी.
	1.3	राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल से आदिवासी उपयोजना क्षेत्र का प्रतिशत	67.50 प्रतिशत
2.	**जनगणना (2011)**		
	2.1	कुल जनसंख्या	255.45 लाख
	2.2	अनुसूचित जनजाति	78.22 लाख 30.62%
	2.3	अनुसूचित जाति	32.47 लाख 12.81%
3.	**(अ) साक्षरता का प्रतिशत (वर्ष 2011)**		
	3.1	औसत	70.28%
	3.2	पुरुष	80.27%
	3.3	महिला	60.24%
	(ब) अनुसूचित जनजाति की साक्षरता (वर्ष 2011)		
	3.1	औसत	59.09
	3.2	पुरुष	69.67
	3.3	महिला	48.76
	(स) अनुसूचित जाति की साक्षरता (वर्ष 2011)		
	3.1	औसत	70.76
	3.2	पुरुष	81.66
	3.3	महिला	59.86
4.	**राजस्व जिला**		28
	4.1	पूर्णतः अनुसूचित क्षेत्र में शामिल जिले	14
	4.2	आंशिक रूप से अनुसूचित क्षेत्र में शामिल जिले	06
	4.3	आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में सम्मिलित जिले	25
5.	**आदिवासी विकासखंड**		85

6.	**एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना**	19
7.	**माडा पाकेट**	09
8.	**लघु अंचल**	02
9.	विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह अभिकरण (पण्डो एवं भुंजिया विकास अभिकरणों सहित)	08
10.	विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह प्रकोष्ठ	09

छत्तीसगढ़ राज्य के लिए संविधान की पांचवी अनुसूची के अंतर्गत घोषित अनुसूचित क्षेत्र

भारत सरकार के असाधारण राजपत्र भाग–दो, अनुभाग–तीन, उप अनुभाग (1) दिनांक 20 फरवरी वर्ष 2003 छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित निम्नलिखित अनुसूचित क्षेत्र परिभाषित किए गए हैं।

छत्तीसगढ़

1. सरगुजा जिला (वर्तमान में सरगुजा, बलरामपुर व सूरजपुर जिला)
2. कोरिया जिला
3. बस्तर जिला (वर्तमान में बस्तर, नारायणपुर व कोण्डागांव जिला)
4. दंतेवाड़ा जिला (वर्तमान में दंतेवाड़ा, बीजापुर व सुकमा जिला)
5. कांकेर जिला
6. कोरबा जिला
7. जशपुर जिला
8. बिलासपुर जिले के (वर्तमान में गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही जिला) मरवाही, गौरेला–1 एवं गौरेला–2 आदिवासी विकासखण्ड एवं बिलासपुर जिले का सामुदायिक विकासखंड कोटा का कोटा राजस्व निरीक्षक खंड।
9. दुर्ग जिले (वर्तमान में बालोद जिला) में डौण्डी आदिवासी विकासखंड।
10. राजनांदगांव जिले में चौकी, मानपुर और मोहला आदिवासी विकासखंड।
11. रायपुर जिले (वर्तमान में गरियाबंद जिला) में गरियाबंद, मैनपुर और छुरा आदिवासी विकास खंड।
12. धमतरी जिले में नगरी (सिहावा) आदिवासी विकासखंड।
13. रायगढ़ जिले में धरमजयगढ़, घरघोड़ा, तमनार, लैलूंगा और खरसिया आदिवासी विकासखंड।

प्रदेश के आदिवासी उपयोजना क्षेत्र निम्नानुसार हैं :-

क्र.	जिला	परियोजना	माडा	लघु अंचल
1	बस्तर	1. जगदलपुर		
2	कोण्डागांव	2. कोण्डागांव		
3	नारायणपुर	3. नारायणपुर		
4	कांकेर	4. भानुप्रतापपुर		
5	दन्तेवाड़ा	5. दन्तेवाड़ा		
6	सुकमा	6. कोन्टा		
7	बीजापुर	7. बीजापुर		
8	गरियाबन्द	8. गरियाबन्द		
9	बलौदाबाजार		1. बलौदाबाजार	1. धुर्रीबांधा
10	धमतरी	9. नगरी	2. गंगरेल	
11	महासमुंद		3. महासमुंद–1 4. महासमुंद–2	
12	बालोद	10. डोण्डीलोहारा		
13	राजनांदगांव	11. राजनांदगांव	5. नचनियां	2. बछेराभाटा
14	कबीरधाम		6. कबीरधाम	
15	सरगुजा	12. अंबिकापुर		
16	सूरजपुर	13. सूरजपुर		
17	बलरामपुर	14. पाल		
18	कोरिया	15. बैकुण्ठपुर		
19	कोरबा	16. कोरबा		
20	बिलासपुर	17. गौरेला		
21	गोरेला–पेण्ड्रा–मरवाही			
22	मुंगेली			
23	जांजगीर–चांपा		7. रूगजा	
24	रायगढ़	18. धरमजयगढ़	8. गोपालपुर, 9. सारंगढ़	
25	जशपुर	19. जशपुरनगर		

भाग - दो

विभागीय बजट

विभागीय बजट (2019-20)

(राशि लाख में)

क्रमांक	योजना	बजट प्रावधान	व्यय	व्यय का प्रतिशत
1	आदिवासी उपयोजना	171355.38	111394.35	65.01
2	अनुसचित जाति उपयोजना	45203.18	27670.26	61.21
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	17570.01	7237.65	41.19
4	अन्यान्य बजट अनुसूचित जनजाति	14649.40	11000.75	75.09
5	अन्यान्य बजट अनुसूचित जाति	218.70	176.24	80.59
योग :-		**248996.67**	**157479.25**	**63.25**

विभागीय बजट (2020-21) मार्च 2021 की स्थिति में

(राशि लाख में)

क्रमांक	योजना	बजट प्रावधान	व्यय	व्यय का प्रतिशत
1	आदिवासी उपयोजना	161205.66	96676.05	59.97
2	अनुसचित जाति उपयोजना	53934.19	34302.89	63.60
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	18415.80	9984.96	54.22
4	अन्यान्य बजट अनुसूचित जनजाति	14590.23	9680.12	66.35
5	अन्यान्य बजट अनुसूचित जाति	218.70	12.27	5.61
योग :-		**248364.58**	**150656.29**	**60.66**

विभागीय बजट (2021-22) नवम्बर 2021 की स्थिति में

(राशि लाख में)

क्रमांक	योजना	बजट प्रावधान	व्यय	व्यय का प्रतिशत
1	आदिवासी उपयोजना	159481.97	35025.33	21.96
2	अनुसचित जाति उपयोजना	43483.86	6740.37	15.50
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	18536.60	1341.20	7.24
4	अन्यान्य बजट अनुसूचित जनजाति	14124.72	5846.70	41.39
5	अन्यान्य बजट अनुसूचित जाति	222.30	63.48	28.56
योग :-		**235849.45**	**49017.08**	**20.78**

(अ) राज्य योजनाएं (अनुसूचित जनजाति)

(राशि लाख में)

क्र.	योजना का नाम	वर्ष 2019-20				वर्ष 2020-21				वर्ष 2021-22			
		बजट प्रावधान	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि
1	आश्रम शाला योजना	8563.00	8012.54	छात्र/छात्राएं	80168	8400.00	4193.53	छात्र/छात्राएं	-	8400.00	4409.24	छात्र/छात्राएं	-
2	छात्रावास योजना	7554.00	6917.68	छात्र/छात्राएं	84938	7000.00	3617.85	छात्र/छात्राएं	-	7700.00	3657.12	छात्र/छात्राएं	-
3	अशासकीय संस्थाओं को अनुदान	1550.00	1452.89	नियमित 10 संस्था	छात्र/छात्राएं	1700.00	1040.62	नियमित 09 संस्था	नियमित 09 संस्था	1700.00	1135.99	नियमित 09 संस्था	नियमित 09 संस्था
4	पं. जवाहर लाल नेहरू उत्कर्ष योजना	1000.00	453.95	छात्र/छात्राएं	644	1000.00	280.00	535	विद्यार्थी	1000.00	-	छात्र/छात्राएं	587
5	छात्रावास/आश्रम एवं शाला भवनों का निर्माण	8000.00	8000.00	126	6	14425.00	12990.59	128	12	14445.00	11229.47	53 भवन	53
6	शहीद वीर नारायण सिंह पुरस्कार एवं स्व. डॉ. भंवर सिंह पोर्ते आदिवासी सेवा सम्मान	9.00	4.50	व्यक्ति/संस्था	2	9.00	4.35	व्यक्ति/संस्था	2	9.00	4.00	व्यक्ति/संस्था	2
7	छात्र भोजन सहाय योजना	1291.76	110.22	छात्र/छात्राएं	18445	1291.00	481.16	व्यक्ति/संस्था	-	1300.00	516.46	छात्र/छात्राएं	-
8	विशेष शिक्षण केन्द्र ट्यूशन योजना	120.00	120.00	छात्र/छात्राएं	28200	130.00	0.00	व्यक्ति/संस्था	-	143.00	57.20	छात्र/छात्राएं	-
9	खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत छात्रावासियों को खाद्यान्न	2400.00	2400.00	छात्र/छात्राएं	165706	2400.00	960.00	व्यक्ति/संस्था	-	2880.00	1152.00	छात्र/छात्राएं	-
10	युवा कॅरियर निर्माण योजना	466.00	297.00	छात्र/छात्राएं	348	466.00	99.10	छात्र/छात्राएं	48	466.00	23.24	छात्र/छात्राएं	प्रक्रियाधीन
11	मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना	3038.80	1991.85	छात्र/छात्राएं	4039	3428.80	1916.31	छात्र/छात्राएं	2859	3420.30	1250.00	छात्र/छात्राएं	1999
12	आर्यभट्ट वाणिज्य/विज्ञान विकास केन्द्र	307.70	32.97	छात्र/छात्राएं	610	222.00	88.80	590	छात्र/छात्राएं	222.00	-	छात्र/छात्राएं	593

(अ) राज्य योजनाएं (अनुसूचित जाति)

(राशि लाख में)

क्र.	योजना का नाम	वर्ष 2019-20				वर्ष 2020-21				वर्ष 2021-22			
		बजट प्रावधान	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि
1	आश्रम शाला योजना	389.00	343.55	छात्र/छात्राएं	3755.00	395.00	172.87	छात्र/छात्राएं	-	395.00	206.53	छात्र/छात्राएं	-
2	अशासकीय संस्थाओं को अनुदान	110.00	110.00	नियमित 01 संस्था	नियमित 01 संस्था	163.00	108.00	नियमित 01 संस्था	नियमित 01 संस्था	163.00	120.00	नियमित 01 संस्था	नियमित 01 संस्था
3	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	5045.00	2018.00	छात्र/छात्राएं	95598	5000.00	4160.00	छात्र/छात्राएं	102512	5000.00	490.00	छात्र/छात्राएं	-
4	विशेष शिक्षण केन्द्र ट्यूशन योजना	50.00	50.00	छात्र/छात्राएं	6200	55.00	0.00	छात्र/छात्राएं	-	55.00	22.00	छात्र/छात्राएं	-
5	छात्रावास योजना	1742.00	1607.00	छात्र/छात्राएं	21602	1742.00	827.64	छात्र/छात्राएं	-	1742.00	909.81	छात्र/छात्राएं	-
6	छात्र भोजन सहाय योजना	388.23	315.65	छात्र/छात्राएं	5060	388.00	139.47	छात्र/छात्राएं	-	388.00	-	छात्र/छात्राएं	5410
7	पं. जवाहर लाल नेहरू उत्कर्ष योजना	400.00	270.14	छात्र/छात्राएं	311	420.00	117.00	छात्र/छात्राएं	273	420.00	-	छात्र/छात्राएं	289
8	खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत छात्रावासियों को खाद्यान्न	407.00	406.55	छात्र/छात्राएं	25707	450.00	180.00	छात्र/छात्राएं	-	450.00	180.00	छात्र/छात्राएं	-
9	युवा कॅरियर निर्माण योजना	52.50	68.90	छात्र/छात्राएं	100	52.60	21.04	छात्र/छात्राएं	-	52.60	-	छात्र/छात्राएं	प्रक्रियाधीन

अन्य पिछड़ा वर्ग

(राशि लाख में)

क्र.	योजना का नाम	वर्ष 2019-20				वर्ष 2020-21				वर्ष 2021-22			
		बजट प्रावधान	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि
1	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	11200.00	4480.00	छात्र/छात्राएं	281936	11500.00	6600.00	छात्र/छात्राएं	292969	11600.00	0.00	छात्र/छात्राएं	-
2	युवा कॅरियर निर्माण योजना	11200.00	4480.00	छात्र/छात्राएं	स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	66.80	-	छात्र/छात्राएं	-	66.80	-	छात्र/छात्राएं	प्रक्रियाधीन

(ब) केन्द्र प्रवर्तित योजना

(राशि लाख में)

क्र.	योजना का नाम	वर्ष 2019-20					वर्ष 2020-21					वर्ष 2021-22				
		बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि
1	नागरिक अधिकार एवं संरक्षण प्रकोष्ठ अंतर्गत प्रचार प्रसार	3411.80	1696.40	16.37	-	-	4534.40	2159.19	2.36	-	-	1335.00	370.70	0.00	-	-
2	अपृश्यता निवार्णार्थ आयोजन			12.75	शिविर	20			13.37	शिविर	11			5.25	शिविर	4
3	अ.जा./अ.ज.जा. अत्याचार निवारण अधिनियम पुनर्वास एवं अनुरक्षण अनुदान			1494.90	हितग्राही	1181			1459.84	हितग्राही	1407			815.65	हितग्राही	754
4	अंतर्गजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना			1652.75	दंपत्ति	747			1958.00	दंपत्ति	780			1065.00	दंपत्ति	426
5	छात्रावास आश्रम भवन निर्माण (64)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	छात्रावास आश्रम भवन निर्माण (41/4202) एकीकृत अम्ब्रेला योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	आदिवासी संस्कृति का सवर्धन एवं विकास	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	छात्रावास भवन निर्माण (66/4225)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	अल्पसंख्यक बहूउद्देशीय विकास	1389.00	100.80	168.00	जिला जशपुर	05 वि.ख.	1389.00	228.57	380.95	-	-	1389.00	-	-	-	-
10	प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना	4000.00	4582.00	161.01	ग्राम	243 ग्राम के लिए प्रशा. व्यय	11803.39	6008.00	11495.18	ग्राम	333 ग्राम के गैप फिलिंग हेतु	4100.00	2198.00	3890.00	ग्राम	290 ग्राम के गैप फिलिंग हेतु
11	पो.मै. छात्रवृत्ति अनुसूचित जनजाति	6000.00	5710.42	5710.42	छात्र/छात्राए	1437692	7222.35	4336.76	5782.35	छात्र/छात्राए	148616	7680.00	4453.47	5937.96	छात्र/छात्राए	

आदिवासी उपयोजना - विभागीय बजट प्रावधान एवं व्यय की स्थिति

(राशि करोड़ में)

क्रमांक	वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय
1	2019–20	1713.55	1113.94
2	2020–21	1612.06	966.76
3	2021–22 (माह नवम्बर 2021 की स्थिति में)	1599.82	350.25
योग :-		**4925.43**	**2430.95**

अनुसूचित जाति उपयोजना - विभागीय बजट प्रावधान एवं व्यय की स्थिति

(राशि करोड़ में)

क्रमांक	वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय
1	2019–20	452.03	276.70
2	2020–21	539.34	343.03
3	2021–22 (माह नवम्बर 2021 की स्थिति में)	434.84	67.40
योग :-		**1426.21**	**687.13**

(स) विशेष केन्द्रीय सहायता (आदिवासी उपयोजना)

(राशि लाख में)

क्र.	योजना का नाम	वर्ष 2019-20					वर्ष 2020-21					वर्ष 2021-22				
		बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि
1	विशेष केन्द्रीय सहायता से पोषित योजनाओं से स्थानीय विकास कार्यक्रम	23000.00	9415.53	3143.96	22	2	23000.00	8769.00	0.00	30	3	26000.00	0.00	0.00	0	0

विशेष केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जाति उपयोजना)

क्र.	योजना का नाम	वर्ष 2019-20					वर्ष 2020-21					वर्ष 2021-22				
		बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि
1	स्वरोजगार योजना	2000.00	1283.18	1283.18	हितग्राही	3356	2000.00	-	-	हितग्राही	4782	2000.00	-	-	-	-
2	क्षेत्रीय विकास के लिए अनाबद्ध राशि	7877.00	240.62	240.62	निर्माण कार्य	47	7877.00	-	-	-	-	7877.00	-	-	-	-

केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना

(राशि लाख में)

क्र.	योजना का नाम	वर्ष 2019-20					वर्ष 2020-21					वर्ष 2021-22				
		बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि
1	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (अनु.जा.)	1000.00	650.00	650.00	छात्र/छात्राएं	95598	1500.00	1240.00	1240.00	छात्र/छात्राएं	102512	2614.00	854.00	854.00	छात्र/छात्राएं	–
2	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (अ.पि.व.)	1800.00	888.26	888.26	छात्र/छात्राएं	281936	2000.00	1400.00	1400.00	छात्र/छात्राएं	292969	2000.00	800.00	800.00	छात्र/छात्राएं	–
3	आदिवासी संस्कृति का संवर्धन एवं विकास	200.00	0.00	5.23	04 इकाई	04 इकाई	244.00	0.00	40.56	04 इकाई	04 इकाई	244.00	0.00	92.50	04 इकाई	04 इकाई
4	आदिवासी विशेष पिछड़े समूह	2750.00	1311.35	1311.35	कार्य संख्या	14 कार्य	2750.00	989.32	989.32	कार्य संख्या	14 कार्य	2750.00	0.00	0	कार्य संख्या	0.00
5	वनबंधु कल्याण योजना	500.00	0.00	0.00	0.00	0	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	अल्पसंख्यक प्री.मै.छात्रवृत्ति	11.00	10.54	8.69	छात्र/छात्राएं	स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन	11.00	-	-	विद्यार्थी	प्रक्रियाधीन	11.00	-	-	-	-
7	अल्पसंख्यक पो.मै.छात्रवृत्ति	10.00	7.70	6.57	छात्र/छात्राएं	स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन	10.00	-	-	विद्यार्थी	प्रक्रियाधीन	10.00	-	-	-	-
8	अल्पसंख्यक मैरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति	8.00	5.35	0.00	छात्र/छात्राएं	स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन	8.00	-	-	विद्यार्थी	प्रक्रियाधीन	8.00	-	-	-	-

संविधान के अनुच्छेद 275 (1) एवं अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता

(राशि लाख में)

क्र.	योजना का नाम	वर्ष 2019-20					वर्ष 2020-21					वर्ष 2021-22				
		बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि
1	आदिवासी विद्यालय समिति को अनुदान 275(1) 5480	10713.16	10696.49	10696.49	42	8021	5000.00	1850.28	1850.28	27	7	5000.00	राशि अप्राप्त	-	-	-
2	आदिवासी क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार 275 (1) 5480	12000.00	11804.28	11804.28	26	निर्माणाधीन	12000.00	8125.96	8125.96	44	निर्माणाधीन	12000.00	राशि अप्राप्त	-	-	-

संविधान के अनुच्छेद 275(1) मद अन्तर्गत स्वीकृत
250 सीटर अनुसूचित जनजाति ''बालक'' छात्रावास भवन, सुकमा

संविधान के अनुच्छेद 275(1) मद अन्तर्गत स्वीकृत
250 सीटर अनुसूचित जनजाति ''कन्या'' छात्रावास भवन, सुकमा

भाग - तीन

आदर्श संस्था 50 सीटर प्री.मै. कन्या छात्रावास करपावण्ड

आदर्श संस्था 245 सीटर कन्या शिक्षा परिसर परचनपाल

विभाग के द्वारा संचालित शिक्षा संबंधी एवं अन्य प्रमुख योजनाएँ

योजना का नाम	पृष्ठ क्रं.
➢ छात्रावास आश्रम योजना	24–26
➢ ऑनलाईन शिष्यवृत्ति वितरण	27
➢ छात्रावासी विद्यार्थियों के लिए विशेष शिक्षण केन्द्र (ट्यूशन) योजना	27
➢ स्वस्थ तन–स्वस्थ मन योजना	28
➢ छात्र भोजन सहाय योजना (स्वास्थ्य सुरक्षा) योजना	29
➢ खाद्यान्न सुरक्षा योजना	29
➢ गुरूकुल, आदर्श विद्यालय एवं कन्या शिक्षा परिसर अंतर्गत संचालित विशेष छात्रावास	30–32
➢ एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय योजना	33–46
➢ विशेष पिछड़ी जनजातियों (PVTG) हेतु आवासीय विद्यालय	47
➢ पं. जवाहर लाल नेहरू उत्कर्ष योजना	48
➢ क्रीड़ा परिसर योजना	49–50
➢ ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	51–53
➢ अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति	54–58
रोजगार मूलक योजनाएँ	
➢ बी.एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम में निःशुल्क अध्ययन की सुविधा योजना	59
➢ हॉस्पिटैलिटी एवं हॉटल मैनेजमेंट प्रशिक्षण योजना	59
➢ निःशुल्क वाहन चालक प्रशिक्षण योजना	60
➢ रविदास चर्मशिल्प योजना	60

योजना का नाम	पृष्ठ क्रं.
आदिवासी संस्कृति का संरक्षण एवं विकास संबंधी योजनाएँ	
➢ आदिवासी सांस्कृतिक दलों को सहायता योजना	61
➢ देवगुड़ी निर्माण/मरम्मत योजना	61
➢ अनु. जाति और अनु. जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989, संशोधन अधिनियम–2015 यथा संशोधित अधिनियम–2018 अंतर्गत राहत योजना	63–77
➢ अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना	77
➢ मैनुअल स्केवेंजर्स के सर्वेक्षण	77–78
➢ प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना	78
➢ सम्मान एवं पुरस्कार तथा लोककला महोत्सव	79–81
फ्लैगशिप योजनाएँ	
➢ राजीव युवा उत्थान योजना एवं ट्रॉयबल यूथ हॉस्टल, नई दिल्ली	106–107
➢ आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति प्री.मेडिकल तथा प्री. इंजीनियरिंग परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण (कोचिंग) योजना	107
➢ मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना	108–112
➢ आर्यभट्ट विज्ञान–वाणिज्य शिक्षण प्रोत्साहन योजना	113–114
➢ विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह (PVTG) के समेकित विकास हेतु मुख्यमंत्री 11 सूत्रीय कार्यक्रम	115–116
अन्य योजनाएँ	
➢ प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम	117

छात्रावास आश्रम योजना

1. विभाग द्वारा संचालित छात्रावास/आश्रमों की सांख्यिकीय जानकारी

शैक्षणिक सत्र 2021-22 की स्थिति में

छात्रावास/आश्रम-समस्त वर्ग

अनु. क्र.	वर्ग	छात्रावास/आश्रमों की संख्या				स्वीकृत सीट्स
		प्री.मैट्रिक	पो.मैट्रिक	आश्रम	योग	
1	अनुसूचित जनजाति	1292	302	1175	2769	165106
2	अनुसूचित जाति	341	90	51	482	25707
3	अन्य पिछड़े वर्ग	8	19	0	27	1450
योग		**1641**	**411**	**1226**	**3278**	**192263**

अनुसूचित जनजाति छात्रावास

शैक्षणिक सत्र 2021-22

अनु. क्र.	छात्रावास का नाम	कुल संचालित छात्रावासों की संख्या			स्वीकृत सीट्स		
		बालक	कन्या	योग	बालक	कन्या	योग
1	प्री मैट्रिक	887	405	1292	43059	23434	66493
2	पोस्ट मैट्रिक	147	155	302	9015	9430	18445
योग		**1034**	**560**	**1594**	**52074**	**32864**	**84938**

अनुसूचित जाति छात्रावास

शैक्षणिक सत्र 2021-22

अनु. क्र.	छात्रावास का नाम	कुल संचालित छात्रावासों की संख्या			स्वीकृत सीट्स		
		बालक	कन्या	योग	बालक	कन्या	योग
1	प्री मैट्रिक	197	144	341	9076	7466	16542
2	पोस्ट मैट्रिक	48	42	90	2650	2410	5060
योग		**245**	**186**	**431**	**11726**	**9876**	**21602**

नोट :-

1. प्री मैट्रिक छात्रावास एवं आश्रमों में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को रू. 900/– प्रतिमाह से बढ़ाकर रू. 1000/– प्रतिमाह की दर से वर्ष 2019–20 से शिष्यवृति भुगतान किया जा रहा है ।

अनुसूचित जनजाति आश्रम
शैक्षणिक सत्र 2021-22

अनु. क्र.	आश्रम का नाम	कुल संचालित आश्रमों की संख्या			स्वीकृत सीट्स		
		बालक	कन्या	योग	बालक	कन्या	योग
1	माध्यमिक आश्रम	68	81	149	4750	7772	12522
2	प्राथमिक आश्रम	646	380	1026	42596	25050	67646
योग		**714**	**461**	**1175**	**47346**	**32822**	**80168**

अनुसूचित जाति आश्रम
शैक्षणिक सत्र 2021-22

अनु. क्र.	आश्रम का नाम	कुल संचालित आश्रमों की संख्या			स्वीकृत सीट्स		
		बालक	कन्या	योग	बालक	कन्या	योग
1	माध्यमिक आश्रम	1	2	3	50	800	850
2	प्राथमिक आश्रम	25	23	48	1455	1450	2905
योग		**26**	**25**	**51**	**1505**	**2250**	**3755**

पिछड़ा वर्ग छात्रावास
शैक्षणिक सत्र 2021-22

अनु. क्र.	छात्रावास का नाम	कुल संचालित छात्रावासों की संख्या			स्वीकृत सीट्स		
		बालक	कन्या	योग	बालक	कन्या	योग
1	पोस्ट मैट्रिक	08	11	19	400	650	1050
2	प्री मैट्रिक	03	05	08	150	250	400
योग		**11**	**16**	**27**	**550**	**900**	**1450**

प्री. मैट्रिक कन्या छात्रावास कुमाकोलेंग (मॉडल छात्रावास) जिला - सुकमा

2. ऑनलाईन शिष्यवृत्ति वितरण :-

प्री. मैट्रिक छात्रावासों एवं आश्रमों में निवासरत विद्यार्थियों को मेस संचालन हेतु शिष्यवृत्ति की राशि वर्ष 2015–16 से ऑनलाईन के माध्यम से प्रदाय की जा रही है। विभाग द्वारा संचालित प्री. मैट्रिक छात्रावासों एवं आश्रमों में प्रवेशित विद्यार्थियों को प्रतिमाह शिष्यवृत्ति राशि रूपये 1000/– प्रदान की जाती है। वर्तमान में शिष्यवृत्ति का वितरण ऑनलाईन द्वारा राज्य स्तर से जिले के अधीक्षकों एवं छात्रावास नायक के संयुक्त खाते में हस्तांतरित किया जाता है। विद्यार्थियों के मासिक उपस्थिति तथा मेस डाइट चार्ट के आधार पर विद्यार्थियों को शिष्यवृत्ति भुगतान किया जाता है। इस प्रक्रिया से समय की बचत तथा पारदर्शिता आई है। शिष्यवृत्ति मद में वर्ष 2021–22 हेतु प्रावधानित राशि रूपये 19628.10 है।

क्र.	योजना का नाम	वर्ष 2021-22 का प्रावधान
1	2	3
1	अनुसूचित जनजाति शिष्यवृत्ति योजना(छात्रावास)	7700.00
2	अनुसूचित जाति शिष्यवृत्ति योजना (छात्रावास)	1742.00
3	अनुसूचित जनजाति शिष्यवृत्ति योजना (आश्रम)	8400.00
4	अनुसूचित जाति शिष्यवृत्ति योजना (आश्रम)	395.00
5	अन्य पिछड़ा वर्ग शिष्यवृत्ति योजना (छात्रावास)	80.60
6	अशासकीय संस्था को शिष्यवृत्ति योजना (छा/आ) अ.ज.जा	1202.00
7	अशासकीय संस्था को शिष्यवृत्ति योजना (छा/आ) अ.जा.	92.00
8	विशेष पिछड़ी जनजाति आश्रम शिष्यवृत्ति	16.50
	योग	19628.10

3. छात्रावासी विद्यार्थियों के लिए विशेष शिक्षण केन्द्र (ट्यूशन) योजना :-

दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में कठिन विषयों के शिक्षकों का अभाव बना रहता है, जिसके कारण छात्रावास आश्रमों में निवासरत् विद्यार्थी कठिन विषयों में कमजोर रह जाते हैं, फलस्वरूप परीक्षा परिणाम अपेक्षित स्तर का नहीं रहता है। इस योजना द्वारा अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के छात्रावासों/आश्रमों में रहने वाले विद्यार्थियों को निदानात्मक एव उपचारात्मक विशेष शिक्षण के माध्यम से कठिन विषयों जैसे–गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, वाणिज्य से संबंधित कमजोरी को दूर करने की सुविधा प्रदान की जाती है, जिससे इस वर्ग के छात्र/छात्राओं के परीक्षा परिणाम में गुणात्मक सुधार के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने योग्य बन सके। विशेष शिक्षण प्रदान करने हेतु 146 विकासखंडो पर विशेष शिक्षण केन्द्र योजना प्रारंभ की गई है। वर्ष 2021–22 में इस हेतु 198.00 लाख प्रावधानित है।

4. स्वस्थ तन स्वस्थ मन (स्वास्थ्य सुरक्षा) योजना :-

छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति बाहुल्य राज्य हैं। दूर–दराज क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास न होने से छात्रावासी विद्यार्थियों को सही समय पर इलाज नहीं मिल पाता हैं, फलस्वरूप वे रोग से पीड़ित रहते हैं। इस हेतु विभागीय छात्रावास एवं आश्रमों में निवासरत छात्र–छात्राओं के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण हेतु स्वस्थ तन स्वस्थ मन (स्वास्थ्य सुरक्षा) योजना वर्ष 2007–08 से लागू है, इसके अंतर्गत अनुबंधित निजी चिकित्सकों द्वारा माह में दो बार विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है। अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के लिए वर्ष 2021–22 में इस योजना हेतु राशि रूपये 280.50 लाख प्रावधानित है।

5. छात्र भोजन सहाय योजना :-

- भारत सरकार की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनांतर्गत छात्रों को छात्रावासी दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, जिससे छात्रावासी विद्यार्थियों को ये छात्रवृत्तियां उनके मात्र भोजन की पूर्ति कर पाती है। छात्रावासी विद्यार्थियों की बढ़ती उम्र के अनुरूप संतुलित शारीरिक मानसिक विकास हेतु अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए विशेष पोषण आहार के लिए अतिरिक्त राशि प्रदाय करने के लिए छात्र भोजन सहाय योजना वर्ष 2005–06 से प्रारंभ की गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यह योजना वर्ष 2015–16 से प्रारंभ की गई है।
- इसके अंतर्गत वर्ष 2015–16 में प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह 500/– रूपए उपलब्ध कराया जाता था। यह राशि पूर्व से प्राप्त हो रही छात्रवृत्ति के अतिरिक्त होती है। वर्ष 2019–20 में राशि रूपये 500/– में वृद्धि करते हुये राशि रूपये 700/– प्रतिमाह प्रति विद्यार्थी किया गया है।
- योजना के तहत् वर्ष 2021–22 के लिए बजट प्रावधान एवं लक्ष्य की जानकारी निम्नानुसार है :–

वर्ग	प्रावधान	भौतिक लक्ष्य
अनुसूचित जाति	388.00	5410
अनुसूचित जनजाति	1300.00	18445
अन्य पिछड़ा वर्ग	74.00	1050
योग -	**1762.00**	**27905**

6. खाद्यान्न सुरक्षा योजना :-

छत्तीसगढ़ राज्य खाद्यान्न सुरक्षा योजना वर्ष 2013 से प्रारंभ की गई है। उक्त योजना अन्तर्गत विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास–आश्रमों में निवासरत विद्यार्थियों के साथ–साथ विशिष्ट संस्था/अशासकीय संस्थाओं में निवासरत विद्यार्थियों को भी रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। योजना अन्तर्गत वर्तमान में राशि रूपये 6.25/– की दर से प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह 15 किलो के मान से छात्रावास अधीक्षक द्वारा चावल का उठाव किया जाता है। स्टेट पूल के चावल का उठाव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा निर्धारित दर लगभग राशि रूपये 28/– से 30/– का भुगतान विभाग द्वारा किया जाता है। खाद्यान्न सुरक्षा योजना अतंर्गत वर्ष 2021–22 के लिए प्रावधान निम्नानुसार है :–

क्र.	वर्ग	प्रावधान
1	अनुसूचित जाति	450.00
2	अनुसूचित जनजाति	2880.00
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	22.50
योग -		**3352.50**

7. शैक्षणिक अध्ययन भ्रमण :-

बस्तर संभाग अतंर्गत विभागीय छात्रावास/आश्रमों में निवासरत छात्र–छात्राओं को शैक्षणिक गतिविधियों के साथ ही छत्तीसगढ़ की भौगोलिक एवं प्राकृतिक संरचनाओं के अध्ययन तथा सांस्कृतिक धरोहरों के संबंध में ज्ञानार्जनात्मक अभिरूचियों के विकास हेतु बस्तर संभाग अंतर्गत प्रत्येक जिले से विभागीय छात्रावास/आश्रमों में निवासरत कक्षा 9वीं से 12वीं के अधिकतम 50 छात्र–छात्राओं का चयन किया जाकर शैक्षणिक अध्ययन भ्रमण कराया जाता है। वर्ष 2021–22 में उक्त योजना हेतु 30.00 लाख प्रावधानित है।

8. गुरूकुल, आदर्श विद्यालय एवं कन्या शिक्षा परिसर अंतर्गत संचालित विशेष छात्रावास

अविभाजित म.प्र. में अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास करते हुए उन्हें इंजीनियरिंग, मेडिकल, विधि जैसे अन्य प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थानों में प्रवेश हेतु सक्षम बनाकर उच्च सेवाओं में नियोजन के लिए तैयार कर एक गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने योग्य बनाना है। इन उद्देश्य से निर्मित इस योजनांतर्गत गुरूकुल विद्यालय, आदर्श आवासीय विद्यालय तथा कन्या शिक्षा परिसर योजना प्रारंभ की गई थी। योजनांतर्गत विद्यार्थियों को विद्यालय स्तर पर उत्थान एवं विशेषज्ञ शिक्षकों से अध्यापन कराया जाना है, साथ ही शारीरिक, मानसिक तथा व्यक्तिगत विकास हेतु मार्गदर्शन प्रदान किया जाना। विद्यार्थियों के लिए छात्रावास, मेस, पुस्तकालय, संतुलित आहार आदि की निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। इन विद्यालयों में कक्षा 12वीं तक अध्यापन कराया जाता है, साथ ही विशेष कोचिंग द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी करायी जाती है।

वर्ष 2014–15 तक गुरूकुल उ.मा. विद्यालय, आदर्श उ.मा. विद्यालय एवं कन्या शिक्षा परिसर का संचालन आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा था। छत्तीसगढ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर के आदेश क0/एफ 1/2/2015/1/एक दिनांक 10.03.2015 द्वारा समस्त अमले सहित विभागीय शैक्षणिक संस्थाओं का स्कूल शिक्षा विभाग को हस्तांतरित किया गया है।

उक्त सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश उपरांत उक्त विशिष्ट संस्थाओं में से विद्यालय का संचालन शिक्षा विभाग द्वारा तथा आवासीय भाग (छात्रावास) का संचालन आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है।

गुरूकुल विद्यालय हेतु छात्रावास :- वर्तमान में विभाग द्वारा सामान्य छात्रावास गुरूकुल आदर्श विद्यालय पेण्ड्रारोड़ बिलासपुर संचालित है जिसमें 245 सीट स्वीकृत है।

आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हेतु छात्रावास :- विभाग द्वारा प्रदेश में कुल 06 आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय संचालित है, जिसमें कक्षा 6 वीं से 12 तक अनुसूचित जनजाति वर्ग के बालकों को प्रवेश दिया गया है, उक्त विद्यालयों में कुल 1795 सीटर स्वीकृत हैं। आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों हेतु स्वीकृत छात्रावास का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	जिले का नाम	आदर्श उच्चतर माध्यमिक का नाम	स्वीकृत वर्ष	कुल स्वीकृत सीट
1	जशपुर	आदर्श, उ.मा. विद्यालय, जशपुर	2010–11	245
2	कोण्डागांव	आदर्श, उ.मा. विद्यालय, फरसगांव	2010–11	315
3	बालोद	आदर्श, उ.मा. विद्यालय, डौंडी	2010–11	245
4	दंतेवाड़ा	आदर्श, उ.मा. विद्यालय, बालोद	2010–11	245
5	कोरिया	आदर्श, उ.मा. विद्यालय, बैकुण्ठपुर	2010–11	245
6	नारायणपुर	आदर्श, उ.मा. विद्यालय, नारायणपुर	2013–14	500
		योग -		1795

कन्या शिक्षा परिसर हेतु छात्रावास :- विभाग द्वारा प्रदेश में कुल 14 कन्या शिक्षा परिसरों हेतु छात्रावास का संचालन किया जा रहा है, जिसमें कक्षा 12 तक अनुसूचित जनजाति वर्ग के बालिकाओं को प्रवेश दिया जाता है। उक्त विद्यालयों में कुल 4450 सीट्स स्वीकृत हैं। कन्या शिक्षा परिसरों हेतु छात्रावास का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	जिले का नाम	कन्या शिक्षा परिसर का नाम	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत सीट
1	सरगुजा	कन्या शिक्षा परिसर, अंबिकापुर	2010–11	245
2	बलरामपुर	कन्या शिक्षा परिसर, राजपुर	2010–11	245
3	राजनांदगांव	कन्या शिक्षा परिसर, चौकी	2010–11	245
4	धमतरी	कन्या शिक्षा परिसर, दुगली	2010–11	345
5	दंतेवाड़ा	कन्या शिक्षा परिसर, पातररास	2011–12	450
6		नवीन कन्या शिक्षा परिसर, जावंगा	2014–15	500
7	सुकमा	कन्या शिक्षा परिसर, सुकमा	2011–12	450
8	बस्तर	कन्या शिक्षा परिसर, परचनपाल	2010–11	245
9		कन्या शिक्षा परिसर, भनपुरी	2013–14	245
10	सूरजपुर	कन्या शिक्षा परिसर, सूरजपुर	2013–14	245
11	कबीरधाम	कन्या शिक्षा परिसर, भोरमदेव	2013–14	245
12	बीजापुर	कन्या शिक्षा परिसर, बीजापुर	2013–14	245
13	कोण्डागांव	कन्या शिक्षा परिसर, बहीगांव	2013–14	245
14	नारायणपुर	कन्या शिक्षा परिसर, नारायणपुर	2014–15	500
		योग -		4450

नोट :- कोविड-19 के कारण वर्ष 2020-21 में प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण नहीं हुई।

प्री. मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास हरदीबाजार, पाली जिला - कोरबा

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय योजना

राज्य शासन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली से प्राप्त राशि से यह योजना संचालित हैं। अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा उपलब्ध कराकर सामान्य जाति के विद्यार्थियों के समकक्ष लाना, उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत कर प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हो, इस हेतु एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय प्रारंभ किए गए है। उक्त विद्यालय कक्षा 6वीं से 12वीं तक संचालित किया जाता है तथा वर्ष 2018–19 से विद्यालयों में सी.बी.एस.ई. के पाठ्यक्रम अनुसार अध्यापन कराया जा रहा है। भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा वर्ष 2021–22 हेतु राशि रूपये 16983.29 लाख का बजट प्रावधानित किया गया है।

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, छेरीबेड़ा, जिला-नारायणपुर

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, भैरमगढ़, जिला-बीजापुर

वर्तमान में 10 कन्या तथा 06 बालक एवं 55 संयुक्त इस प्रकार कुल 71 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में कक्षा 6वीं से 12वीं तक 60 सीटर प्रति कक्षा के मान से प्रत्येक विद्यालय में 420 बच्चों को प्रवेश देने का प्रावधान है। शिक्षण सत्र 2021–22 में लगभग 15581 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा प्रति वर्ष प्रति विद्यार्थी राशि रूपये 1,09,000/– के मान से विद्यालय संचालन हेतु राशि प्रदान किया जा रहा है। जिसमें विद्यालय के समस्त प्रकार के व्यय जैसे– कर्मचारी वेतन भत्ता, शिष्यवृत्ति, शाला गणवेश, सामग्री प्रतिपूर्ति, कार्यालय व्यय, अन्य अकास्मिक व्यय, यात्रा भत्ता, विद्यार्थी चिकित्सा भत्ता, खेलकूद सामग्री, विज्ञान एवं सांस्कृतिक मेला इत्यादि शामिल है।

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में शिक्षण सत्र 2021-22 में प्रवेशित विद्यार्थियों की जानकारी

क्र.	जिला	विद्यालय का नाम	संचालित कक्षा	स्वीकृत सीट्स			प्रवेशित सीट्स		
				बालक	कन्या	योग	बालक	कन्या	योग
1	जगदलपुर	करपावण्ड़	6–12वीं	420	0	420	418	0	418
2		बेसोली	6–12वीं	210	210	420	210	209	419
3		मेटावाड़ा	6–8वीं	90	90	180	90	90	180
4		गधियॉ	6–7वीं	0	120	120	0	120	120
5		कोडेनार	6–7वीं	60	60	120	60	60	120
6		छिदवाड़ा	6–7वीं	60	60	120	60	60	120
7	कबीरधाम	तरेगांवजंगल	6–12वीं	420	0	420	419	0	419
8	कांकेर	अंतागढ़	6–12वीं	420	0	420	418	0	418
9		कांकेर	6–8वीं	90	90	180	90	90	180
10		नरहरपुर	6–7वीं	60	60	120	60	60	120
11		भानुप्रतापपुर	6–7वीं	60	60	120	60	60	120
12		दूर्गकांदल	6–7वीं	60	60	120	60	60	120
13	दंतेवाड़ा	कटेकल्याण	6–12वीं	0	420	420	0	416	416
14		दंतेवाड़ा	6–8वीं	90	90	180	90	90	180
15		गीदम	6–7वीं	60	60	120	60	60	120
16		कुआकोण्ड़ा	6–7वीं	60	60	120	60	60	120
17	बीजापुर	भैरमगढ़	6–2वीं	210	210	420	203	200	403
18		बीजापुर	6– 8वीं	90	90	180	90	90	180
19		उसूर	6–7वीं	60	60	120	60	60	120
20		भोपालपट्नम	6–7वीं	0	120	120	0	120	120
21	नारायणपुर	छेरीबेड़ा	6–11वीं	180	180	360	180	180	360
22		ओरछा	6–8वीं	90	90	180	89	90	179

क्र.	जिला	विद्यालय का नाम	संचालित कक्षा	स्वीकृत सीट्स			प्रवेशित सीट्स		
				बालक	कन्या	योग	बालक	कन्या	योग
23	सुकमा	सुकमा	6–10वीं	150	150	300	150	150	300
24		कोंटा	6–8वीं	90	90	180	90	90	180
25		बालाटिकरा	6–7वीं	60	60	120	60	60	120
26	कोण्डागांव	गोलवड	6–11वीं	180	180	360	180	180	360
27		चिचाड़ी	6–7वीं	60	60	120	60	60	120
28		बेड़मा	6–7वीं	60	60	120	60	60	120
29		कोरगांव	6–7वीं	60	60	120	60	60	120
30		शामपुर	6–7वीं	60	60	120	60	60	120
31	कोरिया	पोडीडीह	6–12वीं	210	210	420	210	210	420
32		सोनहत	6–8वीं	90	90	180	90	88	178
33		मथान	6–7वीं	60	60	120	60	60	120
34	जशपुर	सन्ना	6–12वीं	0	420	420	0	420	420
35		घोलेंग	6–8वीं	90	90	180	90	90	180
36		ढुढरूडांड	6–7वीं	60	60	120	60	60	120
37		ढुढरूडांड	6–7वीं	60	60	120	60	60	120
38	सरगुजा	मैनपाठ	6–12वीं	420	0	420	392	0	392
39		रिखी,	6–8वीं	90	90	180	90	90	180
40		शिवपुर, बतौली	6–7वीं	0	120	120	0	120	120
41		सीतापुर	6–7वीं	60	60	120	60	60	120
42	सूरजपुर	शिवप्रसादनगर	6–12वीं	420	0	420	420	0	420
43		प्रतापपूर	6–8वीं	90	90	180	90	90	180
44		ओड़गी	6–8वीं	90	90	180	90	90	180
45		प्रेमनगर	6–7वीं	0	120	120	0	120	120
46	राजनांदगांव	पेण्ड्री	6–12वीं	210	210	420	205	207	412
47		ख्वासफकड़ी	6–8वीं	90	90	180	90	90	180
48		मीडिंगपीडिंग धेनू	6–7वीं	60	60	120	59	53	112
49	बालोद	डौंडी	6–10वीं	150	150	300	150	148	298
50	बलौदाबाजार	बल्दाकछार	6–10वीं	150	150	300	150	149	299
51	महासमुन्द	भोरिंग	6–10वीं	150	150	300	150	150	300
52	धमतरी	पथरीडीह	6–10वीं	150	150	300	150	150	300
53	गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही	डोंगरिया	6–11वीं	180	180	360	180	180	360
54		लाटा	6–8वीं	90	90	180	90	90	180
55		नेवसा	6–7वीं	60	60	120	60	60	120

क्र.	जिला	विद्यालय का नाम	संचालित कक्षा	स्वीकृत सीट्स			प्रवेशित सीट्स		
				बालक	कन्या	योग	बालक	कन्या	योग
56	रायगढ़	छोटेमुड़ार	6–12वीं	420	0	420	420	0	420
57		ब्यासी	6–8वीं	90	90	180	90	90	180
58		छर्राटांगर	6–7वीं	0	120	120	0	120	120
59	कोरबा	छूरीकला	6–12वीं	210	210	420	210	210	420
60		लाफा (पाली)	6–8वीं	90	90	180	90	90	180
61		पोडीउपरोड़ा	6–7वीं	60	60	120	60	60	120
62	जॉजगीर	पलाडीखुर्द	6–10वीं	150	150	300	148	150	298
63	बलरामपुर	भेलवाडीही	6–10वीं	150	150	300	150	150	300
64		रामनगर	6–8वीं	90	90	180	90	90	180
65		बरतीकला	6–8वीं	90	90	180	90	90	180
66		डांडखडुवां	6–7वीं	60	60	120	60	60	120
67		घुघरीकला	6–7वीं	60	60	120	60	60	120
68		चंदनपुर	6–7वीं	60	60	120	60	60	120
69	गरियाबंद	छुरा	6– 8वीं	90	90	180	90	90	180
70		मैनपुर	6–7वीं	60	60	120	60	60	120
71	मुंगेली	बंधवा, लोरमी	6व–10वीं	150	150	300	150	150	300
	योग			8370	7290	15660	8321	7260	15581

संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में प्रवेशित विद्यार्थियों की जानकारी

वर्ष	विद्यालयों की सख्या	स्वीकृत सीट	प्रवेशित सीट
2021–22	71	15660	15581
2020–21	71	12240	11595
2019–20	42	8700	8021
2018–19	25	6780	6372

शिक्षण सत्र 2020-21विद्यालयवार कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम का विवरण

क्र.	जिला	विद्यालय का नाम	दर्ज संख्या			परीक्षा में सम्मिलित विद्यार्थी	कुल उत्तीर्ण
			बालक	बालिका	योग		
1	Kondagaon	EMRS, Mardapal	28	30	58	58	58
2	Korba	EMRS Chhurikala	28	28	56	56	56
3	jagdalpur	EMRS, Karpawand	49	0	49	49	49
4	jagdalpur	EMRS, Besoli	25	25	50	50	50
5	Jashpur	EMRS, Sanna	0	60	60	59	59
6	GPM	EMRS Dongariya	29	30	59	59	59
7	Dantewada	EMRS Katekalyan	0	29	29	29	29
8	Koriya	EMRS, Podidih	23	27	50	50	50
9	Raigarh	EMRS Chhotemudpar	48	0	48	48	48
10	Kabirdham	EMRS Taregaonjangal	51	0	51	51	51
11	Surajpur	EMRS Shivprasadnagar	60	0	60	60	60
12	Rajnandgaon	EMRS Pendri	29	30	59	59	59
13	kanker	EMRS Lamkanhar	50	0	50	50	50
14	Bijapur	EMRS Bhairamgarh	24	21	45	45	45
15	Narayanpur	EMRS Chheribeda	30	30	60	60	60
16	Sarguja	EMRS Kamleswarpur	59	0	59	59	59
		Total	**533**	**310**	**843**	**842**	**842**

कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम का विवरण

क्र.	जिला	विद्यालय का नाम	दर्ज संख्या			परीक्षा में सम्मिलित विद्यार्थी	कुल उत्तीर्ण
			बालक	बालिका	योग		
1	सरगुजा	बालक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, मैनपाट	33	0	33	33	33
2	सूरजपुर	बालक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, शिवप्रसादनगर	60	0	60	60	59
3	रायगढ़	बालक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, छोटेमुड़पार	42	0	42	42	42
4	कांकेर	बालक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय अंतागढ़	34	0	34	34	34
5	बस्तर	बालक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय करपावण्ड	36	0	36	36	35
6	कबीरधाम	बालक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, तरेगांव जंगल	40	0	40	40	40
7	जशपुर	कन्या एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, सन्ना,	0	60	60	60	60
8	दन्तेवाड़ा	कन्या एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, कटेकल्याण	0	52	52	52	52
9	राजनांदगांव	संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय पेण्ड्री	28	29	57	57	57
10	कोरिया	संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, पोड़ीडीह, खड़गवाँ	21	24	45	44	44
11	कोरबा	संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, छुरीकला	27	28	55	55	55
12	बीजापुर	संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भैरमगढ़	24	26	50	50	50
		योग	**345**	**219**	**564**	**563**	**561**

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों का बोर्ड परीक्षा परिणाम

वर्ष	कक्षा 10वीं			कक्षा 12वीं		
	कुल परीक्षार्थी	उत्तीर्ण प्रतिशत	प्रथम श्रेणी प्रतिशत	कुल परीक्षार्थी	उत्तीर्ण प्रतिशत	प्रथम श्रेणी प्रतिशत
2020–21	842	100%	100%	563	99.64%	99.64%
2019–20	660	98.03%	86.21%	554	94.22%	52.27%
2018–19	603	98.67%	89.05%	469	89.55%	54.15%
2017–18	626	98.24%	80.83%	395	92.65%	65.06%

शिक्षण सत्र 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम का तुलनात्मक विवरण

कक्षा	वर्ष 2018-19		वर्ष 2019-20		वर्ष 2020-21	
	कुल उत्तीर्ण का प्रतिशत	प्रथम श्रेणी प्रतिशत	कुल उत्तीर्ण का प्रतिशत	प्रथम श्रेणी प्रतिशत	कुल उत्तीर्ण का प्रतिशत	प्रथम श्रेणी प्रतिशत
10वीं	98.67	90.20	98.03	87.90	100	100
12वीं	89.55	60.50	91.22	55.90	99.64	99.64

आजादी का अमृत महोत्सव

भारत वर्ष की आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पूरे देशभर में आजादी का अमृत महोत्सव 15.11.2021 से 22.11.2021 तक मनाया गया, जिसमें भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के विद्यार्थियों द्वारा बढ़–चढ़कर भाग लिया गया।

आजादी के अमृत महोत्सव की झलकियां -

राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार-2021 में छत्तीसगढ़ को मिली उपलब्धि

संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय करपावण्ड, जिला–बस्तर के डॉ. प्रमोद कुमार शुक्ला, व्याख्याता (अंग्रेजी) को वर्ष 2020–21 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिये चुना गया। डॉ. शुक्ला, व्याख्याता (अंग्रेजी) एक मात्र ऐसे शिक्षक है जो देश भर के समस्त एकलव्य आवासीय विद्यालयों में से चुने गए हैं।

राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 05 सितम्बर 2021 के अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा डॉ प्रमोद कुमार शुक्ला, शिक्षक को वर्चुअली राष्ट्रीय शिक्षक पुरूस्कार–2021 से सम्मानित किया गया है।

इस उपलब्धि से जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित समस्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय एवं छत्तीसगढ़ राज्य गौरान्वित हुआ।

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के प्राचार्यो एवं विषय शिक्षकों का उन्मुखीकरण एवं क्षमता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय दूरदराज आदिवासी क्षेत्रों में स्थित है तथा प्रवेशित विद्यार्थी प्रतिभावान तो है किन्तु पारिवारिक पृष्ठभूमि कमजोर होने से उन्हें नवीन समाज के अनुरूप भूमिका के लिए तैयार करने हेतु शिक्षकों में सहनशीलता, धैर्य, सहयोगी एवं संवेदनशील होना आवश्यक है तभी जनजाति वर्ग के विद्यार्थी शिक्षक से खुलकर संवाद स्थापित कर सकते हैं। इसी उद्देश्य से दिनांक 26.11.2021 से 03.12.2021 तक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के प्राचार्यो एवं विषय शिक्षकों का उन्मुखीकरण एवं क्षमता विकास आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम AZIM PREMJI FOUNDATION, जो राष्ट्रीय स्तर पर एक अलार्मकारी प्रतिष्ठित संस्था है, के विशेषज्ञों द्वारा पुराना आयुक्त कार्यालय, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर, रायपुर में आयोजित किया गया।

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में खेल, सांस्कृतिक एवं बौद्धिक प्रतियोगिता का आयोजन

भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा प्रवर्तित एवं छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के मध्य राज्य स्तर की खेल प्रतियोगिता वर्ष 2021–22 का आयोजन निम्नांकित तिथियों पर आयोजित हुआ :–

क्र.	स्तर	कार्यक्रम की तिथियाँ
1	विद्यालय स्तर	दिनांक 19.12.2021
2	जिला स्तर	दिनांक 21.12.2021
3	संभाग स्तर	दिनांक 23–24 दिसंबर 2021
4	राज्य स्तर पर	दिनांक 27–28–29 दिसंबर 2021

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रदेश के दूरस्थ वंनाचलों के अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र/छात्राओं के सर्वागीण विकास हेतु एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य में 71 एकलव्य विद्यालय संचालित है, इनमें से बस्तर संभाग में 29, सरगुजा संभाग में 21, बिलासपुर संभाग में 11 तथा दुर्ग एवं रायपुर संभाग में 5–5 विद्यालय संचालित है। जिसमें 10 बालिका, 06 बालक एवं 55 संयुक्त विद्यालय है तथा इनमें बालक 8321 तथा 7260 बालिकाएं इस प्रकार कुल 15581 विद्यार्थी शालेय शिक्षा प्राप्त कर रहे है।

वर्ष 2020–21 में यह प्रतियोगिता कोविड महामारी के कारण सम्पन्न नहीं हो पाई थी। अतः इस वर्ष 2021–22 में माननीय मंत्रीजी के पहल पर राज्य स्तरीय संचालक मंडल की बैठक में प्रत्येक स्तर पर अर्थात विद्यालय, जिला, संभाग एवं राज्य स्तर पर कराने का निर्णय लिया गया। इस प्रतियोगिता में 16 प्रकार के खेल आयोजित किये गए, जिसमें एथलेटिक्स, बैडमिंटन, फुटबाल, हैण्डबाल, कबड्डी, खो–खो, व्हालीबाल, तीरदांजी, ताईक्वाडों, कराटे, बालक तथा बालिका वर्ग की प्रतियोगिता दिनांक 27 से 29 दिसम्बर 2021 तक आयोजित की गई। इसके अतिरिक्त सांस्कृतिक प्रतियोगिता के अंतर्गत गायन, वादन एवं नृत्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, इसके साथ ही बौद्धिक प्रतियोगिता अंतर्गत तात्कालिक भाषण, निबंध, लेखन, वाद–विवाद, प्रश्नमंच, चित्रकला का आयोजन एक साथ प्रथम बार आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य यह है कि एकलव्य विद्यालय के बच्चों को खेल के साथ–साथ उनके सहपाठ्यगामी गतिविधियों के माध्यम से सर्वागीण विकास का अवसर प्राप्त हो।

राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हेतु छात्र–छात्राओं का चयन विभिन्न स्तर पर क्रीड़ा प्रतियोगिता आयोजित कर किया गया। इस प्रकार राज्य के पांचो संभाग यथा बस्तर संभाग के 151 बालक, 136 बालिका कुल 287, बिलासपुर संभाग से 150 बालक, 140 बालिका कुल 290, दुर्ग संभाग के 150 बालक, 79 बालिका कुल 229, रायपुर संभाग के 74 बालक, 86 बालिका कुल 160 तथा सरगुजा संभाग के 190 बालक, बालिका कुल 345

इस प्रकार कुल 715 बालक एवं 596 बालिका, कुल 1311 खिलाड़ियों का राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हेतु चयन किया गया।

खेलों का आयोजन पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, हॉकी स्टेडियम एंव स्वामी विवेकानंद स्टेडियम कोटा में किया गया। इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में 16 खेलों में अन्डर 14 एवं अन्डर 19 आयु समूह में कुल 1311 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इसमें रायपुर संभाग को 110 अंक, दुर्ग संभाग को 158 अंक, बिलासपुर संभाग को 288 अंक, सरगुजा संभाग को 311 अंक तथा बस्तर संभाग को 504 अंक प्राप्त हुये। इस प्रकार राज्य खेल प्रतियोगिता में बस्तर संभाग ने प्रथम स्थान, सरगुजा संभाग ने द्वितीय स्थान तथा बिलासपुर संभाग ने तृतीय स्थान प्राप्त किया है।

इसी प्रकार सांस्कृतिक एवं बौद्धिक प्रतियोगिता में अन्डर 14 एवं अन्डर 19 आयु समूह में कुल 238 खिलाड़ियों ने भाग लिया। बस्तर संभाग को 10 अंक, सरगुजा संभाग को 18 अंक, रायपुर संभाग को 21 अंक, दुर्ग संभाग को 27 अंक तथा बिलासपुर संभाग को 34 अंक प्राप्त हुये। इस प्रकार राज्य सांस्कृतिक एवं बौद्धिक प्रतियोगिता में रायपुर संभाग ने तृतीय स्थान, दुर्ग संभाग ने द्वितीय स्थान तथा बिलासपुर संभाग ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है।

2021-22

विशेष पिछड़ी जनजातियों (PVTG) हेतु आवासीय विद्यालय

छत्तीसगढ़ राज्य में भारत सरकार द्वारा घोषित 05 विशेष पिछड़ी जनजाति निवासरत हैं। ये जातियां बैगा, कमार, अबुझमाड़िया, बिरहोर, पहाड़ी कोरबा हैं। इन जनजातियों में शिक्षा का प्रसार बहुत कम होने के कारण स्वास्थ्य, रोजगार एवं जागरूकता की कमी होने के कारण इनकी स्थिति अन्य जनजातियों की तुलना में काफी दयनीय है। इन जनजातियों को ऊपर उठाने हेतु शिक्षा एक सर्वाधिक कारगर माध्यम है।

अतः भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति समूह (PVTG) के विकास हेतु विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए संरक्षण सहविकास (CCD) की कार्ययोजना (के.क्षे.यो.) वर्ष 2012–17 अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए आवासीय विद्यालय खोलने की स्वीकृति भारत सरकार, जनजातिय कार्य मंत्रालय द्वारा दी गई है, जिसके तहत छ.ग. शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर के पत्र क्र./एफ–20–18/2013 /25–2/आजक दिनांक 03.10.2013 एवं 30.03.2017 द्वारा PVTG विद्यालय हेतु पदों की संरचना स्वीकृत की गई है। ये विद्यालय कक्षा 1ली से 10वीं तक होंगे तथा इस विद्यालय में अध्ययनरत प्रत्येक विद्यार्थी को रू 85,000/– वार्षिक के मान से समस्त व्यय स्वीकृत किया गया है।

प्रदेश में संचालित विशेष पिछड़ी जनजाति आवासीय विद्यालयों की सूची

क्र.	जिला	विकासखंड	विद्यालय का नाम	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत सीट	विद्यालय संचालन/भवन निर्माण की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
1	बलरामपुर	बलरामपुर	विशेष पिछड़ी जनजाति (पहाडी कोरबा) आवासीय विद्यालय भेलवाडीह	2012–13	100	संचालित
2	धमतरी	नगरी	विशेष पिछड़ी जनजाति (कमार) आवासीय विद्यालय मुकुन्दनगर	2014–15	100	संचालित
3	कबीरधाम	पंडरिया	विशेष पिछड़ी जनजाति (बैगा) आवासीय विद्यालय पोलमी	2012–13	100	संचालित
4	कबीरधाम	बोड़ला	विशेष पिछड़ी जनजाति (बैगा) आवासीय विद्यालय चौरा	2014–15	100	भवन निर्माणाधीन
5	गरियाबंद	गरियाबंद	विशेष पिछड़ी जनजाति (कमार) आवासीय विद्यालय केशोडोर	2012–13	100	भवन निर्माणाधीन
6	कोरिया	भरतपुर	विशेष पिछड़ी जनजाति (बैगा) आवासीय विद्यालय नौढ़िया	2012–13	100	भवन निर्माणाधीन
7	सरगुजा	अंबिकापुर	विशेष पिछड़ी जनजाति (पहाडी कोरबा) आवासीय विद्यालय घघरी	2012–13	100	भवन निर्माणाधीन
8	गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही	गौरेला	विशेष पिछड़ी जनजाति (बैगा) आवासीय विद्यालय धनौली	2014–15	100	भवन निर्माणाधीन
9	जशपुर	बगीचा	विशेष पिछड़ी जनजाति (पहाडी कोरबा) आवासीय विद्यालय रूपसेरा	2014–15	100	भवन निर्माणाधीन
10	नारायणपुर	ओरछा	विशेष पिछड़ी जनजाति (आबुझमाड़ीया) आवासीय विद्यालय ओरछा	2016–17	200	भवन निर्माणाधीन

पं. जवाहर लाल नेहरू उत्कर्ष योजना

शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट मापदंड स्थापित करने वाले प्रतिष्ठित पब्लिक स्कूलों एवं समकक्ष संस्थाओं के महंगी फीस के कारण प्रतिभावन गरीब अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र उक्त विद्यालय में पढ़ने से वंचित रह जाते है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कक्षा 6वीं में 130 अनुसूचित जनजाति एवं 70 अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष राज्य के उत्कृष्ट पब्लिक स्कूलों में प्रवेश दिलाया जाता है। वर्ष 2020–21 में कोरोना संक्रमण के कारण नवीन प्रवेश नहीं दिया गया तथा वर्तमान में पूर्व प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या 808 है। इस प्रकार कुल 808 विद्यार्थी वर्तमान में अध्ययनरत् हैं। इस हेतु वर्ष 2021–22 में कुल बजट प्रावधान 1420.00 लाख का है।

पं. जवाहर लाल नेहरू उत्कर्ष योजनांतर्गत विगत वर्षो की जानकारी :-

क्र.	वर्ष	बजट प्रावधान (राशि लाख में)	विद्यार्थियों की संख्या		
			नवीन प्रवेशित	नवीनीकरण	योग
1	2013–14	1011.74	145	986	1131
2	2014–15	1220.00	186	1059	1245
3	2015–16	1245.00	82	1086	1168
4	2016–17	1245.00	244	719	963
5	2017–18	1400.00	175	824	999
6	2018–19	1400.00	182	791	973
7	2019–20	1400.00	150	815	965
8	2020–21	1420.00	–	808	808
9	2021–22	1420.00	256(वर्ष 2020–21 एवं 2021–22)	625	881

उपलब्धियाँ :-

वर्ष	छात्रों का परीक्षा परिणाम का प्रतिशत		नीट में चयनित	जेईई में चयनित	क्लेट	शासकीय नौकरी में उच्च पद पर पदस्थ
	10वीं प्रतिशत	12वीं प्रतिशत				
2016–17	90.48	7.94	10	08	01	03
2017–18	85.71	82.83				
2018–19	98.40	93.84				
2019–20	99.00	94.96				
2020–21	100	96.64				
2021–22	–	–				

क्रीड़ा परिसर योजना

छत्तीसगढ़ राज्य में आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति के खेल प्रतिभागियों को प्रोत्साहित करने के लिए आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा वर्तमान में 19 क्रीड़ा परिसर संचालित किये जा रहे हैं। जिनमें प्रति क्रीड़ा परिसर 100 सीट के मान से कुल 1900 सीट स्वीकृत है। ये क्रीड़ा परिसर उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के साथ संबद्ध है। इन संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र–छात्राएं अपनी खेल प्रतिभा को विकसित करते हुए निरंतर अध्ययनरत हैं।

क्रीड़ा परिसरों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	जिले का नाम	परिसर का प्रकार	क्रीड़ा परिसर का नाम	प्रशिक्षण खेल विधाएं
1	बालोद	बालक	अनु. जनजाति क्रीड़ा परिसर, डौंडी	फुटबाल, तीरंदाजी, खो–खो, एथलेटिक्स
2	गरियाबंद	बालक	अनु. जनजाति क्रीड़ा परिसर, गरियाबंद	हाकी, व्हालीवाल, बास्केटबाल, एथलेटिक्स
3	बस्तर	बालक	अनु. जनजाति क्रीड़ा परिसर, धरमपुरा, जगदलपुर	तीरंदाजी, व्हालीवाल, कबड्डी, एथलेटिक्स
4		कन्या	अनु. जनजाति क्रीड़ा परिसर, जगदलपुर	तीरंदाजी, व्हालीवाल, खो–खो, एथलेटिक्स
5		कन्या	अनु. जनजाति क्रीड़ा परिसर, भानपुरी	तीरंदाजी, व्हालीवाल, खो–खो, एथलेटिक्स
6	नारायणपुर	बालक	अनु. जनजाति क्रीड़ा परिसर, नारायणपुर	तीरंदाजी, व्हालीवाल, फुटबाल, एथलेटिक्स
7	जशपुर	बालक	अनु. जनजाति क्रीड़ा परिसर, जशपुर	हाकी, फुटबाल, कबड्डी, एथलेटिक्स
8		कन्या	अनु. जनजाति क्रीड़ा परिसर, जशपुर	खो–खो, हाकी, फुटबाल, एथलेटिक्स
9	गौरेला–पेण्ड्रा –मरवाही	बालक	अनु. जनजाति क्रीड़ा परिसर, पेण्ड्रारोड	जिम्नास्टिक, हैण्डबाल, तीरंदाजी, एथलेटिक्स
10	कोरिया	बालक	अनु. जनजाति क्रीड़ा परिसर, मनेन्द्रगढ़	कबड्डी, हाकी, फुटबाल, एथलेटिक्स
11	राजनांदगांव	कन्या	अनु. जनजाति क्रीड़ा परिसर, चौकी	कबड्डी, खो–खो, हाकी, एथलेटिक्स
12	रायगढ	कन्या	अनु. जनजाति क्रीड़ा परिसर, धरमजयगढ़	हैण्डबाल, कबड्डी, खो–खो, एथलेटिक्स

क्र.	जिले का नाम	परिसर का प्रकार	क्रीडा परिसर का नाम	प्रशिक्षण खेल विधाएं
13	कांकेर	कन्या	अनु. जनजाति क्रीड़ा परिसर, कांकेर	तीरंदाजी, फुटबाल, हैण्डबाल, एथलेटिक्स
14	सरगुजा	कन्या	अनु. जनजाति क्रीड़ा परिसर, सरगुजा	हॉकी, हैण्डबाल, व्हालीवाल, एथलेटिक्स
15	बलरामपुर	बालक	अनु. जनजाति क्रीड़ा परिसर, वाड्रफनगर	कबड्डी, खो–खो, फुटबाल, एथलेटिक्स
16	मुंगेली	बालक	अनु. जनजाति क्रीड़ा परिसर, मुंगेली	कबड्डी वास्केटबाल, व्हालीवाल एथलेटिक्स
17	जांजगीर–चांपा	कन्या	अनु. जनजाति क्रीड़ा परिसर, हसौद	खो–खो, हैण्डबाल, व्हालीवाल, एथलेटिक्स
18	रायपुर	बालक	अनु. जनजाति क्रीड़ा परिसर, रायपुर	कबड्डी, बास्केटबाल, व्हालीवाल, एथलेटिक्स
19	बिलासपुर	बालक	अनु. जनजाति क्रीड़ा परिसर, बिलासपुर	कबड्डी, तैराकी, फुटबाल एथलेटिक्स

क्रीड़ा परिसर में प्रवेशित विद्यार्थियों को सुविधाएं :-

प्रत्येक क्रीड़ा परिसर में बालक/कन्या आवासीय सुविधा सहित खेल प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है। प्रत्येक बालक/कन्या को प्रतिमाह रू 1000 शिष्यवृत्ति एवं रू 500 पोषण आहार हेतु, इस प्रकार कुल राशि रू 1500 प्रतिमाह दिया जाता है।

विभागीय क्रीड़ा परिसर में प्रत्येक विद्यार्थी को वर्ष में एक बार राशि रू. 3000 मूल्य की संपूर्ण खेल पोषाक दी जाती है, जिसमें 01 ट्रैक सूट, 01 स्पोर्टस/वार्मअप शूज, 02 जोड़ी मोजा एवं 02 जोड़ी संबंधित खेल की पोषाक सम्मिलित है।

टीप :- कोविड 19 के संक्रमण के कारण वर्ष 2020-21 में संस्था का संचालन नहीं किया गया।

ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति

ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति

प्रदेश में अनुसूचित जाति / जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के दौरान आर्थिक सहयोग प्रदान करने के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना शासन द्वारा संचालित की जा रही है। छात्रवृत्ति का समय पर स्वीकृति एवं भुगतान सुनिश्चित करने एवं इसके मॉनीटरिंग करने में विभाग को अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता था, इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों एवं पालकों को समय पर एवं सही छात्रवृत्ति न मिलने की शिकायतें आती रहती थी।

उपरोक्त समस्याओं के निराकरण हेतु वर्ष 2012–13 से पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पूरी प्रक्रिया का कम्प्यूटराइजेशन किया जाकर ऑनलाईन आवेदन एवं स्वीकृति की व्यवस्था के माध्यम से छात्रवृत्ति योजना को पारदर्शी बनाया गया है। इस हेतु विभागीय वेबसाइट (www.mpsc.mp.nic.in) तैयार किया गया है जिसमें विद्यार्थियों द्वारा आनलाइन आवेदन करके बायोडाटा की प्रविष्टि एक बार करने के पश्चात् उसे पूरे अध्ययनकाल मे छात्रवृत्ति प्राप्त होती रहेगी और प्रतिवर्ष नये आवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

वर्ष 2015–16 से सभी विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति उनके बैंक एकाउंट में ही स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है। जिसके अनुसार विद्यार्थियों की खाते में छात्रवृत्ति राशि का हस्तांतरण ऑनलाईन के माध्यम से किया जा रहा है।

सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 10.03.2015 के द्वारा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति अंतर्गत वर्ष 2015–16 से कक्षा 11वीं एवं 12वीं की छात्रवृत्ति का संचालन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किया जाना है। कक्षा 11वीं एवं 12वीं हेतु छात्रवृति की राशि शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृति अनुसार शिक्षा विभाग को प्रदाय किया जाता है। कक्षा 12 वीं से उच्चतर कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु छात्रवृत्ति संचालन का कार्य पूर्व की भांति विभाग द्वारा किया जा रहा है। वर्ष 2020–21 में कुल 5.42 लाख विद्यार्थियों को लगभग राशि रूपये 225.86 करोड़ की छात्रवृत्ति का वितरण किया जा रहा है। वर्ष 2021–22 की छात्रवृत्ति स्वीकृत की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

विगत तीन वर्षों की छात्रवृत्ति स्वीकृति एवं भुगतान निम्नानुसार है :-

SC Post Matric scholarship		
Year	Students	Amount (in lakhs)
2018-19	99543	5315.15
2019-20	95433	5521.43
2020-21	102512	5230.67

ST Post Matric scholarship		
Year	Students	Amount (in lakhs)
2018-19	153785	7184.14
2019-20	143355	7308.22
2020-21	146616	6701.88

OBC Post Matric scholarship		
Year	Students	Amount (in lakhs)
2018-19	303248	10096.55
2019-20	280343	10347.26
2020-21	292969	10653.19

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (निर्वाह भत्ता) (अ.ज.जा.)

- आय–सीमा– रू. 2.50 लाख तक वार्षिक आय,
- भारत सरकार द्वारा छात्रवृत्ति की दरें दिनांक 01.07.2010 से निम्नानुसार लागू हैं :–

समूह	छात्रवृत्ति की दरें (प्रति माह)	
	छात्रावासी	दिवा छात्र
समूह-1- (i) डिग्री तथा स्नातकोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रम यथा–एम.फिल, पीएच.डी तथा औषधि में पोस्ट डाक्टोरल अनुसंधान (अलोपैथिक, भारतीय तथा अन्य मान्यता प्राप्त औषधि पद्धतियां) इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी, प्लानिंग, कृषि, डिजाईन, फैशन टेक्नालॉजी, पशु–चिकित्सा एवं सम्बद्ध विज्ञान, प्रबंधन, बिजनेस वित्त, बिजनेस प्रशासन तथा कम्प्यूटर अनुप्रयोग / विज्ञान। (ii) वाणिज्यिक पायलेट लाइसेंस (हेलिकाप्टर पायलट तथा मल्टी–इंजिन रेटिंग पाठ्यक्रम (iii) प्रबंधन तथा औषधि में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम (iv) सी.ए. / आई.सी.डब्ल्यू.ए. / सी.एस. / आई.सी.एफ.ए. आदि पाठ्यक्रम (v) एम.फिल., पीएच.डी तथा पोस्ट डाक्टोरल अनुसंधान यथा–डी.लिट, डी.एस.सी. इत्यादि (vi) एल.एल.एम.	1200	550
समूह-2 - (i) स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तरीय डिग्री पाठ्यक्रम, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र स्तरीय पाठ्यक्रम जैसे–फार्मेसी (बी.फार्मा), नर्सिंग (बी.नर्सिंग), एल.एल.बी., बी.एफ.एस. अन्य पैरा मेडिकल ब्रांच जैसे–रिहायबिलिटेशन, डायगनोस्टिक इत्यादि, होटल प्रंबधन, मॉस कम्यूनिकेशन, ट्रवेल / टूरिज्म / हॉस्पिटायलिटी प्रबंधन, आंतरिक साज–सज्जा, न्यूट्रिशन और डायटेटिक्स, कामर्सियल आर्ट, वित्तीय सेवाएं जैसे–बैंकिंग, इन्शयूरेन्श इत्यादि जिसके लिए प्रवेश परीक्षा 12 स्तर के हो। (ii) स्नातकोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रम जो समूह–1 में शामिल न हो जैसे–एम.ए., एम.एस.सी., एम.कॉम, एम.एड इत्यादि	820	530
समूह-3- स्नातक स्तरीय अन्य डिग्री पाठ्यक्रम (जो समूह–1 तथा 2 द्वारा शामिल नहीं किए गए हैं) जैसे–बी.ए., बी.एस.सी., बी.कॉम., बी.एड इत्यादि।	570	300
समूह-4- सभी पोस्ट मैट्रिकुलेशन स्तरीय नॉन डिग्री पाठ्यक्रम जिसके लिए प्रवेश परीक्षा हाईस्कूल स्तरीय हो। आई टी आई पाठ्यक्रम, त्रिवषीय पॉलिटेक्निक डिप्लोमा पाठ्यक्रम	380	230

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (निर्वाह भत्ता) (अनुसूचित जाति)

- आय–सीमा– रू. 2.50 लाख तक वार्षिक आय,
- भारत सरकार द्वारा छात्रवृत्ति की दरे वर्ष 2020–21 से वर्ष 2025–26 तक निम्नानुसार लागू है :–

समूह	छात्रवृत्ति की दरें (प्रति माह)	
	छात्रावासी	दिवा छात्र
समूह-1- डिग्री तथा स्नातकोत्तर स्तरीय प्रोफेशनल पाठ्यक्रम	1200	550
समूह-2 - डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट से संबंधित अन्य प्रोफेशनल पाठ्यक्रम	820	530
समूह-3- स्नातक एवं स्नातकोत्तरीय स्तरीय अन्य पाठ्यक्रम (जो समूह–1 तथा 2 द्वारा शामिल नहीं किए गए हैं)	570	300
समूह-4- सभी पोस्ट मैट्रिकुलेशन स्तरीय नॉन डिग्री पाठ्यक्रम जिसके लिए प्रवेश परीक्षा हाईस्कूल स्तरीय हो।	380	230

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति राज्य शासन की दर (पिछड़ा वर्ग)

- आय–सीमा–रू. 1,00,000/– तक वार्षिक
- वर्तमान में उक्त छात्रवृत्ति राज्य आयोजना से दी जा रही है। छात्रवृत्ति की दरें निम्नानुसार है :–

समूह	छात्रवृत्ति की दरें (माहवार रूपये)				
	अध्ययन का वर्ष	छात्रावासी		गैर छात्रावासी	
		छात्र	छात्रा		
अ–मेडिकल तथा इंजीनियरिंग	प्रथम वर्ष	210	220	100	100
	द्वितीय वर्ष	210	255	100	115
बी.व्ही.एस.सी. तथा बी.एस.सी. (कृषि)	प्रथम वर्ष	185	195	100	110
	द्वितीय वर्ष	185	200	100	115
आ–डिप्लोमा कोर्सेस, मेडिकल टेक्नालॉजी तथा पोस्ट ग्रेजुएट साइंस	प्रथम वर्ष	130	135	100	110
	द्वितीय वर्ष	130	135	100	110
इ–सर्टिफिकेट कोर्सेस इंजीनियरिंग, मेडिकल टेक्नालॉजी तथा पोस्ट ग्रेजुएट, आर्ट एवं कामर्स	प्रथम वर्ष	125	135	100	110
ई–सर्टिफिकेट कोर्सेस अप टू ग्रेजुएट लेवल व बाद के वर्ष	प्रथम वर्ष	100	110	55	70
	द्वितीय वर्ष	115	130	70	85
स–कक्षा – 11वीं		100	110	50	60
कक्षा – 12वीं		100	110	55	70

अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति

अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति शाखा की जानकारी (अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति शाखा)

भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, बौद्ध, जैन एवं पारसी समुदाय) के छात्र–छात्राओं के शैक्षणिक विकास के प्रयासों को प्रोत्साहित करने तथा शिक्षा के लिए पड़ने वाले आर्थिक भार को कम करने के उद्देश्य से निम्नांकित योजनाएं प्रारंभ है :–

1. मैट्रिक पूर्व (प्री. मैट्रिक) छात्रवृत्ति
2. मैट्रिकोत्तर (पोस्ट मैट्रिक) छात्रवृत्ति
3. मेरिट सह साधन आधारित (मेरिट कम मीन्स) छात्रवृत्ति

भारत सरकार द्वारा छात्रवृत्ति योजना के तहत् राज्य के अल्पसंख्यक समुदायवार लाभान्वितों की संख्या नियत की जाती है। अतः नियत संख्या से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर निर्धनता सह प्रावीण्यता के आधार पर चयन किया जाता है। कुल देय छात्रवृत्तियों का न्यूनतम 30 प्रतिशत छात्राओं को देय होता है, परन्तु वांछित संख्या तक छात्राओं के आवेदन पत्र प्राप्त न होने पर उक्त छात्रवृत्ति छात्रों को दी जाती है।

भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा उपर्युक्त योजनाओं का क्रियान्वयन राज्य सरकारों के माध्यम से किया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य में उपर्युक्त योजनाओं के क्रियान्वयन का दायित्व आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग पर है। लक्ष्य का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता है। नवीनीकरण के लिए लक्ष्य निर्धारित नहीं की जाती है।

योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी निम्नानुसार है :–

1. मैट्रिक पूर्व (प्री. मैट्रिक) छात्रवृत्ति

यह योजना वर्ष 2008–09 से प्रारंभ की गई है। यह छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक वर्ग के कक्षा 1ली से 10वीं तक के उन विद्यार्थियों को प्राप्त होती है, जो भारत के अन्दर शासकीय तथा निजी स्कूलों के साथ–साथ शासकीय आवासीय स्कूल तथा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त एवं अधिसूचित निजी आवासीय शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत है । इस योजना हेतु भारत सरकार द्वारा 100 प्रतिशत राशि का वहन किया जाता है।

प्रति शिक्षण वर्ष में 10 माह हेतु निम्नानुसार प्रवेश शुल्क, शिक्षण तथा भरण–पोषण भत्ता प्रदान किया जाता है :–

क्रमांक	विवरण		छात्रावासी	दिवा स्कालर (गैर छात्रावासी)	रिमार्क
1	कक्षा 1ली से 5वीं तक (भरण–पोषण भत्ता)		–	100/– प्रतिमाह	अथवा वास्तविक व्यय, जो भी कम हो।
2	कक्षा 6वीं से 10वीं तक	प्रवेश शुल्क	500/– प्रतिवर्ष	500/– प्रतिवर्ष	
		शिक्षण शुल्क	350/– प्रतिमाह	3500/– प्रतिमाह	
		भरण पोषण भत्ता	600/– प्रतिमाह	100/– प्रतिमाह	

पात्रता :-

1. पिछली वार्षिक परीक्षा में (कक्षा 1ली को छोड़कर) 50 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त होने पर।
2. पालक की वार्षिक आय 1.00 लाख से अधिक न होने की स्थिति में।
3. बैंक में खाता हो।

उपबंध :-

1. यह छात्रवृत्ति एक परिवार के केवल दो विद्यार्थियों को दी जाती है ।
2. 30 प्रतिशत छात्रवृत्ति छात्राओं के लिए चिन्हित है ।

आवेदन, चयन एवं वितरण की प्रक्रिया :-

भारत सरकार की वेबसाईट www.scholarships.gov.in में विद्यार्थियों द्वारा "आनलाईन" आवेदन किया जाकर forward/Submit किया जाता है तत्पश्चात् संस्था एवं जिला कार्यालय के द्वारा Scrutiny की जाती है । भारत सरकार के द्वारा ऑनलाईन चयन किया जाता है व डीबीटी के माध्यम से छात्रवृत्ति की राशि सीधे विद्यार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है।

वर्षवार लक्ष्य एवं उपलब्धि :-

<table>
<tr><th>वर्ष</th><th colspan="2">लक्ष्य/ उपलब्धि</th><th>मुस्लिम</th><th>ईसाई</th><th>सिक्ख</th><th>बौद्ध</th><th>जैन</th><th>पारसी</th><th>योग</th></tr>
<tr><td rowspan="5">2020-21</td><td colspan="2">लक्ष्य (नवीन)</td><td>6607</td><td>6293</td><td>898</td><td>904</td><td>789</td><td>0</td><td>15491</td></tr>
<tr><td rowspan="4">उपलब्धि</td><td>नवीन</td><td colspan="7" rowspan="3">भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015–16 से छात्रवृत्ति की राशि डी.बी.टी. के माध्यम से सीधे विद्यार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित की जा रही है। वर्ष 2020–21 में भारत सरकार के द्वारा 4210 विद्यार्थियों को राशि रूपये 129.00 लाख छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाकर डी.बी.टी. के माध्यम से वितरीत की गई है।</td></tr>
<tr><td>नवीनीकरण</td></tr>
<tr><td>योग</td></tr>
<tr><td rowspan="5">2021-22</td><td colspan="2">लक्ष्य (नवीन)</td><td>6607</td><td>6293</td><td>898</td><td>904</td><td>789</td><td>0</td><td>15491</td></tr>
<tr><td rowspan="4">उपलब्धि</td><td>नवीन</td><td colspan="7" rowspan="3">भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली स्तर से डी.बी.टी. के माध्यम से वर्ष 2021–22 छात्रवृत्ति की राशि वितरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।</td></tr>
<tr><td>नवीनीकरण</td></tr>
<tr><td>योग</td></tr>
</table>

मैट्रिकोत्तर (पोस्ट मैट्रिक) छात्रवृत्ति :-

यह योजना वर्ष 2007–08 से लागू है। यह छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक वर्ग के कक्षा 11वीं, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, एम. फिल एवं पी.एच.डी में अध्ययनरत/शोधरत विद्यार्थियों को जो भारत के अन्दर शासकीय तथा निजी स्कूलों के साथ–साथ शासकीय आवासीय स्कूल तथा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त एवं अधिसूचित निजी आवासीय शैक्षणिक संस्थाओं महाविद्यालय/विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत है। प्रति शिक्षण वर्ष में 10 माह हेतु निम्नानुसार प्रवेश शुल्क, शिक्षण तथा भरण–पोषण भत्ता प्रदान किया जाता है :–

क्र.	विवरण	छात्रावासी	दिवा स्कालर	रिमार्क
1	प्रवेश एवं शिक्षण शुल्क, कक्षा 11वीं एवं 12वीं	7,000/– प्रतिवर्ष	7,000/– प्रतिवर्ष	अथवा वास्तविक व्यय, जो भी कम हो।
2	प्रवेश एवं शिक्षण शुल्क, कक्षा 11वीं एवं 12वीं स्तर के तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम	10,000/– प्रतिवर्ष	10,000/– प्रतिवर्ष	
3	प्रवेश एवं शिक्षण शुल्क स्नातक एवं स्नाकोत्तर	3,000/– प्रतिवर्ष	3,000/– प्रतिवर्ष	
4	अनुरक्षण भत्ता (10 माह हेतु) 1. कक्षा 11वीं से 12वीं एवं इस स्तर के तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम	380/– प्रतिमाह	230/– प्रतिमाह	
	2. स्नातक एवं स्नाकोत्तर (तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम छोड़कर)	570/– प्रतिमाह	300/– प्रतिमाह	
	3. एम.फिल. और पी.एच.डी.	1200/– प्रतिमाह	550/– प्रतिमाह	

पात्रता :-

1. जिन्होने पिछली वार्षिक परीक्षा में 50 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त किया हो।
2. जिनके पालक की सभी स्त्रोंतों से आय रूपये 2.00 लाख वार्षिक से अधिक न हो।
3. बैंक में खाता हो।

उपबंध :-

1. यह छात्रवृत्ति एक परिवार के केवल दो विद्यार्थियों को दी जा सकेगी।
2. 30 प्रतिशत छात्रवृत्ति छात्राओं के लिए चिन्हित की गई है।
3. किसी भी अन्य योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं को इस छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी।
4. छात्रवृत्ति का नवीनीकरण कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने एवं निर्धारित वार्षिक आय पर किया जावेगा।
5. किसी भी तरह के त्रुटिपूर्ण/फर्जी जानकारी दिया जाना पाए जाने पर अथवा किसी कदाचरण के प्रमाणित होने पर छात्रवृत्ति निरस्त की जावेगी।

आवेदन की प्रक्रिया :-

भारत सरकार की वेबसाईट www.scholarships.gov.in में विद्यार्थियों द्वारा "आनलाईन" आवेदन किया जाकर forward/Submit किया जाता है तत्पश्चात् संस्था एवं जिला कार्यालय के द्वारा Scrutiny की जाती है। भारत सरकार के द्वारा ऑनलाईन चयन किया जाता है व डीबीटी के माध्यम से छात्रवृत्ति की राशि सीधे विद्यार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है।

वर्ष	लक्ष्य/ उपलब्धि		मुस्लिम	ईसाई	सिक्ख	बौद्ध	जैन	पारसी	योग
2020-21	लक्ष्य (नवीन)		1058	1035	180	169	145	02	2589
	उपलब्धि	नवीन	भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015–16 से छात्रवृत्ति की राशि डी.बी.टी. के माध्यम से सीधे विद्यार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित की जा रही है। वर्ष 2020–21 में भारत सरकार के द्वारा 2136 विद्यार्थियों को राशि रूपये 124.00 लाख छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाकर डी.बी.टी. के माध्यम से वितरीत की गई है।						
		नवीनीकरण							
		योग							
2021-22	लक्ष्य (नवीन)		1058	1035	180	169	145	02	2589
	उपलब्धि	नवीन	भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली स्तर से डी.बी.टी. के माध्यम से वर्ष 2021–22 छात्रवृत्ति की राशि वितरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।						
		नवीनीकरण							
		योग							

मेरिट सह साधन आधारित (मेरिट कम मीन्स) छात्रवृत्ति

यह योजना वर्ष 2007–08 से लागू है। छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक वर्ग के समस्त तकनीकी पाठ्यक्रमों (जैसे बीई, एमई, बीटेक, एमटेक, एमबीए, एमसीए, बीएससी नर्सिंग, एमबीबीए, एलएलबी इत्यादि शामिल है। इसकी विस्तृत सूची भारत सरकार के वेबसाईट एवं tribal.cg.gov.in पर देखे जा सकते हैं) में भारत के अंदर स्थित शैक्षणिक संस्थाओं तथा भारत सरकार द्वारा सूचित संस्थाओं में अध्ययनरत् विद्यार्थियों को दी जाती है:–

क्रमांक	विवरण	छात्रावासी	दिवा स्कालर
1	अनुरक्षण भत्ता (10 माह हेतु)	रू. 1000/– प्रतिमाह की दर से कुल रू. 10,000/–	रू. 500/– प्रतिमाह की दर से कुल 5,000/–
2	पाठ्यक्रम शुल्क	रू. 20,000/– प्रतिवर्ष या वास्तविक जो भी कम हो।	रू. 20,000/– वार्षिक या वास्तविक जो भी कम हो

पात्रता :-

1. यह छात्रवृत्ति उन विद्यार्थियों को दी जावेगी जिनका चयन मान्यता प्राप्त तकनीकी/व्यवसायिक संस्थाओं की प्रवेश परीक्षा में प्रावीण्य के आधार पर हुआ है।
2. यदि विद्यार्थी का प्रवेश बिना प्रतियोगी परीक्षा के हुआ है तो भी वे छात्रवृत्ति पाने के योग्य होंगे, बशर्ते उनका हायर सेकेण्डरी/स्नातक परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक या इससे अधिक हो।
3. जिनके पालक की सभी स्त्रोंतों से आय रूपये 2.50 लाख वार्षिक से अधिक न हो।
4. बैंक में खाता होना आवश्यक है।

उपबंध :-

1. 30 प्रतिशत छात्रवृत्ति छात्राओं के लिए चिन्हित की गई है।
2. किसी भी अन्य योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं को इस छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी।
3. किसी भी तरह के त्रुटिपूर्ण/फर्जी जानकारी दिया जाना, पाए जाने पर अथवा किसी कदाचरण के प्रमाणित होने पर छात्रवृत्ति निरस्त की जावेगी।

आवेदन की प्रक्रिया :-

भारत सरकार की वेबसाईट www.scholarships.gov.in में विद्यार्थियों द्वारा "आनलाईन" आवेदन किया जाकर forward/Submit किया जाता है तत्पश्चात् संस्था एवं जिला कार्यालय के द्वारा Scrutiny की जाती है । भारत सरकार के द्वारा ऑनलाईन चयन किया जाता है व डीबीटी के माध्यम से छात्रवृत्ति की राशि सीधे विद्यार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है।

वर्षवार लक्ष्य एवं उपलब्धि :-

वर्ष	लक्ष्य/ उपलब्धि		मुस्लिम	ईसाई	सिक्ख	बौद्ध	जैन	पारसी	योग
2020-21	लक्ष्य (नवीन)		127	124	22	20	17	0	310
	उपलब्धि	नवीन	भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015–16 से छात्रवृत्ति की राशि डी.बी.टी. के माध्यम से सीधे विद्यार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित की जा रही है। वर्ष 2020–21 में भारत सरकार के द्वारा 435 विद्यार्थियों को राशि रूपये 126.00 लाख छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाकर डी.बी.टी. के माध्यम से वितरीत की गई है।						
		नवीनीकरण							
		योग							
2021-22	लक्ष्य (नवीन)		127	124	22	20	17	0	310
	उपलब्धि	नवीन	भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली स्तर से डी.बी.टी. के माध्यम से वर्ष 2021–22 छात्रवृत्ति की राशि वितरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।						
		नवीनीकरण							
		योग							

- **अल्पसंख्यक समुदाय के कब्रिस्तान में आहाता निर्माण** योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में राशि रू. 150 लाख का प्रावधान है। उक्त प्रावधान में से राशि रू 128.17 लाख का प्रावधान जिलों को पुनर्रांबंटित किया जा चुका है।

रोजगार मूलक योजनाएँ

बी.एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम में निःशुल्क अध्ययन की सुविधा योजना

यह योजना वर्ष 2009–10 से प्रारंभ की गयी हैं। योजना अंतर्गत प्रतिवर्ष संचालक चिकित्सा शिक्षा के प्रावीण्य सूची के आधार पर अनुसूचित जाति वर्ग के 155 एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के 245 इस प्रकार कुल 400 विद्यार्थियों हेतु शैक्षणिक, छात्रावास एवं मेस शुल्क की राशि दिये जाने का प्रावधान है। उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2021–22 में व्यावसायिक प्रशिक्षण मद अंतर्गत निम्नानुसार बजट प्रावधान हैं :–

मांग संख्या 41 / 2225 / 7627 – राशि रू. 578.00 लाख।

मांग संख्या 64 / 2225 / 7627 – राशि रू. 300.00 लाख।

योजनांतर्गत वर्ष 2020–21 तक अनुसूचित जाति वर्ग के 1736 एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के 2763 कुल 4499 विद्यार्थियों का प्रावीण्य सूची के आधार पर चयन किया जाकर लाभान्वित किया गया है।

हॉस्पिटालिटी एवं होटल मैनेजमेंट प्रशिक्षण

राज्य शासन द्वारा अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग की छात्र / छात्राओं को एयर होस्टेस, एविएशन, हॉस्पिटालिटी तथा होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा प्रशिक्षण योजना वर्ष 2006–07 से प्रारंभ की गयी थी। वर्ष 2013–14 यथा संशोधित "हॉस्पिटालिटी एवं होटल मैनेजमेंट" अंतर्गत डिप्लोमा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। योजनांतर्गत प्रत्येक वर्ष कुल 100 अभ्यर्थियों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है। योजनांतर्गत अब तक अनुसूचित जाति वर्ग के 240 तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के 155 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। प्रशिक्षण उपरांत 277 प्रशिक्षणार्थियों को कार्य एजेंसी प्रशिक्षण प्रदाता संस्थान द्वारा जॉब प्लेसमेंट भी उपलब्ध कराया गया है। वर्ष 2021–22 में विद्यार्थियों के चयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

निःशुल्क वाहन चालक प्रशिक्षण योजना

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कक्षा 8वीं उत्तीर्ण गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को वाहन चालक का निःशुल्क प्रशिक्षण दिलाकर रोजगार उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2008–09 से प्रारंभ की गयी है। योजनांतर्गत चयनित अभ्यर्थियों को शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से प्रशिक्षण दिलाया जाता है। इस हेतु प्रशिक्षणार्थियों के वाहन चालक प्रशिक्षण पर होने वाले व्यय एवं वाहन चालन के व्यावसायिक लायसेंस हेतु निर्धारित शासकीय शुल्क विभाग द्वारा वहन किया जाता है। योजनांतर्गत वर्ष 2019–20 तक अनुसूचित जाति वर्ग के 861 तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग 1393 अभ्यर्थियों को हल्के वाहन चालक का प्रशिक्षण में होने वाले व्यय हेतु जिलों को राशि उपलब्ध करायी गई है।

रविदास चर्मशिल्प योजना

प्रदेश के चर्म सिलाई के व्यवसाय में लगे लोगो को वित्तीय सहायता प्रदान करने की दृष्टि से वर्ष 2008–09 में रविदास चर्मशिल्प योजना प्रारंभ की गयी है। इसके तहत् अनुसूचित जाति के हितग्राहियों को मोची पेटी औजार सहित निःशुल्क प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में राशि रू. 30.00 लाख का बजट प्रावधान है। जिला स्तर पर निविदा आमंत्रित कर मोची पेटी औजार सहित क्रय कर हितग्रहियों को वितरण की कार्यवाही की जाती है। जिलो को राशि रूपये 8.40 लाख का आबंटन उपलब्ध कराया गया है।

आदिवासी संस्कृति का संरक्षण एवं विकास संबंधित योजनाएँ

आदिवासी सांस्कृतिक दलों को सहायता

आदिवासी संस्कृति का परिरक्षण एवं विकास योजनांतर्गत आदिवासियों को सांस्कृतिक वाद्य यंत्र क्रय करने हेतु अनुदान स्वरूप प्रति दल राशि रू. 10,000/– दिये जाने का प्रावधान है। योजनांतर्गत वर्ष 2021–22 में राशि रू. 90.00 लाख का बजट प्रावधान है। जिलो को 236 दल हेतु राशि रूपये 23.60लाख का आबंटन उपलब्ध कराई गई है।

देवगुड़ी निर्माण/मरम्मत

आदिवासी सांस्कृति का परिरक्षण एवं विकास योजनांतर्गत आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में आदिवासियों के पूजा एवं श्रद्धा स्थलों (देवगुड़ी) के निर्माण एवं मरम्मत योजना वर्ष 2006–07 से संचालित है। योजनांतर्गत देवगुड़ी निर्माण/मरम्मत हेतु वर्ष 2017–18 से प्रति देवगुड़ी राशि रू. 1,00000/– रूपये उपलब्ध करायी जाती है। वर्ष 2021–22 में राशि रू. 400.00 लाख का बजट प्रावधान है। वर्ष 2021–22 में प्रति देवगुड़ी राशि रूपये 1,00,000/– के स्थान पर राशि रूपये 5,00,000/–प्रति देवगुड़ी शासन स्वीकृति प्रदाय की गई है। वर्ष 2021–22 में 164 देवगुड़ी हेतु राशि रूपये 164.20 लाख का आबंटन जिलों को उपलब्ध कराया गया है।

अशासकीय संस्थाओं को अनुदान

अनुसूचित जाति तथा जनजाति के हितार्थ कार्य कर रही अशासकीय संस्थाओं को विभागीय अशासकीय संस्था अनुदान नियम 2006 में प्रावधानों के अनुसार अनुदान दिया जाता है। इस हेतु वर्ष 2021–22 में प्रावधान निम्नानुसार है :–

अनुदान प्राप्त संस्थायें	प्रावधान (लाख में)	जारी आवंटन (लाख में)
अशासकीय संस्थाओं को अनुदान		
अनुसूचित जनजाति	1700.00	1135.99
अनुसूचित जाति	163.00	120.00

स्वैच्छिक संगठनों को भारत सरकार से अनुदान

भारत सरकार के दिशा–निर्देश अनुसार राज्य में स्वैच्छिक संगठनों द्वारा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्गो तथा अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण/उत्थान हेतु संचालित प्रवृत्तियों/गैर शासकीय संस्थाओं द्वारा संचालित प्रवृत्तियों के प्रस्ताव शासन स्तर पर गठित स्वैच्छिक संगठनों के सहायतार्थ राज्य स्तरीय समिति द्वारा वर्ष 2021–22 में 02 अशासकीय संस्थाओं के नवीनीकरण अनुदान प्रस्तावों को भारत सरकार के पास अनुदान स्वीकृति के लिये प्रेषित किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989, संशोधन अधिनियम-2015 यथा संशोधित अधिनियम 2018 अंतर्गत राहत योजना

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर गैर अनुसूचित जाति/जनजाति व्यक्तियों के द्वारा अत्याचार अपराध करने का निवारण के लिए ऐसे अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय तथा ऐसे अपराधों से पीड़ित व्यक्तियों को राहत देने तथा उनके पुनर्वास से संबंधित विषयों के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम–1989 संशोधन अधिनियम 2015 तथा मूल अधिनियम 1989 में पुनः 2018 में संशोधन कर संशोधन अधिनियम 2018 लागू किया गया है।

छ.ग. राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (आकस्मिकता योजना) नियम 1995 संशोधन नियम 24 अगस्त 2016 के द्वारा नियम 7 राहत एवं सहायता अंतर्गत देय राहत राशि इस प्रकार है :–

क्र.	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
1	अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ रखना (अधिनियम की धारा 3(1)(क)	पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रूपए, संदाय निम्नानुसार किया जाए : (i) क्रम संख्यांक (2) और (3) के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 10 प्रतिशत और क्रम संख्यांक (1), (4) और (5) के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रक्रम पर 25 प्रतिशत (ii) जब आरोप पत्र न्यायालय में भेजा जाता है तब 50 प्रतिशत। (iii) जब अभियुक्त व्यक्ति क्रम संख्या (2) और (3) के लिए अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध कर दिया जाता है तब 40 प्रतिशत और इसी प्रकार क्रम संख्यांक (1), (4) और (5) के लिए 25 प्रतिशत।
2	मल–मूत्र, मल, पशु शव या कोई अन्य घृणाजनक पदार्थ इकट्ठा करना (अधिनियम की धारा 3(1)(ख)	
3	क्षति करने, अपमानित या क्षुब्ध करने के आशय से मलमूत्र, कूड़ा, पशु शव इकट्ठा करना (अधिनियम की धारा 3(1)(ग)	
4	जूतों की माला पहनाना या नग्न या अर्ध नग्न घुमाना (अधिनियम की धारा 3 (1)(घ)	
5	बलपूर्वक ऐसे कार्य करना जैसे कपड़े उतारना, बलपूर्वक सिर का मुंडन करना, मूंछे हटाना, चेहरे या शरीर को पोतना (अधिनियम की धारा 3(1)(ड.)	
6	भूमि को सदोष अधिभोग में लेना या उस पर खेती करना (अधिनियम की धारा 3(1)(च)	पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रूपए। जहां आवश्यक हो वहां संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य प्रशासन द्वारा सरकारी खर्चे पर भूमि या परिसर या जल आपूर्ति या सिंचाई सुविधा वापस लौटाई जाएगी। पीड़ित व्यक्ति को निम्नानुसार संदाय किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत।
7	भूमि या परिसरों से सदोष बेकब्जा करना या अधिकारों जिनके अंतर्गत वन अधिकार भी हैं, के साथ हस्तक्षेप करना (अधिनियम की धारा 3(1)(च)	

क्र.	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
		(iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
8	बेगार या अन्य प्रकार के बलातश्रम या बंधुआ श्रम (अधिनियम की धारा 3(1)(ज)	पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : 1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत 2. न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत। 3. अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
9	मानव या पशु शवों की अंत्येष्टि या ले जाने या कब्रों को खोदने के लिए विवश करना (अधिनियम की धारा 3(1)(झ)	
10	अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को हाथ से सफाई करवाना या ऐसे प्रयोजन के लिए उसे नियोजित करना (अधिनियम की धारा 3(1)(ञ)	
11	अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की स्त्री को देवदासी के रूप में कार्य निष्पादन करने या समर्पण का संवर्धन करने (अधिनियम की धारा 3(1)(ट)	
12	मतदान करने या नामनिर्देशन फाइल करने से निवारित करना (अधिनियम की धारा 3(1)(ठ)	पीड़ित व्यक्ति को पचासी हजार रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : 1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत। 2. न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर पर 50 प्रतिशत। 3. अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
13	पंचायत या नगर पालिका के पद के धारक अभित्रस्त करना या उनमें व्यवधान डालना को कर्तव्यों के पालन में मजबूर करना या (अधिनियम की धारा 3(1)(ड)	
14	मतदान के पश्चात हिंसा और सामाजिक (अधिनियम की धारा 3(1)(ढ़) तथा आर्थिक बहिष्कार का अधिरोपण	
15	किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मतदान करने या उसको मतदान नहीं करने के लिए इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करना (अधिनियम की धारा 3(1)(ण)	
16	मिथ्या, द्वेषपूर्ण या तंग करने वाली विधिक कार्यवाइयां संस्थित करना (अधिनियम की धारा 3(1)(त)	पीड़ित व्यक्ति को पचासी हजार रूपए या वास्तविक विधिक खर्चों और नुकसानियों की प्रतिपूर्ति जो भी कम हो। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :

क्र.	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
		1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत। 2. न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत। 3. अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
17	किसी लोकसेवक को कोई मिथ्या और तुच्छ सूचना देना (अधिनियम की धारा 3(1)(थ)	पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रूपए या वास्तविक विधिक खर्चों और नुकसानियों की प्रतिपूर्ति जो भी कम हो। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : 1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत। 2. न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत। 3. अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
18	लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर साशय अपमान या अपमानित करने के लिए अभित्रास (अधिनियम की धारा 3(1)(द)	पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : 1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत 2. न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत। 3. अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
19	लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर जाति के नाम से गाली गलौज करना (अधिनियम की धारा 3(1)(ध)	
20	धार्मिक मानी जाने वाली या अति श्रद्धा से ज्ञात किसी वस्तु को नष्ट करना, हानि पहुंचाना या उसे अपवित्र करना (अधिनियम की धारा 3(1)(न)	
21	शत्रुता, घृणा वैमन्सय की भावनाओं में अभिवृद्धि करना (अधिनियम की धारा 3(1)(प)	

क्र.	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
22	अति श्रद्धा से माने जाने वाले किसी दिवंगत व्यक्ति का शब्दों द्वारा या किसी अन्य साधन व्यक्ति का शब्दों द्वारा या किसी अन्य साधन से अनादर करना (अधिनियम की धारा 3(1)(फ)	
23	किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की स्त्री को साशय ऐसे कार्यों या अंगविक्षेपों का उपयोग करके जो लैंगिक प्रकृति के कार्य के रूप में हों, उसकी सहमति के बिना उसे स्पर्श करना (अधिनियम की धारा 3 (1)(ब)	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत। (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
24	भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 326 ख (1860 का 45) स्वेच्छया अम्ल फेंकना या फेंकने का प्रयत्न करना (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(फक)	(क) ऐसे पीड़ित व्यक्ति को जिसका चेहरा 2 प्रतिशत या उससे अधिक जला हुआ है या आंख, कान, नाक और मुंह के प्रकार्य ह्रास और या शरीर पर 30 प्रतिशत से अधिक जलन की क्षति की दशा में आठ लाख पच्चीस हजार रूपए। (ख) ऐसे पीड़ित व्यक्ति को जिसकी शरीर 10 प्रतिशत से 30 प्रतिशत के बीच में जला हुआ है, चार लाख पंद्रह हजार रूपए।) (ग) ऐसा पीड़ित व्यक्ति, चेहरे के अतिरिक्त, जिसका शरीर 10 प्रतिशत से कम जला हुआ है, को पचासी हजार रूपए। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार या संघ राज्य प्रशासन अम्ल के हमले के पीड़ित व्यक्ति के उपचार के लिए पूरी जिम्मेदारी लेगा। मद (क) से (ग) के निबंधानुसार संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : 1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 50 प्रतिशत। 2. चिकित्सा रिपोर्ट के प्राप्त हो जाने पर 50 प्रतिशत।

क्र.	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
25	भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 354(1860 का 45) स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस हमला या अपराधिक बल का प्रयोग (अधिनियम की अनुसूची क साथ पठित धारा 3(2)(टक)	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपए, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : 1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 50 प्रतिशत 2. न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 25 प्रतिशत। 3. अवर न्यायालय द्वारा विचारण के समाप्त होने पर 25 प्रतिशत।
26	भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 354(1860 का 45) (लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(Vक)	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : 1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 50 प्रतिशत
27	भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 354ख (1860 का 45) निर्वस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(Vक)	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : 1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 50 प्रतिशत 2. न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 25 प्रतिशत। 3. अवर न्यायालय द्वारा विचारण के समाप्त होने पर 25 प्रतिशत
28	भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 354ग (1860 का 45) दृश्यरतिकता (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(Vक)	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा 1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 10 प्रतिशत 2. न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत। 3. अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्ध किए जाने पर 40 प्रतिशत।
29	भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 354घ (1860 का 45) पीछा करना (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(Vक)	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा 1. चिकित्सा परीक्षा और पृष्टिकारक चिकित्सा रिपोर्ट के पश्चात 50 प्रतिशत 2. न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 25 प्रतिशत।

क्र.	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
		3. अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
30	भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 376ख (1860 का 45) पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण के दौरान मैथुन (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(Vक)	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा 1. चिकित्सा परीक्षा और पृष्टिकारक चिकित्सा रिपोर्ट के पश्चात 50 प्रतिशत 2. न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 25 प्रतिशत। 3. अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
31	भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 376ग (1860 का 45) प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(Vक)	पीड़ित व्यक्ति को चार लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा 1. चिकित्सा परीक्षा और पृष्टिकारक चिकित्सा रिपोर्ट के पश्चात 50 प्रतिशत 2. न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 25 प्रतिशत। 3. अवर न्यायालय द्वारा विचारण की समाप्ति पर 25 प्रतिशत।
32	भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 509(1860 का 45) शब्द, अंगविक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आशयित है (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(Vक)	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा 1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एमआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत। 2. न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत। 3. अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
33	जल को दूषित या गंदा करना (अधिनियम की धारा 30(1)(भ)	सामान्य सुविधा जिसके अंतर्गत जब पानी दूषित कर दिया जाता है, की सफाई भी है, को वापस लौटाने का पूरा खर्च संबद्ध राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा वहन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त आठ लाख पच्चीस हजार की रकम स्थानीय निकाय के परामर्श से जिला विनिश्चय की जाने वाली प्राधिकारी द्वार प्रकृति की सामुदायिक अस्तियों को सृजित

क्र.	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
		करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट के पास जमा की जाए।
34	लोक समागम के किसी स्थान से गुजरने के किसी रूढिजन्य अधिकार से इन्कार या लोक समागम के ऐसे स्थान का उपयोग करने या उस पर पहुंच रखने में बाधा पहुँचाना (अधिनियम की धार 31(1)(म)	संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा पीड़ित व्यक्ति को चार लाख पच्चीस हजार रूपए और गुजरने के अधिकार के प्रत्यावर्तन का खर्च। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : 1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत 2. न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत। 3. निचले न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
35	गृह, ग्राम या निवास का स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करना (अधिनियम की धारा 3(1)(य)	संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा गृह, ग्राम या निवास के अन्य स्थान पर स्थल या ठहरने के अधिकार की बहाली और पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रूपए की राहत तथा सरकारी खर्चे पर गृह का पुनः संनिर्माण, यदि विनिष्ट हो गया है। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा 1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत। 2. न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत 3. अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
36	निम्नलिखित के संबंध में, किसी रीति के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य हो बांधा डालना या निवारित करना – (अ) क्षेत्र की सामान्य सम्पत्ति या अन्य के साथ समानता के आधार पर कब्रिस्तान या श्मशान भूमि या किसी नदी, धारा, झरना, कुंआ, टैंक, हौज, नल या अन्य जल स्थान या नहाने के घाट, किसी लोक परिवहन, किसी सड़क या रास्ते का उपयोग (अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(अ)	(अ) क्षेत्र की सामान्य सम्पत्ति संसाधनों, कब्रिस्तान या श्मशान भूमि का अन्य के साथ समानता के आधार पर उपयोग को या किसी नदी, धारा, झरना, कुंआ, टेंक, हौज, नल या अन्य जल स्थान या नहाने के घाट, किसी लोक परिवहन, किसी सड़क या रास्ते का उपयोग समानता के आधार पर संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र

क्र.	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
		प्रशासन द्वारा बहाल करना और पीड़ित को एक लाख रूपए की राहत। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : 1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत। 2. 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। 3. 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने पर।
	(आ) सार्वजनिक स्थानों पर साइकिल या मोटर साइकिल पर सवार होना चा जूना आदि या नए वस्त्र पहनना या बारात निकालना या बारात के दौरान घोड़े की सवारी या किसी अन्य वाहन की सवारी करना (अधिनिमय की धारा 3(1)(यक)(आ)	(आ) सार्वजनिक स्थानों पर साइकिल या मोटर साइकिल पर सवार होना या जूता आदि या नए वस्त्र पहनना या बारात निकालना या बारात के दौरान घोड़े की सवारी या किसी अन्य वाहन की सवारी की राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाली करना और पीड़ित को एक लाख रूपए का अनुतोष। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : 1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत। 2. 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। 3. 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने पर।
	(इ) किसी ऐसे पूजा स्थल में प्रवेश करना, जो पब्लिक या अन्य व्यक्तियों के लिए खुले हुए हैं, जो उसी धर्म के हैं या कोई धार्मिक जुलूस या किसी सामाजिक या सांस्कृतिक जुलूस, जिसके अंतर्गत यात्रा है, निकालना या उनमें भाग लेना (अधिनिमय की धारा 3(1)(यक)(इ)	(इ) अन्य व्यक्तियों के साथ समानतापूर्वक किसी ऐसे पूजा स्थल में प्रवेश करना, जो पब्लिक या अन्य व्यक्तियों के लिए खुले हुए हैं, जो उसी धर्म के हैं या कोई धार्मिक जुलूस या किसी सामाजिक या सांस्कृतिक जुलूस, जिसके अंतर्गत यात्रा है, निकालना या उनमें भाग लेने के अधिकार की राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाली करना और पीड़ित को एक

क्र.	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
		लाख रूपए का अनुतोष। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : 1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत। 2. 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। 3. 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने पर।
	(ई) किसी शैक्षणिक संस्था, अस्पताल, औषधालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दुकान या सार्वजनिक मनोरंजन के साथ या किसी सार्वजनिक स्थान में प्रवेश करना, या पब्लिक के लिए किसी स्थान में पब्लिक द्वारा उपयोग के लिए आशयित बर्तनों या वस्तुओं का उपयोग। (अधिनिमय की धारा 3(1)(यक)(ई)	(ई) किसी शैक्षणिक संस्था, अस्पताल, औषधालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दुकान या सार्वजनिक मनोरंजन के साथ या किसी सार्वजनिक स्थान में प्रवेश करना, या पब्लिक के लिए किसी स्थान में पब्लिक द्वारा उपयोग की राज्य सरकार या संघ राज्य क्षे प्रशासन द्वारा बहाली करना और पीड़ित को एक लाख रूपए का अनुतोष। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : 1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत। 2. 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। 3. 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने पर।
	(उ) कोई व्यवयाय करना या कोई वृत्तिक, व्यापार या कारवार करना या किसी कार्य में नियोजन, जिनमें पब्लिक के अन्य व्यापार सदस्यों या उसके किसी भाग का उपयोग करने का या उस तक पहुंच का अधिकार है। (अधिनिमय की धारा 3(1)(यक)(उ)	(उ) कोई व्यवयाय करना या कोई वृत्तिक, व्यापार या कारवार करने या किसी कार्य में नियोजन, जिनमें पब्लिक के अन्य व्यापार सदस्यों या उसके किसी भाग का उपयोग करने का या उस तक पहुंच के अधिकार की राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाली करना और पीड़ित को एक लाख रूपए का अनुतोष। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :

क्र.	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
		1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत। 2. 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। 3. 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने पर।
37	डायन होने या जादू–टोना करने का आरोप लगाने से शारीरिक क्षति या मानसिक अपहानि कारित करना। (अधिनियम की धारा 3(1)(यख)	पीड़ित को एक लाख रूपए और उसके अनादर बेइज्जती, क्षति और उसकी अवमानना के अनुसार संदाय। 1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत। 2. 50 प्रतिशत जब आरोप प्त्र न्यायालय को भेजा जाता है। 3. 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने पर।
38	सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार अधिरोपित करना या उसकी धमकी देना (अधिनियम की धारा 3(1)(यग)	संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा अन्य व्यक्तियों के साथ समान रूप से सभी सामाजिक और आर्थिक सेवाओं की बहाली और पीड़ित को एक लाख रूपए का अनुतोष जिसका संदाय पूर्ण रूप से अवर न्यायालय को आरोप पत्र भेजने पर किया जाएगा।
39	मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना (अधिनियम की धारा 3(2)(i) और (ii)	पीड़ित को चार लाख पचास हजार रूपए संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : 1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत। 2. 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। 3. 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने पर।

क्र.	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
40	भारतीय दंड संहिता 1860 (1860 का 45) के अधीन अपराध करना, जो दस वर्ष से या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय है। (अधिनियम की धारा 3(2)	पीड़ित और उसके आश्रितों को चार लाख रूपये। इस रकम में फेरफार हो सकात है, यदि अनुसूची में विनिर्दिष्ट अन्यथा उपबन्ध किया गया हो, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : 1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत। 2. 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। 3. 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने पर।
41	भारतीय दंड संहिता 1860 (1860 का 45) के अधीन अपराध करना, जो अधिनियम की अनुसूची में विर्निदिष्ट है, जो ऐसे दंड से दंडनीय है जैसा ऐसे अपराधों के लिए भारतीयदंड संहिता में विर्निदिष्ट किया गया है। (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(अं)	पीड़ित और उसके आश्रितों को दो लाख रूपये। इस रकम में फेरफार हो सकात है, यदि अनुसूची में विनिर्दिष्ट अन्यथा उपबन्ध किया गया हो, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : 1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत। 2. 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। 3. 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने पर।
42	लोक सेवक के हाथों पीड़ित करना। (अधिनियम की धारा 3(2)(vii)	पीड़ित और उसके आश्रितों को दो लाख रूपये। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : 1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत। 2. 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। 3. 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने पर।
43	निःशक्तता। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अधिसूचना सं 16–18/97–एनआई तारीख 1 जून 2001 में यथा प्रमाणन की प्रक्रिया कि लिए अंतर्विष्ट विभिन्न निःशक्तताओं के मूल्यांकन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत। अधिसूचना की एक प्रति उपाबंध 2 पर है।	

क्र.	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
	(क) शत–प्रतिशत अक्षमता।	पीड़ित को आठ लाख और पच्चीस हजार रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : 1. चिकित्सा जांच और चिकित्सा रिपोर्ट की पुष्टि के पश्चात् 50 प्रतिशत। 2. 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है।
	(ख) जहाँ अक्षमता शत–प्रतिशत से कम है किन्तु पचास प्रतिशत से अधिक है।	पीड़ित को चार लाख और पचास हजार रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : 1. चिकित्सा जांच और चिकित्सा रिपोर्ट की पुष्टि के पश्चात् 50 प्रतिशत। 2. 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है।
	(ग) जहाँ अक्षमता पचास प्रतिशत से कम है।	पीड़ित को दो लाख और पचास हजार रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : 1. चिकित्सा जांच और चिकित्सा रिपोर्ट की पुष्टि के पश्चात् 50 प्रतिशत। 2. 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है।
44	बलात्संग या सामूहिक बलात्संग (i) बलात्संग (भारतीय दंड संहिता 1860 (1860 का 45) की धारा 375)	पीड़ित को पांच लाख रूपए संदाय पीड़ित को पांच लाख रूपए संदाय 1. चिकित्सा जांच और चिकित्सा रिपोर्ट की पुष्टि के पश्चात् 50 प्रतिशत। 2. 25 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। 3. अवर न्यायालय द्वारा विचारण की समाप्ति पर 25 प्रतिशत।
	(ii) सामूहिक बलात्संग (भारतीय दंड संहिता 1860 (1860 का 45) की धारा 376 घ)	पीड़ित को आठ लाख पच्चीस हजार रूपए, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : 1. चिकित्सा जांच और चिकित्सा रिपोर्ट की पुष्टि के पश्चात् 50 प्रतिशत। 2. 25 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। 3. अवर न्यायालय द्वारा विचारण की समाप्ति पर 25 प्रतिशत।

क्र.	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
45	हत्या या मृत्यु	पीड़ित का आई लाख पच्चीस हजार रूपए, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : 1. शव परीक्षा के पश्चात् 50 प्रतिशत। 2. 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाने पर।
46	हत्या, मृत्यु, सामूहिक हत्या, बालत्संग, सामूहिक बलात्संग, स्थायी अक्षमता और डकैती के पीड़ितों के अतिरिक्त अनुतोष	पूर्वोक्त मदों के अधीन संदत्त अनुतोष की रकम के अतिरिक्त अनुतोष का अत्याचार की तारीख से तीन मास के भीतर निम्नानुसार प्रबंध किया जाएगा :– 1. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों से संबंध रखने वाले मृतक व्यक्ति की विधवा या अन्य आश्रितों के प्रतिमास पांच हजार रूपये की मूल पेंशन के साथ अनुज्ञेय मंहगाई भत्ता, जैसा संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के सरकारी सेवकों को लागू है और मृतक के कुटुम्ब के सदस्यों को रोजगार और कृषि भूमि, घर, यदि तुरंत क्रय द्वारा आवश्यक हो, का उपबंध : 2. पीडित के बालकों की स्नातक स्तर तक शिक्षा की पूरी लागत और उनका भरण–पोषण। बालकों को सरकार द्वारा पूर्णतया वित्तपोषित आश्रम स्कूलों या आवासीय स्कूलों में दाखिल किया जा सकेगा।
47	घरों को पूर्णतया नष्ट करना या जलाना	ईटों या पत्थरों से बने हुए घरों का निर्माण या सरकारी लागत पर उन्हें वहां उपलब्ध कराना जहां उन्हें पूर्णतया जला दिया गया है या नष्ट कर दिया गया है।"

उक्त अपराधों के लिए दण्ड का प्रावधान है। अधिनियम के अनुसार पीड़ित व्यक्ति/परिवार को सहायता पहुंचाने हेतु अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम 1995 बनाया गया है। इस नियम के अंतर्गत आकस्मिकता योजना नियम 1995 द्वारा पीड़ित व्यक्तियों/परिवारों को राहत एवं पुनर्वास सहायता उपलब्ध कराई जाती है। राज्य शासन की अधिसूचना 23.08.2012 के द्वारा अत्याचार पीड़ितों को देय राहत एवं पुनर्वास सहायता की दरों में न्यूनतम 140 प्रतिशत से 166 प्रतिशत तक वृद्धि की

गई है तथा हत्या/मृत्यु के मामले में जीवन निर्वाह भत्ते की दर में 200 प्रतिशत वृद्धि की गई है। अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 3(1) या 3(2) की विभिन्न उपधाराओं के अंतर्गत विभिन्न अत्याचार अपराध से उत्पीड़ित अनुसूचित जाति/जनजाति समुदाय के व्यक्ति, उनके परिवार या आश्रितों को राहत एवं पुनर्वास सहायता की पात्रता होगी। वर्ष 2020–21 में अधिनियम के तहत घटित अपराधों में अनुसूचित जाति/जनजाति के कुल 1115 व्यक्तियों को राहत सहायता दी गई है। वर्ष 2021–22 में माह दिसम्बर 2021 की स्थिति में 864 अत्याचार पीड़ितों को राहत सहायता स्वीकृत की गई है।

उक्त अधिनियम के तहत बनाये गये अत्याचार निवारण नियम 1995 की धारा 9 के अनुपालन में राज्य शासन द्वारा आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, छत्तीसगढ़ को नोडल अधिकारी घोषित किया गया है। उक्त नियम की धारा 16 के तहत प्रदेश में अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन, पीड़ित व्यक्तियों को दी गई राहत एवं पुनर्वास तथा उनसे संबंध मामलों पर विचार/समीक्षा हेतु राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में गठित तथा नियम 16 (2) के अनुसार कैलेण्डर वर्ष 2020 में उक्त समिति की बैठक 7 सितम्बर 2020 को आयोजित की गई है। नियम 17 (1) के अनुसार प्रदेश के समस्त 28 जिलों में जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समितियों का गठन किया जाता है तथा नियम 17 (3) के अनुसार जिला स्तर पर इन समितियों की बैठकें आयोजित की जा रही हैं।

अनुसूचित जाति/जनजाति के विरूद्ध अपराधों पर नियंत्रण के लिए प्रदेश में 13 जिलों यथा जिला–रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, बिलासपुर, रायगढ़, सरगुजा, सूरजपुर, कबीरधाम, महासमुंद, जांजगीर एवं कोरबा में विशेष थाना (पुलिस) स्थापित किए जाकर कार्यरत है। शेष 14 जिलों में क्रमशः धमतरी कांकेर, कोरिया, जशपुर, बलरामपुर, बलौदाबाजार, गरियाबंद, बालोद, बेमेतरा, मुंगेली, बीजापुर, नारायणपुर, कोण्डागांव एवं सुकमा में आजाक प्रकोष्ठ स्थापित होकर संचालित है।

उपरोक्त मामलों में त्वरित कार्यवाही हेतु प्रदेश में विशेष 11 जिलों में यथा जिला–रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, जगलदपुर, बिलासपुर, सरगुजा, जांजगीर, जशपुर, कोरबा, कोरिया एवं रायगढ़ में स्थापित किया जाकर कार्यरत है।

- अनुसूचित जाति एवं अनु.जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अंतर्गत जिला जांजगीर–चांपा, जशपुर, कोरबा, कोरिया (बैकुण्ठपुर) एवं रायगढ़ जिला मुख्यालयों की स्थापना हेतु प्रति न्यायालय 10 पद के मान से विशेष न्यायाधीश (एट्रो.) एवं स्टाफ के पद सहित कुल 50 पद स्वीकृत किए गए हैं।
- अनुसूचित जाति एवं अनु.जनजाति (अत्याचार निवारण) सहायता एवं पुनर्वास, अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन, अस्पृश्यता निवारणार्थ सद्भावना शिविर आयोजन संबंधी योजनाएँ केन्द्र प्रवर्तित योजनाएँ है, जो कि 50 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 50 प्रतिशत राज्यांश से क्रियान्वित की जाती हैं।

राहत एवं पुनर्वास सहायता :-

अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अंतर्गत राहत एवं पुनर्वास सहायता हेतु वर्ष 2021–22 में प्राप्त आबंटन राशि रू. 577.40 लाख जिलों को जारी किया गया है, जिसका व्यय जिलों द्वारा किया गया है। छ.ग. शासन, वित्त विभाग के पत्र क्रमांक 208/02357/वित्त/बजट–4/2016 दिनांक 26.05.2016 के द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनु.जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अंतर्गत पीड़ित को राहत राशि के देयक बजट आबंटन के अभाव में कोषालय से आहरित करने के निर्देश जारी किए गए है।

अस्पृश्यता निवारणार्थ सद्भावना शिविर :-

अनुसूचित जातियों के विकास एवं कल्याण तथा उनके प्रति अस्पृश्यता के कलंक को मिटाने हेतु जिला एवं ब्लाक स्तर पर सद्भावना शिविरों को आयोजन किया जाता है। जिसका मुख्य उद्देश्य ऐसे रूढ़ियों और व्यक्तियों के विरूद्ध स्वच्छ निर्मल एवं सामाजिक वातावरण बनाने की पहल है। सामान्यतः सदभावना शिविर का आयेाजन 02 अक्टूबर को देश/प्रदेश के अन्य अनुसूचित जाति एवं अनु.जनजाति के महापुरूषों की जन्मतिथि/जयंती पर किया जाना है।

अनुसूचित जाति एवं अनु.जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अंतर्गत सद्भावना शिविर के आयेाजन हेतु वर्ष 2021–22 में राशि रू. 27.11 लाख जिलों को जारी किया गया है। जिसके व्यय की कार्यवाही जिलों में की जा रही है।

अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना

इस योजना का मूल उद्देश्य अस्पृश्यता उन्मूलन की दशा में सवर्ण लड़के या लड़की द्वारा अनुसूचित जाति के लड़के या लड़की से विवाह कर उठाए गए आदर्श कदम हेतु पुरस्कृत एवं सम्मानित करना है। राज्य शासन द्वारा योजनान्तर्गत दिनांक 13 अप्रैल 2018 से प्रति दंपत्ति रू. 2,50,000/– पुरस्कार की राशि दिए जाने का प्रावधान है।

- वर्ष 2021–22 में अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अंतर्गत अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना हेतु प्राप्त आबंटन राशि रू. 65.00 लाख जिलों को जारी किया गया है। जिसके व्यय की कार्यवाही जिलों में की जा रही है। वित्त विभाग छ.ग. शासन के पत्र क्रमाक 1274/02357/वि/बजट–4/2015 दिनांक 26.12.2015 के द्वारा अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के देयक बजट आबंटन के अभाव में कोषालय से आहरित करने के निर्देश दिए गए है।

मैनुअल स्केवेंजर्स के सर्वेक्षण

छत्तीसगढ़ शासन हाथ से मैला ढुलाई की अमानवीय कुप्रथा को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। हाथ से मैला ढुलाई के रूप में रोजगार के नियोजन का प्रतिषेध एवं उनका पुनर्वास अधिनियम

2013 की धारा 36 के क्रियान्वयन हेतु राज्य शासन द्वारा नियम दिनांक 04.03.2014 को अधिसूचित किया जाकर छत्तीसगढ़ राज्य में लागू किया गया है। जिसके अंतर्गत प्रदेश में नगरीय निकायों में अस्वच्छ शौचालयों के सर्वेक्षण का कार्य सभी 168 नगरीय निकायों में किया गया है तथा 4391 अस्वच्छ शौचालय चिन्हांकित किए गए हैं वर्ष 2020 तक सभी 4391 अस्वच्छ शौचालयों को स्वच्छ शौचालयों में परिवर्तित किया जा चुका है। छ.ग. राज्य के जिला मुंगेली में 03 मैनुअल स्केवेंजर्स सर्वे में पाए गए थे, जिन्हें नगरीय प्रशासन विकास विभाग द्वारा पुर्नस्थापित की जा चुकी है। छ.ग. राज्य में वर्तमान में कोई मैनुअल स्केवेंजर नहीं है।

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना

केन्द्र प्रवर्तित योजनांतर्गत 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु वर्ष 2015–16 में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना लागू की गई है। जिसके क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों का एकीकृत विकास हेतु गाइड लाईन तथा केन्द्रांश जारी किया गया है।

उक्त योजनांतर्गत प्रथम चरण में छ.ग. राज्य के जिला बेमेतरा में 30, बलौदाबाजार में 40, जांजगीर–चांपा में 30, बिलासपुर में 35 तथा मुंगेली में 40 ग्राम इस प्रकार 175 ग्रामों का चयन किया गया है। चयनित ग्रामों में अनुसूचित जाति के परिवारों की मूलभूत आवश्यकताएँ यथा–आवास, पेयजल, विद्युत, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक, आर्थिक विकास इत्यादि तथा चयनित ग्रामों में उपलब्ध/आवश्यक अधोसंरचना के संबंध में ग्रामवार बेस लाईन सर्वेक्षण कर विलेज डेव्हलपमेंट प्लान तैयार किया जाकर विकास किया जाएगा। उक्त योजनांतर्गत कुल राशि रु. 8125.00 लाख का आवंटन उपलब्ध हुआ है, जिसका पुनर्रावंटन संबंधित जिलों को किया जा चुका है। भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना अंतर्गत द्वितीय सोपान द्वारा छ.ग. राज्य के 20 जिलों के 648 नवीन ग्रामों में योजना का क्रियान्वयन किया जाना है।

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना अन्तर्गत जिला-बेमेतरा में निर्मित भवन

सम्मान पुरस्कार

छ.ग. शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग योजनांतर्गत शहीद वीर नारायण सिंह, स्व. डॉ. भंवर सिंह पोर्ते एवं गुरूघासीदास सामाजिक चेतना एवं अनुसूचित जाति उत्थान सम्मान पुरस्कार हेतु विज्ञापन के माध्यम से प्रविष्टियाँ आमंत्रित की जाती हैं। प्राप्त प्रविष्टियों के आधार पर विभाग द्वारा गठित निर्णायक मण्डल द्वारा पात्र व्यक्ति/संस्था का चयन कर पुरस्कृत किया जाता है।

शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति सम्मान पुरस्कार :-

छत्तीसगढ़ राज्य में आदिवासी सामाजिक चेतना जागृत करने तथा उनके उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति को पुरस्कृत किया जाता है। पुरस्कार राशि रू. 2.00 लाख एवं प्रशस्ति पत्र राज्योत्सव पर प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। वर्ष 2021–22 में श्री जानकी प्रसाद पुलस्त ग्राम लिम्हा (नवापारा) पोस्ट बेलतरा तहसील व जिला बिलासपुर छ.ग. को पुरस्कृत किया गया है।

स्व. डॉ. भंवर सिंह पोर्ते स्मृति आदिवासी सेवा सम्मान पुरस्कार :-

छत्तीसगढ़ राज्य में आदिवासियों की सेवा करने और उनके उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसी एक संस्था को सम्मानित कर प्रोत्साहित किया जाता है। पुरस्कार राशि रू. 2.00 लाख एवं प्रशस्ति पत्र राज्योत्सव पर प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। वर्ष 2021–22 में जंगो रायतार समाज कल्याण समिति कार्यालय पता–गुण्डाधुर भवन बाजार पारा सरोना जिला उत्तर बस्तर कांकेर छ.ग. को पुरस्कृत किया गया है।

गुरू घासीदास सामाजिक चेतना एवं अनुसूचित जाति उत्थान सम्मान पुरस्कार

छततीसगढ़ राज्य में सामाजिक चेतना जागृत करने तथा अनुसूचित जाति वर्गो के उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति एवं स्वैच्छिक संस्थाओं को पुरस्कृत कर प्रोत्साहित करने के लिये प्रदेश के महान संत गुरू घासीदास की स्मृति में सम्मानित कर प्रोत्साहित किया जाता है। वर्ष 2021–22 में श्री पुरानिक लाल चेलक अध्यक्ष पंथी एवं साहित्य विकास समिति दुर्ग छ.ग. को पुरस्कृत किया गया है।

स्व. हाजी हसन अली पुरस्कार :-

उर्दू साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय साहित्यिक रचनाओं तथा साहित्य साधना करने वाले चयनित व्यक्ति को पुरस्कार राशि के रूप में रू. 2.00 लाख का नगद पुरस्कार तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में उक्त येाजना अंतर्गत राशि रू. 2.50 लाख की राशि प्रावधानित है। जिसे स्वीकृत कर सचिव, छ.ग. राज्य राज्य उर्दू अकादमी को प्रदत की गई है। वर्ष 2021 के लिए स्व. हाजी हसन अली सम्मान पुरस्कार से ''जनाब रौनक जमाल साहब'' दुर्ग (छ.ग.) को सम्मानित किया गया है।

लोक कला महोत्सव :-

शहीद वीर नारायण सिह लोक कला महोत्सव :-

शहीद वीर नारायण सिंह की स्मृति में उनके शहादत दिवस 10 दिसम्बर को शहीद वीर नारायण सिंह लोक कला महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष उनके जन्म स्थान सोनाखान भवन जिला बलौदा बाजार में किया जाता है। इसके अंतर्गत आदिवासियों की लोक नृत्य प्रतियोगिता राज्य स्तर पर आयोजित की जाती है।

राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में सम्मिलित आदिवासी लोक कला दल को प्रथम पुरस्कार राशि रू. 1.00 लाख, द्वितीय पुरस्कार राशि रू. 0.50 लाख तथा तृतीय पुरस्कार राशि 0.25 लाख दिया जाता है।

उपर्युक्त महोत्सव का उद्देश्य शहीद वीर नारायण सिंह की शहादत को चिरस्मरणीय बनाना तथा आदिवासी लोक कला एवं संस्कृति को प्रोत्साहित करना है।

गुरू घासीदास लोककला महोत्सव :-

''गुरू घासीदास लोककला महोत्सव'' योजना 2005 संचालित है। योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति के परम्परागत लोककला जैसे–पंथी, भरथरी, पंडवानी, पारम्परिक वाद्ययंत्रों को प्रोत्साहित किया जाना है। इस योजना के अंतर्गत चयनित प्रथम पुरस्कार राशि रू. 1.00 लाख द्वितीय राशि रू. 0.75 लाख तथा तृतीय पुरस्कार राशि रू. 0.50 लाख पुरस्कार दिये जाते हैं।

गुरू घासीदास लोक कला महोत्सव अंतर्गत जिला स्तर से चयनित लोककला दलों को राज्य के किसी भी जिले में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आयोजन कर पुरस्कृत किया जाता है।

विश्व आदिवासी दिवस

वर्ष 2021–22 में कोरोना महामारी को देखते हुए दिनांक 09 अगस्त 2021 को माननीय मुख्यमंत्री निवास में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से ''**विश्व आदिवासी दिवस**'' का आयोजन किया गया।

छ.ग. राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम

लक्षित वर्ग के कौशल विकास एवं स्वरोजगार हेतु प्रतिबद्ध

छत्तीसगढ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एंव विकास निगम रायपुर छत्तीसगढ सहकारिता अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन क्रमांक 223 दिनांक 30.10.2000 में पंजीकृत है। निगम द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक एंव सफाई कामगार वर्गो के आर्थिक विकास की व्यक्तिमूलक योजनाओ का संचालन किया जाता है। इसके अतिरिक्त निगम द्वारा 16 अंत्यावसायी व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र राज्य के विभिन्न स्थानो पर संचालित किये जा रहे है।

उद्देश्य -

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, सफाई कामगार को विभिन्न व्यवसायो के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के साथ तकनीकी व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना है, ताकि वे स्वरोजगार प्राप्त कर आत्मनिर्भर हो सकें।

बैंक प्रवर्तित योजना

अनुसूचित जाति एंव अनुसूचित जनजाति वर्ग के सदस्यो को निगम द्वारा अंत्योदय स्वरोजगार योजना व आदिवासी स्वरोजगार योजना का कियान्वयन हितग्राहियों को बैंको से ऋण दिलाने हेतु किया जाता है। इस योजना में बैंको द्वारा स्वीकृत ऋण का 50 प्रतिशत या अधिकतम रूपये 10,000/– तक जो भी कम हो अनुदान राशि दिये जाने का प्रावधान है।

पात्रता

1. आवेदक संबंधित जिले का मूल निवासी हो।
2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग का हो।
3. परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में रू. 40,500/– एवं शहरी क्षेत्र में रू. 51,500/– हो, (परिवार से तात्पर्य पति, पत्नी एंव नाबालिग बच्चे से है)।
4. मतदाता पहचान प्त्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंकपास बुक या बिजली बिल आदि।

राष्ट्रीय वित्त एवं विकास निगम की आर्थिक विकासपरक विभिन्न स्वरोजगारमूलक कल्याणकारी योजनाएं

छ.ग. राज्य अंत्यावसायी वित्त एंव विकास निगम विभिन्न राष्ट्रीय निगमो (अजा.अजजा.पि.वर्ग, अंल्पसंख्यक, सफाई कामगार) की वित्तीय ऋण सहायता से विभिन्न प्रकार के स्वरोजगारोन्मुखी योजनाओं का अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछडा वर्ग अंल्पसंख्यक एंव सफाई कामगार हेतु संचालित करता है। इसके अतिरिक्त इन वर्गो के विद्यार्थियो के लिए व्यवसायिक पाठ्यक्रमो में शिक्षा हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाता है। व्यवसायिक उच्च शिक्षा हेतु ऋण देश या विदेश में अध्ययन के लिए दिया जाता है।

राष्ट्रीय निगमों की चेनलाईजिंग एजेन्सी

छ.ग. राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एंव विकास निगम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एंव विकास निगम, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एंव विकास निगम, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित एंव विकास निगम, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित एंव विकास निगम की चैनेलाइजिंग एजेंसी के रूप में कार्य करता है।

राष्ट्रीय निगमों की वित्तीय सहायता से संचालित योजनाएं

विभिन्न राष्ट्रीय निगमों वित्तीय सहायता से ट्रेक्टर ट्राली योजना, गुड्स केरियर योजना, पैसेंजर व्हीकल योजना, स्मॉल बिजनेस योजना, आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना, टर्म लोन योजना, जनरल लोन योजना, नई स्वर्णिमा (महिला) योजना, स्कीम अप प्रोजेक्ट (व्यक्तिमूल) योजना ,स्वच्छता से संबंधित वाहन योजना, सेनेटरी मार्ट योजना एंव शिक्षा ऋण योजना संचालित है।

व्यवसायों की सूची

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक एंव सफाई कामगार के सदस्यो को स्वरूचि के व्यवसाय जैसे ट्रेक्टर ट्राली, खेती, वनोपज क्रय–विक्रय, सब्जी फल उत्पादन, बागवानी, बकरी पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, ऑटो पैसेंजर व्हीकल, ऑटो गुड्स कैरियर, ऑटो रिक्शा आदि परिवहन संबंधी ,ब्यूटी पार्लर, नाई सेलून की दुकान, साइकिल रिपेयरिंग, कम्प्यूटर रिपेयरिंग, घरेलू विद्युत फिटिंग वायरिंग, होटल ढाबा, सिलाई दुकान, ऑटो पाट्र्स, जूता चप्पल आदि क्षेत्रीय आवश्यकताजनित व्यवसाय। ये व्यवसाय मात्र उदाहरण स्वरूप है, आप अपने स्वरूचि व स्थानीय मांग एंव पूर्ति के आधार पर व्यवसाय चयन के लिए स्वतंत्र है।

राष्ट्रीय निगमों से संचालित योजनाओं में पात्रता

1. आवेदक संबंधित जिले का मूल निवासी हो।
2. आवेदक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछडा वर्ग अल्पसंख्यक एंव सफाई कामगार वर्ग का हो। (सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र)
3. परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में रू. 300000/– से अधिक न हो।
4. आवेदक की आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष के अधिक न हो।
5. ट्रेक्टर ट्राली के लिए आवेदक के पास खेतीहार भूमि हो।
6. ट्रेक्टर ट्राली एंव वाहन लेने के इच्छुक आवेदक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो। इसके अतिरिक्त मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक या बिजली बिल एंव संबधित का पासपोर्ट साइज फोटो
7. ऋण स्वीकृति की स्थिती में आवेदक को ऋण के बराबर का गारंटी दिया जाना आवश्यक होगा।

ब्याज दर

- ऋण राशि रू. 5,00,000/– तक की विभिन्न योजनाओं में ब्याज दर 6% वार्षिक।
- ऋण राशि रू. 5,00,000/– से अधिक सभी योजनाओं में ब्याज दर 8% वार्षिक।

योजनाओं का प्रचार-प्रसार

छ.ग. राज्य अंत्यावसायी वित्त एंव विकास निगम द्वारा विभिन्न राष्ट्रीय निगमो की वित्तीय सहायता से संचालित योजनाओ का जिला स्तर पर दैनिक समाचार पत्रो, शिविर आयोजित कर एंव ब्रोसर पाम्पलेट छपाकर किया जाता है।

चयन प्रक्रिया

हितग्राहीयो का चयन राज्य शासन द्वारा गठित जिला स्तरीय हितग्राही चयन समिति द्वारा किया जाता है। जिसमें मान.सांसद, मान. विधायक एंव विभिन्न शासकीय विभागों के सदस्य होते हैं।

राज्य अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण अनुसूचित जनजाति विकास प्राधिकरण की वित्त पोषित योजना

शहीद वीर नारायणसिंह स्वावलम्बन योजना एवं मिनीमाता स्वावलम्बन योजना

अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के ऐसे व्यक्ति जो स्वयं का व्यवसाय/उद्योग स्थापित करने के इच्छुक है, किन्तु उनके पास कोई व्यवसायिक पृष्ठभूमि नही है, अथवा स्वयं के साधन एवं पूंजी नही है उन्हें आर्थिक योजनाओं में प्रशिक्षण, साधन एवं पूंजी उपलब्ध कराते हुये व्यवसाय स्थापित कराने हेतु अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण एंव अनुसूचित जनजाति विकास प्राधिकरण के वित्तीय सहायता से शहीद वीर नारायण सिंह स्वावलंबन येाजना (अनुसूचित जनजाति हेतु) व मिनीमाता स्वावलंबन योजना(अनुसूचित जाति हेतु) का संचालन निगम द्वारा राज्य में सफलता पूर्वक किया जा रहा है। साथ ही इन योजनाओ में लाभान्वित होने वाले चयनित आवेदको को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है।

इकाई लागत

शहीद वीर नारायण सिंह स्वावलंबन योजना (अनुसूचित जनजाति हेतु) व मिनीमाता स्वावलंबन योजना (अनुसूचित जाति हेतु) योजनाओं में प्रति इकाई लागत राशि रू. 2.00 लाख निर्धारित है। जिसमें दुकान निर्माण हेतु राशि रू. 1.40 लाख एंव कार्यशील पूंजी हेतु राशि रू. 0.60 लाख है।

हितग्राही द्वारा 3 वर्षो में लगातार बिना चूक किए ब्याज सहित 25% ऋण राशि की अदायगी करने पर प्राधिकरण द्वारा हितग्राही को इकाई लागत की 75% प्रोत्साहन राशि प्रावधानित किया गया है। योजना अवधि में कुल ऋण राशि पर मात्र 4% वार्षिक ब्याज लिया जाता है।

व्यवसायिक प्रशिक्षण

अनुसूचित जाति व जनजाति के युवक/युवतियों के तकनीकी व्यवसायिक प्रशिक्षण देने का कार्य 10 व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों में किया जा रहा है अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में वर्ग के 4 केन्द्र (रायपुर, दुर्ग, रतनपुर, सारंगढ) तथा अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में 6 केन्द्र (पेण्ड्रारोड, अंबिकापुर, नगरी, कोण्डागांव, नारायणपुर, कोसा जगदलपुर) है।

प्रशिक्षण पूर्णतः निःशुल्क दिया जाता है। प्रशिक्षण अवधि में शिष्यवृत्ति के रूप में राशि रू. 1000/– प्रति माह उनकी उपस्थिति के मान से दी जाती है।

प्रशिक्षण ट्रेड

एपैरल, इलेक्ट्रीशियन, आटोमोटिव, इलेक्ट्रानिक्स, कंस्ट्रकशन, इत्यादि।

नियोजन

प्रशिक्षण पश्चात सफल प्रशिक्षणार्थीयो को शासकीय/निजी सेवा क्षेत्र में अंत्यावसायी निगम द्वारा नियोजित किया जाता है, साथ ही स्वरोजगार हेतु इच्छुक प्रशिक्षणार्थीयेा को निगम की योजना में लाभान्वित किया जाता है।

सम्पर्क

राज्य स्तरीय कार्यालय - प्रबंध संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, (टी.आर.आई.) द्वितीय तल, मुक्तांगन के पास, सेक्टर–24 नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

जिला कार्यालय - जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति सभी 27 जिला मुख्यालय में।

छ.ग. राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम

छत्तीसगढ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एंव विकास निगम रायपुर छत्तीसगढ सहकारिता अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन क्रमांक 223 दिनांक 30.10.2000 में पंजीकृत है। निगम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछडा वर्ग, अंल्पसंख्यक वर्ग, सफाई कर्मचारी वर्ग के आर्थिक विकास के दायित्व का निर्वहन कर रहा है। राज्य शासन द्वारा प्रदेश के युवा बेरोजगारों को प्रशिक्षण हेतु व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र अनुसूचित जाति के 05 अनुसूचित जनजाति के 11 केन्द्र संचालित है।

जिला समिति रायपुर द्वारा अनुसूचित जाति स्माल बिजनेस योजना ई.ला. 1.00 लाख में लाभान्वित हितग्राही श्रीमती चित्रलेखा धृतलहरे

इस निगम की पूंजी 51 प्रतिशत राज्य की अंशपूंजी हिस्सा एंव 49 प्रतिशत केन्द्रीय अंशपूंजी हिस्सा है। निगम द्वारा छ.ग. राज्य के निर्धारित मापदंड में आने वाले हितग्राही क्रमशः अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, पिछडा वर्ग, अंल्पसंख्यक वर्ग तथा सफाई कामगार वर्ग के उत्थान में वित्तीय ऋण सहायता निर्धारित प्रकिया के अंतर्गत दी जाती है।

जिला समिति राजनांदगांव द्वारा अंत्योदय स्वरोजगार योजना में लाभान्वित हितग्राही श्री जयकांत पात्रे

जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति कोंडांगांव द्वारा अनुसूचित जनजाति गुड्स कैरियर योजना से लाभान्वित हितग्राही श्री प्रहलाद कावडें

छ.ग. राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम में संचालित योजनाओं की प्रगति विवरण 2021-22

क्रमांक	योजना का नाम	भौतिक लक्ष्य		उपलब्धि	
		इकाई संख्या	राशि	इकाई संख्या	राशि
1	अंत्योदय स्वरोजगार योजना	8000	800.00	1063	106.30
2	आदिवासी स्वरोजगार योजना	2000	200.00	743	74.30
3	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वि.वि. निगम की योजना	08	31.13	08	31.13
4	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वि.वि. निगम की योजना	20	66.45	12	35.76

छ.ग. राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक दिनांक 02 दिसम्बर 2021

अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम 2007 यथा संशोधित नियम 2012 का क्रियान्वयन

छ.ग. राज्य में वर्ष 2008 से अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम 2007 यथा संशोधित नियम 2012, का कियान्वयन किया जा रहा है। अधिनियम के अनुसार वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी आवेदक द्वारा कब्जे का दावा करने हेतु दिनांक 13.12.2005 कट ऑफ डेट निर्धारित है। अन्य परंपरागत वन निवासी के मामले में दावाकर्ता का कट ऑफ डेट के पूर्व से तीन पीढ़ियों (75 वर्ष) से संबंधित ग्राम/वन भूमि में निवासरत होना भी आवश्यक है।

राज्य में 31.12.2021 तक वन अधिकार के व्यक्तिगत दावों हेतु कुल 8,67,021 आवेदन पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 4,52,373 दावे स्वीकृत कर 4,45,833 वन अधिकार पत्र वितरित किए जा चुके हैं। निरस्त प्रकरणों की समीक्षा की जा रही है तथा पूर्व में 31.12.2017 तक निरस्त 4,52,275 दावों को पुनर्विचार में लिया जाकर प्रकिया के अनुसार उनके निराकरण की कार्यवाही की जा रही है। 31.12.2017 की स्थिति में निरस्त दावों के पुनर्विचार उपरांत अब तक 31,243 प्रकरण स्वीकृत हुए हैं। इसी प्रकार वन अधिकार के सामुदायिक दावों हेतु कुल 50,808 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। जिनमें से 46,253 दावे स्वीकृत कर 45,305 वन अधिकार पत्र वितरित किए जा चुके हैं। राज्य में व्यक्तिगत वन अधिकार दावों के अंतर्गत कुल 3,63,592.607 हेक्टेयर भूमि तथा सामुदायिक दावों के अंतर्गत कुल 19,35,642.975 हेक्टेयर भूमि वितरित की गई है।

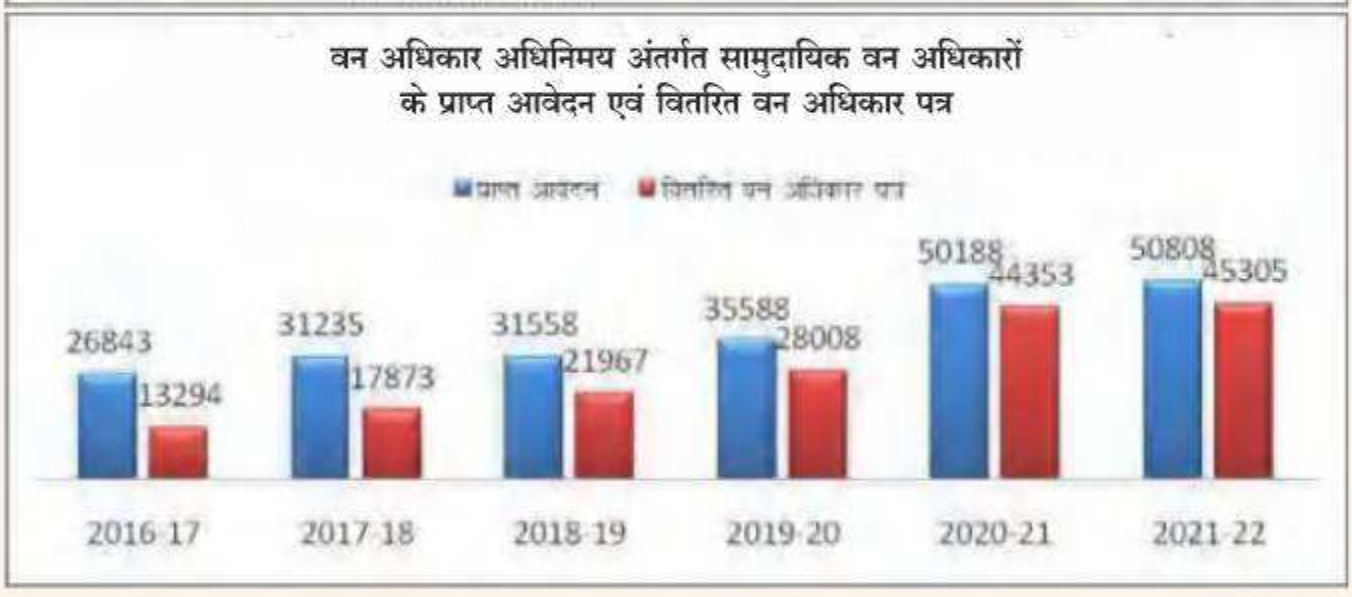

राज्य सरकार का जोर सामुदायिक वन अधिकारों विशेषकर सामुदायिक वन संसाधन अधिकार को स्थानीय वन निवासियों को प्रदान करने पर है ताकि अधिनियम की मंशा के अनुसार स्थानीय समुदाय द्वारा अपने वन संसाधनों की दीर्घकालिक उपभोग हेतु सुरक्षा की जा सके तथा अपनी आजीविका का संवर्धन किया जा सके। इसी के तारतम्य में राज्य में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों के अंतर्गत माह दिसंबर, 2021 की स्थिति में 3127 वन अधिकार पत्र 1380091.381 हेक्टेयर भूमि पर वितरित की गई है। उल्लेखनीय है कि देश में पहली बार छत्तीसगढ़ राज्य के नगरीय क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र प्रदाय किया गया है। प्रदेश के धमतरी जिले की नगर पंचायत नगरी के वार्ड सभा तुमबाहरा में 2746.742 हे. एवं चुरियारा में 678.180 हे. में सामुदायिक वन संसाधन अधिकार प्रदाय किया गया है। साथ ही राज्य के नगरीय क्षेत्रों में

व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र एवं सामुदायिक वन अधिकार पत्र भी प्रदाय किए गए हैं। राज्य के विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों को पर्यावास के अधिकार प्रदाय करने की कार्यवाही की जा रही है।

व्यक्तिगत वन अधिकार पत्रों की स्केनिंग एवं अपलोडिंग का कार्य CHiPS छत्तीसगढ़ के द्वारा प्रारंभ किया जा रहा है। जिससे व्यक्तिगत वन अधिकार पत्रधारक आवश्यकतानुसार ऑनलाईन पोर्टल में उपलब्ध दस्तावेजों का उपयोग कर सकेंगे। साथ ही यूएनडीपी के सहयोग से वन अधिकार संबंधी पूरी प्रक्रिया को ऑनलाईन करने हेतु पायलट टेस्ट भी किया गया है। पूर्व में वन अधिकार अधिनियम अंतर्गत हितग्राहियों द्वारा कागजी प्रक्रिया के तहत् वन अधिकार के दावे प्रस्तुत किए जा रहे थे जिसके कारण प्रक्रिया के नियमानुसार कियान्वयन में कई व्यावहारिक समस्याएं सामने आती थीं। इन्हीं समस्याओं के निदान हो सकेगा एवं वन अधिकार कानून के कियान्वयन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। इसकी मॉनिटरिंग भी पोर्टल के माध्यम से की जा सकेगी।

राज्य में वन अधिकार अधिनियम, 2006 का कियान्वयन सभी जिलो में (रायपुर, दुर्ग एवं बेमेतरा को छोड़कर) प्रतिबद्धतापूर्वक किया जा रहा है। यह भी उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य, देश में वन अधिकार पत्र वितरण करने में अग्रणी राज्यों में से एक है।

अनुसूचित जनजाति उपयोजना और अनुसूचित जाति उपयोजना

अनुसूचित जनजाति उपयोजना -

जनजातियों के सर्वांगीण विकास हेतु पांचवी पंचवर्षीय योजना काल से आदिवासी उपयोजना की रणनीति अपनाई गई। इसी रणनीति के तहत विभिन्न पंचवर्षीय योजना काल के दौरान प्रदेश की जनजातियों के विकास के लिए योजनाबद्ध तरीके से विभिन्न विकास विभागों द्वारा योजनाएं क्रियान्वित की जाती रही है। आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत जनजातियों एवं उपयोजना क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए अलग से आयोजना, वित्तीय संसाधन, बजटीय व्यवस्था, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन आदि की संपूर्ण व्यवस्था सभी विकास विभागों के सहयोग से की जाती रही है। इन सारे कार्यो के उत्तरदायित्व का निर्वहन नोडल विभाग यथा आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा किया जाता है। आदिवासी उपयोजना के मुख्यतः दो उद्देश्य है :–

1. जनजातियों का एकीकृत ढंग से सर्वांगीण विकास करना।
2. जनजातियों की सुरक्षा एवं उन्हें हर तरह से शोषण से मुक्ति दिलाना।

आदिवासियों के सर्वांगीण विकास हेतु आदिवासी उपयोजना की रणनीति के अंतर्गत आदिवासी उपयोजना विकास की समस्या को कार्य दृष्टि से तीन भागों में विभाजित किया गया है :–

1. वे क्षेत्र जिनमें आदिवासी जनसंख्या की बहुलता है।
2. बिखरी हुई जनजातियां।
3. विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह

जनजातियों के सर्वांगीण विकास तथा उनकी जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए Area Specific Approach के अंतर्गत आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों को सुलभतापूर्वक राशि की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से प्रत्येक विभाग के बजट में ऐसा अनुपातिक प्रावधान किया गया कि अनुसूचित जनजाति उपयोजना मद की राशि का अन्यत्र/गैर उपयोजना क्षेत्र में उपयोग किए जाने की स्थिति निर्मित ना हो। इसे सुनिश्चित करने के लिए राज्य बजट में मांग संख्या 41, 42, 68, 77, 82 और 83 निर्मित की गयी हैं, जिससे प्रावधानित राशि अनुसूचित जनजाति उपयोजना (TSP) के अलावा अन्य मदों में उपयोग नहीं की जा सकती है।

अनुसूचित जनजाति उपयोजना क्षेत्रों के विकास एवं उनमें रहने वाले जनजातीय परिवारों के आय बढ़ाने वाली गतिविधियों पर पर्याप्त जोर देने के लिए, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति वर्ग एवं अन्य वर्गो के मध्य शैक्षणिक, सामाजिक–आर्थिक स्थिति में अंतर को Gap filling के माध्यम से दूर कर जनजातियों के सामाजिक आर्थिक स्तर को उन्नत करना इसका उद्देश्य है। आदिम जाति क्षेत्रीय विकास

योजनाओं के दिशा निर्देशों के अनुरूप अनुसूचित जनजाति परिवारों की आय बढ़ाने वाली योजनाओं जैसे–कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, शोषण से मुक्ति, मानव संसाधन विकास, शिक्षा और प्रशिक्षण, कौशल उन्नयन, मूलभूत संरचनाओं का विकास कार्यक्रम जैसी योजनाओं को प्राथमिकता दी जाती है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 की वार्षिक बजट में राशि रु. 21200.9447 करोड़ अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिए प्रावधानित की गई है।

अनुसूचित जाति उपयोजना -

अनुसूचित जाति उपयोजना पहले विशेष घटक के रूप में जानी जाती थी। अनुसूचित जनजाति उपयोजना क्षेत्र के विकास पर आधारित अवधारणा है जबकि अनुसूचित जाति उपयोजना का उद्देश्य राज्य में निवास करने वाली अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों को लाभान्वित करना है, किसी क्षेत्र विशेष को नहीं क्योंकि अनुसूचित जातियों का जनसंख्या किसी क्षेत्र विशेष में केन्द्रित न होकर विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई है तथापि अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों को बुनियादी अधोसंरचना की दृष्टि से अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत लाभान्वित किया जाता है।

जिलों की मिश्रित भूमि संरचना एवं अनुसूचित जाति जनसंख्या के फैलाव/बिखराव को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न बृहत सिंचाई, ऊर्जा एवं परिवहन की परियोजनाओं से केवल अनुसूचित जाति जनसंख्या को लाभान्वित कर पाना संभव नहीं है। इसलिये ऐसे कार्यक्रम जिनसे लक्षित समूह को सीधे लाभान्वित किया जा सके जैसे समुदाय पर आधारित संरचनात्मक कार्य पेयजल सुविधा, सामुदायिक केन्द्र, अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों/बस्तियों में सी.सी.रोड तथा कौशल उन्नयन स्वरोजगार योजना विशेष घटक योजना की अम्ब्रेला योजना अंतर्गत लिए जाते हैं। अनुसूचित जाति उपयोजना की बृहद संकल्पना से विभिन्न क्षेत्रों की अनुसूचित जाति जनसंख्या के अनुपात में राशि की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाती है। इस हेतु विभिन्न विकास विभागों के वार्षिक बजट में अनुसूचित जाति उपयोजना मद में प्रदेश की अनुसूचित जाति जनसंख्या के अनुपात में बजट प्रावधान रखे जाने पर जोर दिया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 की वार्षिक बजट में कुल राशि रु. 6559.3655 करोड़ के अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए प्रावधानित की गई है।

भाग - चार

आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान का नवा रायपुर स्थित नवनिर्मित भवन एवं संग्रहालय

आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान

परिचय -

भारत सरकार के प्रथम पंचवर्षीय योजना निर्माण के समय अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति, रीति–रिवाज, रहन–सहन तथा अन्य सांस्कृतिक व अनुसंधानिक तथ्यों के अभाव में इन वर्गों के विकास हेतु योजना निर्माण में कठिनाईयों के फलस्वरूप भारत सरकार द्वारा वर्ष 1954 में अविभाजित मध्यप्रदेश, उड़ीसा, बिहार एवं पश्चिम बंगाल राज्य सरकारों को केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने के निर्देश दिये थे।

राज्य में आदिवासियों की जनसंख्या के दृष्टिगत भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुशंसा अनुरूप राज्य शासन द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत देश की 15 वें आदिमजाति अनुसंधान संस्थान की स्थापना 02.09.2004 को राज्य में की गई।

संस्थान के प्रमुख कार्य -

आदिमजाति अनुसंधान संस्थान के प्रमुख कार्य निम्नांकित है :–

- अनुसूचित जनजातियों संबंधी आधारभूत सामाजिक–आर्थिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन एवं सर्वेक्षण करना।
- अनुसूचित जनजातियों में व्याप्त समस्याओं का अध्ययन कर इनके निराकरण हेतु शासन को सुझाव देना।
- अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु शासन द्वारा संचालित योजनाओं का मूल्यांकन करना।
- अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने संबंधी प्राप्त अभ्यावेदनों के संदर्भ में जातियों का इथनोलाजिकल, एन्थ्रोपोलॉजिकल परीक्षण कर शासन को अभिमत देना।
- अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं के निराकरण हेतु देश के प्रमुख विषय–विशेषज्ञों को आमंत्रित कर राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला एवं संगोष्ठियों का आयोजन करना।
- आदिवासी हितों के संरक्षण हेतु बनाये गये विभिन्न अधिनियमों तथा जनजातीय विकास से संबंधित कार्यक्रमों की जानकारी देने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करना आदि।

संस्थान द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 में दिनांक31.03.2021 तक संपादित किये गये कार्यों की बिन्दुवार जानकारी निम्नांकित है –

मानवशास्त्रीय अध्ययन -

1. पारधी जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन
2. धनवार जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन
3. सौंता जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन

मूल्यांकन अध्ययन -

1. कोण्डागांव जिले में वन बंधु कल्याण योजना का मूल्यांकन अध्ययन।
2. आदिवासियों के सिंचाई पंप के लिए विद्युत कनेक्शन प्रदाय योजना का मूल्यांकन अध्ययन।
3. आदिवासी क्षेत्रों में कौशल विकास एवं स्वरोजगार हेतु संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम का मूल्यांकन अध्ययन।

मोनोग्राफ अध्ययन -

1. भुंजिया जनजाति में लालबंगला।
2. उरांव जनजाति का सरना उत्सव।
3. कमार जनजाति में प्रथागत कानून।
4. नारायणपुर का मावली मड़ई।
5. कोण्डागांव जिले का भंगा रामजात्रा।
6. दंतेवाड़ा जिले का घोटपाल मड़ई।
7. उरांव जनजाति में कर्मा उत्सव।
8. उरांव जनजाति में सांस्कृतिक परिवर्तन।

नृजातीय अध्ययन -

सोनझरिया जाति का नृजातीय अध्ययन प्रतिवेदन।

सौंता जनजाति का नृजातीय अध्ययन प्रतिवेदन।

प्रशिक्षण -

संस्थान द्वारा राज्य के बस्तर संभाग के बीजापुर, दन्तेवाड़ा, सुकमा, बस्तर, नारायणपुर, कोण्डागांव तथा कांकेर जिला एवं सरगुजा संभाग के जशपुर, अम्बिकापुर, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया जिला में वन अधिकार अधिनियम 2006, पेसा अधिनियम एवं अनुसूचित क्षेत्र में भूमि क्रय–विक्रय की धारा 170 (ख) के संबंध में जिले के अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधियों हेतु जिलेवार विस्तृत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। उक्त आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल 1021 प्रशिक्षणार्थियों की सहभागिता रही।

आधारभूत सर्वेक्षण -

छत्तीसगढ़ राज्य हेतु घोषित 05 विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों का आधारभूत सर्वेक्षण पर आधारित प्रतिवेदन तैयार किया, जो निम्न है –

1. कमार
2. अबुझमारिया
3. पहाड़ी कोरवा
4. बैगा
5. बिरहोर

भाषा-बोली एवं शब्दकोश -

राज्य की विशेष पिछड़ी जनजाति कमार की कमारी बोली पर आधारित शब्दकोश एवं वार्तालाप निर्देशिका तैयार की गई। खड़िया बोली व धुरवी बोली में शब्दकोश एवं वार्तालाप संक्षेपिका एवं बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति की बैगानी बोली में शब्दकोश एवं वार्तालाप संक्षेपिका को तैयार किया गया है।

प्रकाशन -

राज्य की अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक आदि पहलुओं पर आधारित मानवशास्त्रीय अध्ययन प्रतिवेदनों को पुस्तिका के रूप में प्रकाशित किया गया है।

1. कंवर जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन
2. गोंड जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन
3. बिंझवार जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन
4. पहाड़ी कोरवा जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन
5. भतरा जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन
6. बिरहोर जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन
7. भैना जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन
8. मझवार जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन
9. बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन
10. कमार विशेष पिछड़ी जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन
11. भुंजिया जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन
12. उरांव जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन
13. डिहारी कोरवा जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन
14. हल्बा जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन
15. परजा जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन
16. गदबा जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन
17. मुन्डा जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन

फोटो हैण्डबुक का प्रकाशन

राज्य की अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक आदि पहलुओं पर आधारित 40 फोटो हैण्डबुक प्रकाशित किये गये हैं, जो निम्नांकित है –

1 कमार	2 अबुझमाड़िया	3 पहाड़ी कोरवा	4 बिरहोर	5 बैगा	6 भुंजिया
7 पांडो	8 बिंझवार	9 खड़िया	10 दण्डामी माड़िया	11 दोरला	12 हलबा
13 मुरिया	14 धुरवा	15 परजा	16 भतरा	17 गोंड (कबीरधाम)	18 सवरा
19 धनवर	20 कंवर	21 उरांव	22 मझवार	23 नगेसिया	24 मुण्डा
25 कोल	26 राजगोंड	27 अगरिया	28 पारधी	29 भैना	30 बियार
31 कोंध	32 गोंड (बस्तर)	33 खैरवार	34 सौंता	35 भारिया	36 कंडरा
37 माझी	38 गडबा	39 पाव	40 परधान		

पुस्तकालय

1. Library Upgradation के तहत सॉफ्टवेयर निर्माण, उपलब्ध पुस्तकों का डिजिटाइजेशन का कार्य कर अपलोड कराये जाने का कार्य निरंतर जारी है।
2. शासकीय संस्थानों एवं निविदा के माध्यम से कुल 808 पुस्तकें एवं विभिन्न शोध पत्रिकाएं क्रय की गई है।

ISBN

संस्थान के प्रकाशनों / प्रतिवेदनों के लिए अतंर्राष्ट्रीय पहचान नंबर (ISBN) प्राप्त किया जा चुका है। जनजातीय एटलस हिन्दी एवं अंग्रेजी संस्करण, कोंध एवं संवरा जनजाति का फोटो हैण्ड बुक्स का अतंर्राष्ट्रीय पहचान नंबर प्राप्त किया जा चुका है।

संग्रहालय

1. आदिवासी संग्रहालय के स्वरूप का निर्धारण करते हुए प्राथमिकता के आधार पर 15 गैलरियों में प्रदर्शन महत्व की वस्तुओं यथा जनजातीय आवास, परिधान, आभूषण, भौतिक संस्कृति, वाद्ययंत्र, धार्मिक संस्कार, कला–कौशल आदि के प्रदर्शन हेतु कार्ययोजना तैयार की गई है।
2. आदिवासी संग्रहालय हेतु आर्टिफेक्ट संकलन हेतु कार्य आबंटन जारी किया गया जिस पर आर्टिफेक्ट्स कलेक्शन दलों द्वारा जिला स्तर पर समाज प्रमुखों के साथ बैठकें आयोजित कर आर्टिफेक्ट संकलन के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराते हुए कार्ययोजना की चर्चा की गई है।
3. आदिवासी संग्रहालय की आंतरिक एवं बाह्य साज–सज्जा हेतु संस्थान स्तर से EOI एवं RFP जारी किया गया है।

विशेष पिछड़ी जनजातियों के पारम्परिक आभूषण एवं वाद्ययंत्र

विडियोग्राफी

राज्य की विशेष पिछड़ी जनजाति कमार एवं बिरहोर के जीवनशैली पर आधारित विडियोग्राफी डाक्यूमेंटेशन एवं जाति प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु जारी किये गये विभिन्न दिशा निर्देशों का डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माण कार्य प्रगति पर है।

विश्व आदिवासी दिवस में सहभागिता

राज्य शासन द्वारा दिनांक 09.08.2021 को आयोजित विश्व आदिवासी दिवस समारोह में सक्रिय सहभागिता दी गई। इस आयोजन में संस्थान द्वारा प्रकाशित छत्तीसगढ़ की जनजातीय एटलस, हिन्दी एवं अंग्रेजी संस्करण, विशेष पिछड़ी जनजातियों की एक झलक–कॉफी टेबल बुक, 07 मानवशास्त्रीय अध्ययन पुस्तिका, विशेश पिछड़ी जनजातियों के फोटो हैण्डबुक, हल्बी एवं कुडुख जनजाति के अल्फाबेट चार्ट, गिनती चार्ट एवं कुडुख बोली में मानक पैमाना चार्ट का विमोचन कराया गया तथा उक्त आयोजन में संस्थान की कार्यालयीन वेबसाईट www.cgtri.gov.in का विमोचन वर्चुअल माध्यम से कराया गया।

आदि महोत्सव सह राज्योत्सव 2021

आदि महोत्सव सह राज्योत्सव 2021 में विशेष पिछड़ी जनजाति "बैगा" के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हुए प्रदर्शनी लगाई गई।

जनजातीय क्राफ्ट मेला -

देशभर में मनाये जा रहे आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम अंतर्गत जनजातीय गौरव दिवस के रूप में बिरसा मुण्डा जी की जयंती के उपलक्ष्य में भारत सरकार, जनजातीय कार्यमंत्रालय, नई दिल्ली के सहयोग से छत्तीसगढ़ आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा दिनांक 15–17 नवंबर, 2021 तक तीन दिवसीय "राज्य स्तरीय जनजातीय क्राफ्ट मेला" का आयोजन किया गया।

छत्तीसगढ़ राज्य की जनजातीय शिल्पकला के संरक्षण, संवर्धन, सामान्यजनों में इनके व्यापक प्रचार–प्रसार, जनजातीय शिल्पकलाओं के माध्यम से सांस्कृतिक विचारों का आदान–प्रदान तथा राज्य के जनजातीय लोक शिल्पकारों को अपने कौशल को व्यावसायिक व्यव्हार्यता के दृष्टिकोण से अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संस्थान द्वारा इसका आयोजन किया गया।

राज्य स्तरीय जनजातीय क्राफ्ट मेला में छत्तीसगढ़ राज्य में प्रचलित विभिन्न प्रकार की शिल्प विधाओं में से ढोकरा शिल्प या बेलमेटल, जूट शिल्प, बांस शिल्प, कालीन निर्माण, गोदना शिल्प, चित्रकारी, छिंद एवं बांस शिल्प, काश्ठ शिल्प, बुनकरी शिल्पकला के कुल 33 स्टॉल लगाये गये।

इस प्रकार आयोजित जनजातीय क्राफ्ट मेला में कुल 61 शिल्पकारों द्वारा अपने उत्पादों का प्रदर्शन सह–विक्रय किया गया। इस प्रदर्शनी सह जनजातीय क्राफ्ट मेला की एक विशेषता यह भी दिखाई दी, कि जिसमें भाग लेने वाले कुल 61 शिल्पकारों में से 36 शिल्पकार महिला वर्ग से थे जो कि शिल्पकला के क्षेत्र में महिलाओं की सशक्त भागीदारी को दर्शाती है।

तीन दिवसीय इस क्राफ्ट मेले के आयोजन में छत्तीसगढ़ लोक कला मंच के कलाकारों द्वारा जनजातीय जीवनशैली पर आधारित करमा, ददरिया आदि लोकनृत्यों का सांस्कृतिक प्रस्तुतीकरण भी दिया गया।

आदिवासी एवं अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण

छ.ग. राज्य के गठन के तत्काल पश्चात् राज्य शासन द्वारा यह महसूस किया गया है कि राज्य के आदिवासी अंचल एवं अनुसूचित जाति बाहुल्य जनसंख्या वाले क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए विकास प्राधिकरण का गठन किया जाए। फलस्वरूप आदिवासी/अनुसूचित जाति अंचलों के विकास हेतु वर्ष 2004 में प्राधिकरणों का गठन किया गया था। छ.ग.शासन सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक/एफ 4–1/2019/एक/6, अटल नगर रायपुर दिनांक 27.02.2019 के द्वारा विभिन्न प्राधिकरणों का पुनर्गठन एवं छ. ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक/एफ–4–3/2020/एक/06, अटल नगर रायपुर, दिनांक 26.08.2020 द्वारा अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का पुनर्गठन किया गया है, जो कि निम्नानुसार है :–

अ. बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण

ब. सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण

स. मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण

द. अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण

उद्देश्य :-

आदिवासी विकास प्राधिकरणों के अंतर्गत प्राधिकरण क्षेत्र में निवासरत जनजाति समुदाय के विकास हेतु अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन की समीक्षा तथा अनुश्रवण किया जाना है। क्षेत्र में निवासरत जनजाति समुदायों के आर्थिक विकास, संस्कृति के संरक्षण, क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम तथा अंचल के विकास हेतु प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार लाने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है। इसी प्रकार अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के अंतर्गत प्राधिकरण क्षेत्र में निवासरत अनुसूचित जाति समुदाय के विकास हेतु अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन की समीक्षा तथा अनुश्रवण किया जाना है। क्षेत्र में निवासरत अनुसूचित जाति समुदायों के आर्थिक विकास, संस्कृति के संरक्षण, क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम तथा अंचल के विकास हेतु प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार लाने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है।

गठन एवं विस्तार :-

बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण :- बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का कार्य क्षेत्र बस्तर संभाग के राजस्व जिले क्रमशः–बस्तर, कोंडागांव, दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा, उत्तर बस्तर कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, एवं सुकमा है। प्राधिकरण के सदस्य सचिव आयुक्त बस्तर संभाग है तथा मुख्यालय जगदलपुर है।

बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में 2074 कार्य रू. 3850.00 लाख की लागत से स्वीकृत किए गए। वित्तीय वर्ष 2021–22 में पूंजीगत एवं राजस्व मद मिलाकर कुल प्रावधानित राशि रू. 5500.00 लाख के विरूद्ध निर्माण कार्य एवं हितग्राही मूलक कार्यों हेतु राशि रू. 5500.00 लाख जारी किया गया, जिसमें से अब तक कुल 899 कार्य स्वीकृत किए गए हैं।

सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण :- सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का कार्य क्षेत्र सरगुजा संभाग के सम्पूर्ण राजस्व जिले क्रमशः–सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर–रामानुजगंज, जशपुर एवं कोरिया जिला है। सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के सदस्य सचिव आयुक्त सरगुजा संभाग है तथा मुख्यालय अम्बिकापुर है।

सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में 516 कार्य रू. 2450.00 लाख की लागत से स्वीकृत किए गए। वर्ष 2021–22 में पूंजीगत एवं राजस्व मद मिलाकर कुल प्रावधानित राशि रू. 3500.00 लाख के विरूद्ध निर्माण कार्य एवं हितग्राही मूलक कार्यों हेतु राशि रू. 3500.00 लाख जारी किया गया, जिसमें से अब तक कुल 671 कार्य स्वीकृत किए गए हैं।

मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण :- मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण राजस्व जिला कोरबा के अतिरिक्त जिला क्रमशः–गरियाबंद, धमतरी, महासमुन्द, बलोदाबाजार–भाटापारा, बालोद, राजनांदगांव, कबीरधाम, मुंगेली, बिलासपुर, रायगढ़ के आंशिक क्षेत्र जो आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में सम्मिलित है। मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के सदस्य सचिव आयुक्त रायपुर संभाग है, तथा मुख्यालय रायपुर है।

मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में 384 कार्य रू. 2310.00 लाख की लागत से स्वीकृत किए गए। वित्तीय वर्ष 2021–22 में पूंजीगत एवं राजस्व मद मिलाकर कुल प्रावधानित राशि रू. 3300.00 लाख के विरूद्ध निर्माण कार्य एवं हितग्राही मूलक कार्यों हेतु राशि रू. 3300.00 लाख जारी किया गया, जिसमें से अब तक कुल 522 कार्य स्वीकृत किए गए हैं।

अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण :-

अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य है। अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण अंतर्गत राज्य शासन द्वारा 25 प्रतिशत तक अनुसूचित जाति जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्रों में भी आर्थिक एवं सामाजिक विकास के कार्य स्वीकृत किये जाते है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 में 525 कार्य रू. 2484.53 लाख की लागत से स्वीकृत किए गए। वित्तीय वर्ष 2021–22 में प्रावधानित राशि रू. 3550.00 लाख के विरूद्ध राशि रू. 3550.00 लाख जारी किया गया, जिसमें से अब तक कुल 744 कार्य स्वीकृत किए गए हैं।

भाग - पाँच

Tribal Youth Hostel, Chhattisgarh
Sector 18A, Dwarka, New Delhi

फ्लैगशिप योजनाएँ

राजीव युवा उत्थान योजना

उद्देश्य :- निजी प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा, बैकिंग परीक्षा, कर्मचारी चयन आयोग, रेल्वे भर्ती बोर्ड, छ.ग. व्यापम तथा अन्य संस्थानों द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु पात्रता रखने वाले प्रतिभावान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं को परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण उपलब्ध कराना एवं प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु प्रतिस्पर्धात्मक बनाना है।

ट्रायबल यूथ हॉस्टल, नई दिल्ली :- देश की राजधानी में रहकर संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने के लिए राजीव युवा उत्थान योजना के तहत् द्वारका, नई दिल्ली में विभाग द्वारा ट्रायबल यूथ हॉस्टल वर्ष 2013–14 से संचालित किया जा रहा है। यह संस्था पूर्णतः आवासीय है। इस योजना अंतर्गत कुल 50 सीट्स स्वीकृत है एवं वर्ष 2021–22 से ड्रापर/रिपीटर बैच के अंतर्गत 15 अन्य सीटों को स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्ष 2019–20 में कुल 48 अभ्यर्थी लाभान्वित हुए है। अब तक कुल 126 अभ्यर्थी विभिन्न पदो पर चयनित हुए है। वर्ष 2020–21 में कोरोना संक्रमण के कारण अभ्यर्थियों के चयन की कार्यवाही नहीं की गई है। वर्ष 2021–22 में अभ्यर्थियों की चयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

अबतक चयनित विद्यार्थियों की जानकारी :-

क्र.	पद	संख्या
1	आई.आर.एस	04
2	डिप्टी कलेक्टर	16
3	उप पुलिस अधीक्षक	12
4	सहायक कमाण्डेट (UPSC)	05
5	नायब तहसीलदार	14
6	अन्य पदों पर (एसीएफ, सीईओ, लेखाधिकारी, फारेस्ट रेंजर, एसएएसओ इत्यादि)	81
	योग	**126**

राज्य स्तर पर परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र/कोचिंग :- वर्ष 2003 में यह योजना परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र के नाम से संचालित थी। राजीव युवा उत्थान योजना के अंतर्गत संघ लोक सेवा अयोग की सिविल सेवा परीक्षा एवं राज्य लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु 100 सीटे स्वीकृत है, इसके माध्यम से जिला रायपुर में 50 सीटर एवं जिला दुर्ग में 50 सीटर प्रशिक्षण केन्द्र संचालित है। इसके अतिरिक्त बैकिंग, रेल्वे,

व्यापम, एस.एस.सी. आदि जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, नारायणपुर एवं कबीरधाम में 100–100 सीट्स स्वीकृत है।

अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहन योजना वर्ष 2009 :- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त करने पर प्रोत्साहित करने हेतु प्रोत्साहन योजना वर्ष 2010–11 में प्रारंभ की गई। इस योजना अंतर्गत निम्नानुसार प्रावधान है :–

1. संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने पर मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु रूपये 1,00,000/– (रूपये एक लाख) मात्र।
2. यह राशि किसी भी प्रयास में सफल होने पर मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु दी जाती है।

इसके अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की किसी भी स्तर में होने पर संबंधित आयोग द्वारा जारी प्रमाण–पत्र या अधिकृत दस्तावेज के साथ निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत करने पर परीक्षण उपरांत नियमानुसार राशि एक मुश्त प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान की जाती है। योजना अंतर्गत अभ्यर्थी की पात्रता का परीक्षण कर स्वीकृति आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास छ0ग0 रायपुर द्वारा दी जाती है।

इस योजना अंतर्गत वर्ष 2020–21 में 01 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है। वर्ष 2021–22 में पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति प्री.मेडिकल तथा प्री. इंजिनियरिग परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण (कोचिंग) योजना :-

विभाग द्वारा राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के 100 (अनुसूचित जनजाति–64, अनुसूचित जाति–36) प्रतिभावान विद्यार्थी, जो कक्षा 12वीं में 70 प्रतिशत से अधिक अंक लेकर उत्तीर्ण है तथा ड्राप लेकर प्री.इंजीनियरिंग एवं प्री.मेडिकल परीक्षा की तैयारी करना चाहते है, के लिए यह योजना बनाई गई है। वर्ष 2019–20 में 100 विद्यार्थी निजी कोचिंग संस्था में प्रवेशित होकर कोचिंग प्राप्त किया गया है, जिसमें से 21 विद्यार्थी विभिन्न प्रतिष्ठित कॉलेजो में प्रवेश प्राप्त किये है। वर्ष 2020–21 में कोरोना संक्रमण के कारण शासन के निर्देशानुसार प्रशिक्षण मद से व्यय प्रतिबंधित होने के कारण योजना संचालित नहीं की गई। वर्ष 2021–22 मे 100 विद्यार्थी योजनांतर्गत लाभान्वित हो रहे है।

मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना

नक्सल प्रभावित जिलों के बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु शिक्षा, आवास, भोजन, खेल एवं मनोरंजन आदि सुविधा प्रदान कर संरक्षक की भूमिका निभाते हुए रोजगार में स्थापित कर जीवन मे स्थायित्व पैदा करना इस योजना का उद्देश्य है। जब यह योजना 2010 में प्रारंभ हुई, उस समय बजट प्रावधान 200.00 लाख था। वर्ष 2020–21 में इस योजना हेतु राशि रूपये 3420.30 लाख का प्रावधान किया गया है। इस योजना के चार घटक निम्नानुसार है :–

1. आस्था 2. निष्ठा 3. प्रयास 4. सहयोग

1. **आस्था** : नक्सल हिंसा से अनाथ हुए बच्चों के लिए दन्तेवाड़ा जिले में आस्था गुरूकुल विद्यालय संचालित है। इस विद्यालय में कक्षा पहली से 12 वीं तक अध्ययन की निःशुल्क व्यवस्था है तथा पूरे वर्ष भर निःशुल्क आवासीय सुविधा दी जाती है। वर्ष 2007 में यह योजना प्रारंभ की गई थी, तब 64 विद्यार्थी थे। वर्ष 2021–22 में संस्था में बालक 99 एवं कन्या 106 कुल 205 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। इस योजना में विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा, आवास, भोजन, खेल एवं मनोरंजन की सुविधाएं प्रदाय की जाती है।
2. **निष्ठा** : इस योजना के अंतर्गत नक्सल हिंसा में मृत माता–पिता के बच्चे/पीड़ित परिवार के बच्चे तथा प्रभावित ग्राम/क्षेत्र के बच्चे प्रदेश के राजनांदगांव जिले में निजी शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययन कर रहें है। शासन द्वारा निजी संस्थाओं के प्रबंधन से चर्चा करके विद्यार्थियों को निःशुल्क प्रवेश दिलाया जाता है। जिला प्रशासन की अनुशंसा पर विद्यार्थी पर हुए कुल व्यय के 25 प्रतिशत शिक्षण शुल्क के रूप में राशि की प्रतिपूर्ति निजी संस्थाओं को की जाती है। वर्तमान में इस योजना के तहत नक्सल हिंसा प्रभावित ग्राम/क्षेत्र के वर्ष 2020–21 में 114 बच्चे राजनांदगांव जिले के कुल 12 निजी संस्थाओं में अध्ययन कर रहे है। विगत वर्ष 2020–21 से यह योजना बंद कर दी गई है, जिसके फलस्वरूप नये विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है।
3. **स्व. राजीव गांधी बाल भविष्य सुरक्षा प्रयास आवासीय विद्यालय** : प्रदेश के सम्पूर्ण अनुसूचित क्षेत्र सहित गैर अनुसूचित क्षेत्र में स्थित LWE प्रभावित जिलों के आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के विद्यार्थियों को कक्षा 9वीं से 12वीं तक हाईस्कूल एवं हायर सेकंडरी स्तर के अध्यापन के साथ–साथ इंजीनियरिंग, मेडिकल, सी.ए./सी.एस./सी.एम.ए., क्लैट, एन.टी.एस.सी. इत्यादि की कोचिंग प्रदान कर इन विद्यार्थियों को स्वयं की प्रतिभा के बल कर सफल होने योग्य बनने का प्रयास किया जाता है। यह विद्यालय 26 जुलाई 2010 में प्रारंभ हुई। उस समय इस योजना में बजट प्रावधान 200.00 लाख थे। इस वर्ष 2021–22 में बजट प्रावधान में वृद्धि होकर 3420.30 लाख हो गया है।

वर्तमान में रायपुर जिले में बालक एवं कन्या हेतु पृथक–पृथक प्रयास आवासीय विद्यालय सड्डू एवं गुढ़ियारी से संचालित है। इसके अतिरिक्त बिलासपुर, सरगुजा, दुर्ग, बस्तर, कांकेर, कोरबा तथा जशपुर जिला में छात्र–छात्राओं हेतु कुल 09 प्रयास आवासीय विद्यालय संचालित किये जा रहे है। इनके सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए इन्हें एक ही परिसर में रखकर स्कूली शिक्षा, कोचिंग इत्यादि की सुविधा प्रदान करते हए इनके कैरियर को उज्जवल बनाने का प्रयास किया जाता है। इन विद्यालयों में विद्यार्थियों को अध्यापन एवं कोचिंग निजी कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से प्रदान किया जाता। उक्त कार्य दो चरणों में प्रदान किया जाता है। प्रथम चरण में कक्षा 9वीं, 10वीं के अध्यापन के साथ विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग, मेडिकल इत्यादि की बेसिक तैयारी करते हुए एन.टी.एस.सी., विज्ञान पहेली, ओलंपियाड जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराकर उस परीक्षा में शामिल कराया जाता है। दूसरे चरण में कक्षा 11वीं, 12वीं की स्कूली शिक्षा के साथ–साथ जे.ई.ई. मेन्स/एडवांस, नीट, सी.ए./सी.एस./सी.एम.ए., क्लेट इत्यादि राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग प्रदान की जाती है।

प्रयास आवासीय विद्यालयों के प्रारंभ से अब तक कक्षा 10वीं एवं 12वी का परीक्षाफल लगभग शत प्रतिशत रहा है। वर्ष 2020 की 10वी बोर्ड परीक्षा में कु. धारणी गौर प्रावीण्य सूची में सातवें तथा कु. क्षमता पाण्डेय कक्षा 12वी बोर्ड परीक्षा की प्रावीण्य सूची में चतुर्थ स्थान पर रही। वर्ष 2021 के 10वी बोर्ड परीक्षा में कुल 1029 विद्यार्थी शामिल हुए थे, जिसमें 1024 विद्यार्थी 90 प्रतिशत से अधिक अंको से उत्तीर्ण हुए। इसी तरह 12वी बोर्ड परीक्षा में कुल 831 विद्यार्थी शामिल हुए थे, जिसमें 484 विद्यार्थियों ने 90 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किया।

प्रयास आवासीय विद्यालय, बिलासपुर का नवनिर्मित भवन

प्रयास आवासीय विद्यालय, बस्तर

उपरोक्त परीक्षा परिणाम के अतिरिक्त सत्र 2012 से अब तक इंजीनियरिंग/मेडिकल की विभिन्न परीक्षाओं में प्रवेशित विद्यार्थियों का विवरण निम्नानुसार है :–

वर्ष	बैच	आईआईटी /समकक्ष में प्रवेशित	एनआईटी/समकक्ष में प्रवेशित	इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेशित	चिकित्सा शिक्षा महाविद्यालयों में प्रवेशित
2010–12	प्रथम बैच	02	12	130	.
2011–13	द्वितीय बैच	01	20	45	01
2012–14	तृतीय बैच	0	08	81	03
2013–15	चतुर्थ बैच	06	07	84	03
2014–16	पंचम बैच	06	30	92	12
2015–17	छठवा बैच	08	40	96	08
2016–18	सप्तम बैच	18	17	85	.
2017–19	अष्टम बैच	11	41	82	08
2018–20	नवम बैच	18	51	77	04
2019–21	दशम बैच	27	35	61	12 (संभावित)
योग		**97**	**261**	**833**	**51**

टीप :- विगत 03 वर्षों में सी.ए./सी.एस./सी.एम.ए. में 29 तथा क्लेट में 03 विद्यार्थी सफल हुए।

प्रयास आवासीय विद्यालय में अधोसंरचनात्मक सुविधाएं एवं प्रबंधकीय व्यवस्था यथा– भवन, प्रांगण, आवास, मेस व्यवस्था, पुस्तकालय, प्रयोगशाला तथा कम्प्यूटर लैब इत्यादि की व्यवस्था विभाग द्वारा की जाती है। जबकि अध्यापन तथा कोचिंग की व्यवस्था ऑऊट–सोर्सिंग के माध्यम से की जाती है। इस विद्यालय में अध्यनरत विद्यार्थियों को आवास, भोजन, गणवेश तथा अध्ययन एवं कोचिंग की सुविधा पूर्णतः निःशुल्क प्रदान की जाती है।

प्रयास विद्यालय की सफलता को देखते हुए निम्नानुसार कार्य भी संपादित किये जा रहे हैं :-

- प्रयास विद्यालय के आई.आई.टी. में प्रवेशित विद्यार्थियों को 40 हजार रूपए प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष प्रोत्साहन स्वरूप आगामी शिक्षा प्राप्त करने हेतु दिया जाता है।
- आई.आई.टी. एवं एन.आई.टी. में प्रवेशित विद्यार्थियों को लैपटॉप/लैपटॉप हेतु राशि प्रदान किया जाता है।

4. **सहयोग** : बाल भविष्य सुरक्षा योजना के इस घटक अंतर्गत कक्षा 12वीं उत्तीर्ण छात्र–छात्राओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है ताकि वे उच्च अध्ययन कर रोजगार प्राप्त कर सके। अनाथ बच्चों को पोस्ट मैट्रिक पाठ्यक्रम की पढ़ाई के दौरान शिक्षण शुल्क एवं आने–जाने के व्यय आदि की प्रतिपूर्ति की जाती है।

शहीद वीर नारायण सिंह जी के शहादत दिवस (10 दिसम्बर 2021) के अवसर पर प्रयास आवासीय विद्यालय के प्रतिभावान बच्चों को माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मानित करते हुए

शहीद वीर नारायण सिंह जी के शहादत दिवस (10 दिसम्बर 2021) के अवसर पर प्रयास आवासीय विद्यालय के प्रतिभावान बच्चों को माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मानित करते हुए

आर्यभट्ट विज्ञान-वाणिज्य शिक्षण प्रोत्साहन योजना

नक्सल हिंसा से प्रभावित प्रदेश के जिलों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के विज्ञान एवं वाणिज्य विषय के शिक्षको के पद रिक्त रह जाते है क्योंकि इस वर्ग के विद्यार्थियों की रूचि विज्ञान एवं वाणिज्य विषय में कम है। अतः इन वर्ग के विद्यार्थियों को विज्ञान एवं वाणिज्य विषय के अध्ययन एवं अध्यापन को प्रोत्साहित करने हेतु विभाग द्वारा दुर्ग एवं जगदलपुर में 500–500 सीटर विज्ञान एवं वाणिज्य शिक्षण केन्द्र स्थापित किया गया है। इन क्षेत्रों में शिक्षको की पूर्ति हेतु वर्ष 2013–14 से यह अभिनव योजना प्रारंभ की गई है।

इसके अंतर्गत स्नातक स्तर पर गणित विषय हेतु 80, जीव विज्ञान हेतु 80, वाणिज्य हेतु 40 सीटे है। स्नातकोत्तर कक्षा में विज्ञान हेतु 80, वाणिज्य हेतु 20 सीटे है। बी.एड. हेतु कुल 200 सीट स्वीकृत है।

योजना अंतर्गत चयनित विद्यार्थियों जिन्होंने ने स्नातक–स्नाकोत्तर शिक्षा विज्ञान एवं वाणिज्य विषयों के साथ जारी रखी है। उन्हें शिक्षक के पदो पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली प्री.बी.एड. तथा टी.ई.टी. परीक्षा हेतु मार्गदर्शन एवं आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराया जाता है।

वर्ष 2021–22 में जिला दुर्ग में 450 बालिकाएं प्रवेशित है तथा जिला जगदलपुर विज्ञान एवं वाणिज्य शिक्षण केन्द्र में 143 बालक प्रवेशित है। वर्ष 2021–22 में राशि रूपये 222.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है।

आर्यभट्ट विज्ञान-वाणिज्य विकास केन्द्र, दुर्ग (कन्या)

विज्ञान वाणिज्य विकास केन्द्र (कन्या), जिला- दुर्ग एवं (बालक) जिला- जगदलपुर							
क्र.	जिला	वर्ष	नवीन प्रवेशित (प्रथम वर्ष)		नवीनीकरण की संख्या		कुल अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं की सख्या
			छात्र	छात्राएँ	छात्र	छात्राएँ	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	दुर्ग	2021–22	159	0	291	0	450
2	जगदलपुर	2021–22	63	0	80	0	143

जिला :- दुर्ग

स्नातक			स्नातकोत्तर		बी.एड.	योग
गणित	विज्ञान	वाणिज्य	एम.एस.सी.	एम. कॉम		
88	150	42	57	25	88	450

जिला :- जगदलपुर

स्नातक			स्नातकोत्तर		बी.एड.	योग
गणित	विज्ञान	वाणिज्य	एम.एस.सी.	एम. कॉम		
40	46	39	13	05	00	143

टीप :- अब तक कुल 315 छात्राएं बी.एड उत्तीर्ण कर चुकी हैं, जिनमें से कुल 12 छात्राओं की नियुक्ति व्याख्याता पंचायत के रुप में हुई है। अन्य छात्राएं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही हैं।

विषेश रूप से कमजोर जनजाति समूह के समेकित विकास हेतु मुख्यमंत्री 11 सूत्रीय कार्यक्रम

प्रदेश में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों अबुझमाड़िया, कमार, पहाड़ी कोरवा, बैगा, बिरहोर, पण्डो एवं भुंजिया को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने तथा इनके समेकित विकास हेतु मुख्यमंत्री 11 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरूआत नवंबर 2015 में की गई थी। वर्ष 2015–16 के आधारभूत सर्वेक्षण के अनन्तिम आंकडों के अनुसार इन जनजाति समूहों की जनसंख्या 223998 है तथा परिवार संख्या 57432 है। जो 16 जिलों के 2101 ग्रामों में निवास करती है। इस कार्यक्रम को विभिन्न विभागों की योजनाओं के अभिसरण (Convergence) के माध्यम से संचालित किया गया है।

1. आवासहीन परिवारों के लिए आवास :-

इस योजना के अंतर्गत विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के आवासहीन परिवारों के लिए आवास उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना का क्रियान्वयन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है।

2. पेयजल विहीन ग्रामों में पेयजल की उपलब्धता :-

इस योजना के अंतर्गत पेयजल विहीन ग्रामों में प्रत्येक ग्राम में 02 हैण्डपंप स्थापित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना का क्रियान्वयन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी व पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया गया है।

3. विद्युत विहीन ग्रामों का विद्युतीकरण :-

इस योजना के अंतर्गत विशेष रूप से कमजोर जनजाति निवासरत विद्युत विहीन ग्रामों/बसाहटों को विद्युतीकृत करने का लक्ष्य है। इस योजना का क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी एवं क्रेडा के माध्यम से किया जा रहा है।

4. स्वास्थ्य परीक्षण :-

इस योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य परीक्षण तथा हेल्थ कार्ड/स्मार्ट कार्ड तैयार किया जा रहा है। हितग्राहियों की अनुमानित संख्या 2.23 लाख से अधिक है। योजना का कियान्वयन स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जा रहा है।

5. खाद्य सुरक्षा प्रदान करना :-

इस योजना के अंतर्गत विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के 57432 परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। इस योजना का संचालन खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा किया जा रहा है।

6. 0 से 06 वर्ष के बच्चों तथा गर्भवती/स्तनपान कराने वाली माताओं को कुपोषण से बचाने के लिए पोषण आहार (न्यूट्रीशियस फूड) का प्रदाय सुनिश्चित करना :-

0 से 06 वर्ष आयु के बच्चों को तथा गर्भवती/स्तनपान कराने वाली माताओं को निःशुल्क पोषण आहार उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना का क्रियान्वयन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है।

7. कौशल उन्नयन :-

इस योजना के अंतर्गत प्रति परिवार 01 व्यक्ति के मान से 57432 हितग्राहियों को कौशल उन्नयन एवं स्वरोजगार हेतु तैयार करने प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है। इस योजना का क्रियान्वयन तकनीकी शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, श्रम विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है।

8. सामाजिक सुरक्षा :-

इस योजना के अंतर्गत 57432 परिवारों को सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ दिलाने का लक्ष्य है। इसमे बीमा योजना, जनधन योजना तथा समाज कल्याण विभाग की योजनाएँ शामिल हैं।

9. वन अधिकार पत्र का वितरण :-

इस योजना के अंतर्गत 2101 ग्रामों के लगभग 57432 हितग्राही परिवारों को पात्रतानुसार वन अधिकार पत्र का वितरण किया जा रहा है। इस योजना का क्रियान्वयन राजस्व एवं वन विभाग द्वारा किया जा रहा है।

10. जाति एवं निवास प्रमाण पत्र का वितरण :-

इस योजना के अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजाति के सभी 223998 व्यक्तियों को निःशुल्क जाति एवं निवास प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना का क्रियान्वयन राजस्व/शिक्षा विभाग द्वारा किया जा रहा है।

11. सूचना जागरूकता हेतु रेडियो तथा दैनंदिन आवश्यकता हेतु छाता एवं कंबल प्रदाय :-

इस योजना के अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजाति के 57432 परिवारों में से प्रत्येक परिवार को एक रेडियो, छाता एवं कंबल आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग तथा वन विभाग (कैम्पा) के माध्यम से निःशुल्क उपलब्ध कराया गया है।

अन्य योजनाएँ

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम

यह भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा प्रवर्तित योजना है। अल्पसंख्यक समुदाय के शैक्षणिक एवं समग्र विकास के लिए "मल्टी सेक्टोरल डेव्हलपमेंट प्रोग्राम" (संशोधित योजना का नाम–प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम) को जशपुर जिले में लागू किया गया है। योजनान्तर्गत जशपुर जिले के 05 विकासखण्ड (जशपुर, मनोरा, दुलदुला, कुनकुरी एवं कांसाबेल) को अल्पसंख्यक विकासखण्ड के रूप में चयनित किया गया है।

12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान चिन्हित अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र के असंतुलन को कम करने एवं इस समुदाय के सदस्यों को बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई इस योजना में केन्द्रांश 75 प्रतिशत एवं राज्यांश 25 प्रतिशत है।

इस योजना के अंतर्गत शिक्षा के लिए आधारभूत संरचना, शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पक्के आवास, सड़क पेयजल, आय के अवसर उत्पन्न करने वाली योजनाओं के बीच की कमी को भरने एवं अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

योजनान्तर्गत कुल 924 कार्य स्वीकृत है। जिसमें 698 कार्य पूर्ण, 44 कार्य प्रगतिरत एवं 182 कार्य अप्रारंभ है। केन्द्रांश राशि रू. 2199.31 लाख एवं राज्यांश रू. 1104.66 लाख, इस प्रकार कुल रू. 3303.97 लाख जिला जशपुर को योजना के क्रियान्वयन हेतु पुनराबंटित की गई है। वर्ष 2021–22 में योजना अन्तर्गत कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है।

भाग - छः

सारांश

छत्तीसगढ़ संविधान की 5वीं अनुसूची में सम्मिलित राज्य है। छत्तीसगढ़ के भौगोलिक क्षेत्रफल का 60 प्रतिशत से अधिक भू–भाग अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत है। अनुसूचित क्षेत्र की कुल जनसंख्या का लगभग 57 प्रतिशत भाग अनुसूचित जनजातियों का है। संविधान की पाँचवीं अनुसूची में वर्णित अधिकारों एवं आदिवासी क्षेत्रों के हितों का संरक्षण विभाग का प्रमुख दायित्व है। विभाग प्रदेश की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक उन्नति के साथ–साथ उनके सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं संवर्धन तथा सामाजिक न्याय प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही विभाग अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदायों की शैक्षिक एवं आर्थिक उन्नति के लिए योजनाबद्ध तरीकों से अनेक योजनाओं का सतत् क्रियान्वयन कर रहा है। परिणाम स्वरूप अनेक क्षेत्रों में आशातीत सफलताएँ मिली हैं। राज्य बनने के पश्चात् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग की सांस्कृतिक विरासत तथा आस्था स्थलों के संरक्षण एवं विकास को चुनौती के रूप में स्वीकार किया गया है। जनसंख्या के अनुपात में विविध समस्याओं एवं आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में इन वर्गों के सर्वांगीण विकास को मूर्त रूप प्रदान करना विभाग की मुख्य प्राथमिकता रही है। इस हेतु विभाग द्वारा अनेक अभिनव योजनाएँ संचालित की जा रही है। शैक्षणिक उत्थान के साथ स्वरोजगारमूलक योजनाओं के माध्यम से आर्थिक आत्म निर्भरता तथा सामाजिक समरसता स्थापित करना विभाग का लक्ष्य है। राज्य के आदिवासी अंचलों के शैक्षिक विकास की दिशा में उल्लेखनीय प्रयास किए गए हैं। विशिष्ट संस्थाओं के रूप में क्रीड़ा परिसर एवं एकलव्य जैसे आवासीय विद्यालय के संचालन से इन वर्गों के छात्र–छात्राओं की प्रतिभाओं को निखारा जा रहा है। वहीं राज्य मुख्यालय पर 'प्रयास' जैसी संस्था के संचालन से नक्सल प्रभावित जिलों के प्रतिभावान विद्यार्थियों को बेहतर कॅरियर निर्माण हेतु नए अवसर खुले हैं। प्रयास विद्यालय के छात्रों की उल्लेखनीय उपलब्धियों ने बस्तर तथा सरगुजा जैसे प्रदेश के उत्तर तथा दक्षिण में स्थित जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों के शैक्षणिक विकास को नई दिशा प्रदान की है तथा इन दूरस्थ जनजातीय अंचलों के विद्यार्थियों को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के प्रति विशेष जागृति उत्पन्न की है। रायपुर स्थित प्रयास आवासीय विद्यालय की सफलता को देखते हुए विभाग द्वारा संभागीय मुख्यालय जगदलपुर, अम्बिकापुर, दुर्ग और बिलासपुर तथा जिला मुख्यालय कांकेर तथा कोरबा, जशपुर जिलों में भी 'प्रयास' आवासीय विद्यालय संचालित किया जा रहा है। विभाग अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों के शैक्षणिक उत्थान में सहयोग हेतु अनेक योजनाएँ संचालित कर रहा है। विभागीय शिक्षण संस्थाओं तथा छात्रावास/आश्रमों में शिक्षा के क्षेत्र में सूचना तकनीक आधारित शिक्षण/स्मार्ट क्लास/कम्प्यूटर षिक्षा को भी बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि विद्यार्थी वर्तमान क्षेत्र की शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी नवाचारों से भिज्ञ होकर एवं दक्षता प्राप्त कर प्रतिस्पर्धात्मक बन सके।

आदिवासी उपयोजना के माध्यम से भी विभाग आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए कटिबद्ध है। इन क्षेत्र में आदिवासियों के व्यापक हित में एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं, माडा तथा विशेष पिछड़ी जनजाति विकास अभिकरणों के माध्यम से जनजातियों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इनमें स्थानीय आदिवासी जनप्रतिनिधि भी नामांकित किए गए है ताकि वे क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप विकास कार्यक्रमों की प्राथमिकताओं का जनजाति समुदाय के हित में निर्धारण कर सकें। जिससे विभिन्न विकास विभागों के उपयोजना कार्यक्रमों के अपेक्षित परिणाम प्राप्त हो सकें। आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों तथा आदिवासी बाहुल्य जनसंख्या वाले क्षेत्रों में स्थानीय विकास व अधोसंरचना निर्माण के कार्यों को गतिशील करने के लिए राज्य में बस्तर विकास प्राधिकरण एवं सरगुजा विकास प्राधिकरण के साथ–साथ नवगठित मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के माध्यम से स्थानीय विकास की आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु अनुकरणीय प्रयास हुए हैं। इसी प्रकार अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण, अनुसूचित जाति उपयोजना तथा प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के क्रियान्वयन के माध्यम से अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों/ग्रामों का विकास किया जा रहा है। प्रदेश के वर्तमान औद्योगिक/आर्थिक परिदृश्य के अनुक्रम में विभाग की ओर से छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एव विकास निगम द्वारा अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं को रोजगार मूलक कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण संबंधित क्षेत्र में कार्यरत विशेष संस्थाओं के माध्यम से प्रदान कर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है तथा अल्पसंख्यक समुदायों के लिए भी स्वरोजगार मूलक योजनाएं संचालित कर रहा है जिसमें वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है।

अनुसूचित वर्गो की अस्मिता तथा सम्मान के प्रति विभाग प्रारंभ से ही सजग रहा है। इसी के फलस्वरूप सेक्टर–24, नवा रायपुर, अटल नगर में आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान परिसर में आदिवासी संग्रहालय आकार ले रहा है तथा देश के स्वतंत्रता संग्राम में प्रदेश से अमर शहीद स्वत्रंता सेनानी वीर नारायण सिंह की पावन स्मृति में प्रदेश के महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान को दर्शाने हेतु स्मारक सह संग्रहालय की भी स्थापना का निर्णय लिया गया है। इसी प्रकार नया रायपुर में गुरू घासीदास संग्रहालय एवं शोधपीठ स्थापना की घोषणा भी की गई है। कोविड–19 से उत्पन्न परिस्थितियों में भी विभाग द्वारा विभिन्न शासकीय कार्यकलाप एवं योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। शालाएं और छात्रावास/आश्रम बंद होने के कारण छात्र/छात्राओं को ऑनलाईन शिक्षण/कोंचिग के माध्यम से अध्यापन तैयारी कराई जा रही है। इसके फलस्वरूप विभाग की फ्लैगशिप योजना के अनतर्गत संचालित प्रयास आवासीय विद्यालयों का परीक्षा परिणाम तथा विभिन्न प्रतियोगी प्रवेश परीक्षओं के परिणाम उत्कृष्ट रूप से प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार कोविड–19 उत्पन्न चुनौतियों को अवसर में बदलने में विभाग तत्परतापूर्वक कार्य कर रहा है।

विकास की असीम संभावना से युक्त छत्तीसगढ़ राज्य को विकास पथ पर अग्रसर करने हेतु आदिवासी हित में बेहतर कार्य करने की प्रतिबद्धता एवं प्रबल इच्छाशक्ति से अभिप्रेरित होकर और पिछले अनुभवों से सबक लेते हुए नीतियों, योजनाओं एवं तौर–तरीकों में परिवर्तन/परिमार्जन का भी प्रयास किया जा रहा है। आदिवासी विकास परियोजनाओं, माडा तथा अभिकरणों की स्वशासी समितियों तथा जनजाति सलाहकार परिषद् के मार्गदर्शन में अभिनव योजनाओं का निर्माण एवं संचालन इस विभाग द्वारा किए गए नवाचार के प्रमाण हैं। यह ही नहीं अब शिक्षा व अन्य क्षेत्रों में आदिवासी एवं अनुसूचित जाति समुदाय की विशिष्ट उपलब्धियों को रेखांकित किया जाने लगा है। इन समुदायों को समाज की मुख्यधारा में लाने हेतु समावेषी विकास की इस यात्रा में विभाग हितप्रहरी के रूप में चुनौतियों को सामना करते हुए निरन्तर प्रगति की ओर अग्रसर है।

राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव 2021 के अवसर पर नर्तक दल के साथ
नृत्य करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी

Pay Order No. 1 :-:1

Higher Education Department, PRINCIPAL, GOVT. LAHIRI COLLEGE, CHIRIMIRI. KORIA (C.G.).

-(-)

Regular Bill for the month year : **04/2022**

DDO Code : **0138002** Bill No. ,Bill Date : **12,04/05/2022** Section : **ESTABLISHMENT**

Sr.No. / EmployeeID / EmployeeCode / PF/PRAN NO. / BankA/C / Name	Basic / D.Pay / GradePay / NPA / SpecialPay / PersonalPay / Honorarium	StagnationInc / InterimRelief / OtherPay / D.A. / AdditionalDA / Fee / CCA	Trans.Allow. / Depu.Allow / TribalAllow / HRA / ProjectAllow / TrainingAllow / MedicalAllow	WashingAllow / CashierAllow / OtherAllow / Wages / FixTA / P.AaharAllow / Sp.RationAllow	Sp.PoliceAllow / BigularAllow / MedalAllow / ArmourAllow / DIAllow / UniformAllow / MT.Allow	Conn.Ch.Allow / SpecialAllow / RobeAllow / SumptAllow / LibAllow / TeleAllow / H.O.Allow	WaterAllow / NewsPrAllow / Mag.Allow / Elec.Allow / Sec.Allow / - / -	GrossSalary	PF Ded. / PF Rec / HB.Rec / CarRec / CycleRec / MotorCycleRec / FestivalRec	GrainRec / ComputerRec / PayRec / OtherRec / IncomeTax / Prof.Tax / FBF	GIS / PLI / HouseRent / WaterCharge / Mot.Vec.Char / OtherDed / Ex.PayRec	TotalDedn. / NetSalary / Ded.Und. CGTC-210 / NetPayable
Designation :**Asstt.Professor**, No. of Post :**22**, Pay Scale :**15600-39100**, Wide Sanction Order No. and Date :408,19/03/2008											
1	84700	0	0	0	0	0	0		10164	0	360	
1	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	18524
01380020042	0	0	400	0	0	0	0		0	0	0	83054
CGPF01380020042	0	14399	2079	0	0	0	0	101578	0	0	0	
20127411260	0	0	0	0	0	0	0		0	8000	0	0
RAM KINKER PANDEY	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	83054
	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
2	75200	0	0	0	0	0	0		9024	0	360	
2	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	15384
01380020056	0	0	400	0	0	0	0		0	0	0	74856
CGPF01380020056	0	12784	1856	0	0	0	0	90240	0	0	0	
20246944586	0	0	0	0	0	0	0		0	6000	0	0
SUBHASH CHANDRA CHATURVEDI	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	74856
	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
3	40390	0	0	0	0	0	0		4847	0	360	
15	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	5207
01380020090	0	0	400	0	0	0	0		0	0	0	43961
CGPF01380020090	0	6866	1512	0	0	0	0	49168	0	0	0	
20124981903	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
JAI SINGH SARSWAT	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	43961
	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
	200290	0	0	0	0	0	0		24035	0	1080	
	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	39115
	0	0	1200	0	0	0	0		0	0	0	201871
Grand Total	0	34049	5447	0	0	0	0	240986	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0		0	14000	0	0
	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	201871
	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	

Grant Total : Rs. **TWO LAKH ONE THOUSAND EIGHT HUNDRED AND SEVENTY ONE ONLY.**

Dr. Ram Kinker Pandey
PRINCIPAL
GOVT. LAHIRI COLLEGE
CHIRIMIRI. KORIA (C.G.)

Higher Education Department, PRINCIPAL, GOVT. LAHIRI COLLEGE, CHIRIMIRI. KORIA (C.G.).

-(-)

Regular Bill for the month year : **04/2022**

DDO Code : **0138002**

Bill No. ,Bill Date : **14,04/05/2022**

Section : **ESTABLISHMENT**

Sr.No. / EmployeeID / EmployeeCode / PF/PRAN NO. / BankA/C / Name	Basic / D.Pay / GradePay / NPA / SpecialPay / PersonalPay / Honorarium	StagnationInc / InterimRelief / OtherPay / D.A. / AdditionalDA / Fee / CCA	Trans.Allow. / Depu.Allow / TribalAllow / HRA / ProjectAllow / TrainingAllow / MedicalAllow	WashingAllow / CashierAllow / OtherAllow / Wages / FixTA / P.AaharAllow / Sp.RationAllow	Sp.PoliceAllow / BigularAllow / MedalAllow / ArmourAllow / DIAllow / UniformAllow / MT.Allow	Conn.Ch.Allow / SpecialAllow / RobeAllow / SumptAllow / LibAllow / TeleAllow / H.O.Allow	WaterAllow / NewsPrAllow / Mag.Allow / Elec.Allow / Sec.Allow / - / -	GrossSalary	PF Ded. / PF Rec / HB.Rec / CarRec / CycleRec / MotorCycleRec / FestivalRec	GrainRec / ComputerRec / PayRec / OtherRec / IncomeTax / Prof.Tax / FBF	GIS / PLI / HouseRent / WaterCharge / Mot.Vec.Char / OtherDed / Ex.PayRec	TotalDedn. / NetSalary / Ded.Und. CGTC-210 / NetPayable
Designation :**PEON**, No. of Post :**3**, Pay Scale :**15600-49400_LEVEL1**, Wide Sanction Order No. and Date :408/131/2008/raipur,19/03/2008												
1	23600	0	0	0	0	0	0		2832	0	180	
14	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	3012
01380020028	0	0	128	250	0	0	0		0	0	0	25567
CGPF01380020028	0	4012	589	0	0	0	0	28579	0	0	0	
30137266292	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
SANTOSH KUMAR SAHU	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	25567
	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
Designation :**Book Liftar**, No. of Post :**1**, Pay Scale :**16100-50900_LEVEL2**, Wide Sanction Order No. and Date :408/131/2008/raipur,19/03/2008												
2	25000	0	0	0	0	0	0		3000	0	180	
13	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	3180
01380020027	0	0	128	250	0	0	0		0	0	0	27041
CGPF01380020027	0	4250	593	0	0	0	0	30221	0	0	0	
30335871883	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
KHIKHRAM	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	27041
	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
Designation :**Chowkidar**, No. of Post :**1**, Pay Scale :**15600-49400_LEVEL1**, Wide Sanction Order No. and Date :408/131/2008/raipur,19/03/2008												
3	21600	0	0	0	0	0	0		2592	0	180	
20	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	3572
01380030023	0	0	120	250	0	0	0		0	0	0	22578
CGPF01380030023	0	3672	508	0	0	0	0	26150	0	0	0	
31468227599	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Shankar Lal Yadav	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	22578
	0	0	0	0	0	0	0		800	0	0	
	70200	0	0	0	0	0	0		8424	0	540	
	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	9764
	0	0	376	750	0	0	0		0	0	0	75186
Grand Total	0	11934	1690	0	0	0	0	84950	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	75186
	0	0	0	0	0	0	0		800	0	0	

Grant Total : Rs. **SEVENTY FIVE THOUSAND ONE HUNDRED AND EIGHTY SIX ONLY.**

Dr. Ram Kinker Pandey
PRINCIPAL
GOVT. LAHIRI COLLEGE
CHIRIMIRI. KORIA (C.G.)

Glimpses of organized events of Yoga

Date: 12.01.2022

Glimpses of organized events of Karate

Date: 13/01/2022

Glimpses of organized events of Mehandi

Date: 07.03.2022

Glimpses of organized events of Rangoli

Date: 07.03.2022

Glimpses of organized events of Poster

Date: 07.03.2022

Glimpses of organized events of Annual Function